2018 का विधेयक संख्यांक 4

वित्त विधेयक, 2018

(लोक सभा में पुरःस्थापित रूप में)

वित्त विधेयक, 2018

खंडों का क्रम

अध्याय 1

प्रारंभिक

खंड

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

2. आय-कर ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

3. धारा 2 का संशोधन ।
4. धारा 9 का संशोधन ।
5. धारा 10 का संशोधन ।
6. धारा 11 का संशोधन ।
7. धारा 16 का संशोधन ।
8. धारा 17 का संशोधन ।
9. धारा 28 का संशोधन ।
10. धारा 36 का संशोधन ।
11. धारा 40क का संशोधन ।
12. धारा 43 का संशोधन ।
13. नई धारा 43कक का अंतःस्थापन ।
14. धारा 43गक का संशोधन ।
15. नई धारा 43गख का अंतःस्थापन ।
16. धारा 44कङ का संशोधन ।
17. धारा 47 का संशोधन ।
18. धारा 49 का संशोधन ।
19. धारा 50ग का संशोधन ।
20. धारा 54ङग का संशोधन ।
21. धारा 56 का संशोधन ।
22. धारा 79 का संशोधन ।
23. धारा 80कग के स्थान पर नई धारा का रखा जाना ।

खंड

24. धारा 80घ का संशोधन ।
25. धारा 80घघक का संशोधन ।
26. धारा 80झकग का संशोधन ।
27. धारा 80ञञकक का संशोधन ।
28. नई धारा 80तक का अंतःस्थापन ।
29. धारा 80ननक का संशोधन ।
30. नई धारा 80ननख का अंतःस्थापन ।
31. नई धारा 112क का अंतःस्थापन ।
32. धारा 115कघ का संशोधन ।
33. धारा 115खक का संशोधन ।
34. धारा 115खखङ का संशोधन ।
35. धारा 115ञख का संशोधन ।
36. धारा 115ञग का संशोधन ।
37. धारा 115ञच का संशोधन ।
38. धारा 115ण का संशोधन ।
39. धारा 115थ के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण का लोप ।
40. धारा 115द का संशोधन ।
41. धारा 115न का संशोधन ।
42. धारा 139क का संशोधन ।
43. धारा 140 का संशोधन ।
44. धारा 143 का संशोधन ।
45. धारा 145क के स्थान पर नई धाराओं 145क और 145ख का रखा जाना ।
46. धारा 193 का संशोधन ।
47. धारा 194क का संशोधन ।
48. धारा 245ण का संशोधन ।
49. धारा 245थ का संशोधन ।
50. धारा 253 का संशोधन ।
51. धारा 271चक का संशोधन ।
52. धारा 276गग का संशोधन ।
53. धारा 286 का संशोधन ।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

54. कतिपय अन्य पदों से कतिपय पदों के प्रतिनिर्देशों का प्रतिस्थापन ।
55. धारा 1 का संशोधन ।
56. धारा 2 का संशोधन ।
57. धारा 11 का संशोधन ।
58. धारा 17 का संशोधन ।
59. धारा 18 का संशोधन ।

खंड

60. नई धारा 25क और धारा 25ख का अंतःस्थापन ।
61. धारा 28 का संशोधन ।
62. धारा 28ङ का संशोधन ।
63. नई धारा 25ङक का अंतःस्थापन ।
64. धारा 28च का संशोधन ।
65. धारा 28ज का संशोधन ।
66. धारा 28झ का संशोधन ।
67. धारा 28ट का संशोधन ।
68. नई धारा 25टक का अंतःस्थापन ।
69. धारा 28ठ का संशोधन ।
70. धारा 28ड के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
71. धारा 30 का संशोधन ।
72. धारा 41 का संशोधन ।
73. धारा 45 का संशोधन ।
74. धारा 46 का संशोधन ।
75. धारा 47 का संशोधन ।
76. धारा 50 का संशोधन ।
77. धारा 51 का संशोधन ।
78. नए अध्याय 7क का अंतःस्थापन ।
79. धारा 54 का संशोधन ।
80. धारा 60 का संशोधन ।
81. धारा 68 का संशोधन ।
82. धारा 69 का संशोधन ।
83. धारा 74 का संशोधन ।
84. धारा 75 का संशोधन ।
85. अध्याय शीर्ष का संशोधन ।
86. धारा 83 का संशोधन ।
87. धारा 84 का संशोधन ।
88. नए अध्याय 12क का अंतःस्थापन ।
89. नई धारा 109क का अंतःस्थापन ।
90. धारा 110 का संशोधन ।
91. धारा 122 का संशोधन ।
92. धारा 124 का संशोधन ।
93. धारा 125 का संशोधन ।
94. धारा 128क का संशोधन ।
95. नई धारा 143कक का अंतःस्थापन ।
96. नई धारा 151ख का अंतःस्थापन ।
97. धारा 153 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
98. धारा 157 का संशोधन ।
99. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (12) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी संशोधन ।

खंड

सीमाशुल्क टैरिफ

100. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 का संशोधन ।
101. पहली अनुसूची का संशोधन ।
102. दूसरी अनुसूची का संशोधन ।

सेवा कर

103. तटरक्षक कार्मिकों को नौसेना समूह बीमा निधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जीवन बीमा सेवाओं से संबंधित कतिपय मामलों में सेवा कर से, भूतलक्षी रूप से छूट के लिए विशेष उपबंध ।
104. माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने के लिए करार पाई गई सेवाओं से संबंधित कतिपय मामलों में सेवा कर से, भूतलक्षी रूप से छूट के लिए विशेष उपबंध ।
105. पैट्रोलियम लाभ के सरकारी शेयर पर सेवा कर से भूतलक्षी छूट के लिए विशेष उपबंध ।

अध्याय 5

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और व्यावृत्ति

106. कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और व्यावृत्तियां ।
107. शुल्क के बकाया का संग्रहण और संदाय ।

अध्याय 6

समाज कल्याण अधिभार

108. आयातित माल पर समाज कल्याण अधिभार ।

अध्याय 7

सड़क और अवसंरचना उपकर

109. आयातित माल पर सड़क और अवसंरचना उपकर ।
110. शुल्क्य माल पर सड़क और अवसंरचना उपकर ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

भाग 1

सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 का संशोधन

111. इस भाग का प्रारंभ ।
112. 1873 के अधिनियम सं. 5 के बृहत नाम का प्रतिस्थापन ।
113. संक्षिप्त नाम का संशोधन ।
114. संपूर्ण अधिनियम में ''सचिव'' शब्द के स्थान पर, ''प्राधिकृत अधिकारी'' शब्दों का प्रतिस्थापन ।
115. धारा 2 का लोप ।
116. धारा 3 के स्थान पर नई धारा 3, धारा 3क और धारा 3ख का रखा जाना ।
117. धारा 4 का संशोधन ।
118. धारा 4क का संशोधन ।
119. धारा 5 का संशोधन ।
120. धारा 6 का संशोधन ।
121. धारा 7 का संशोधन ।
122. नई धारा 7क का अंतःस्थापन ।
123. धारा 8 का संशोधन ।

खंड

124. धारा 10 का संशोधन ।
125. धारा 12 का संशोधन ।
126. नई धारा 12क का अंतःस्थापन ।
127. शीर्षक का लोप ।
128. धारा 13 का लोप ।
129. धारा 14 का संशोधन ।
130. धारा 15 का संशोधन ।
131. नई धारा और अनुसूची का अंतःस्थापन ।

भाग 2

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का संशोधन

132. 1934 के अधिनियम सं. 2 की धारा 17 का संशोधन ।

भाग 3

राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन अधिनियम, 1951 का संशोधन

133. इस भाग का प्रारंभ ।
134. धारा 1क का संशोधन ।
135. धारा 2 का संशोधन ।
136. धारा 3क का संशोधन ।

भाग 4

संसद् अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 का संशोधन

137. 1953 के अधिनियम सं. 20 की धारा 17 का संशोधन ।

भाग 5

संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 का संशोधन

138. इस भाग का प्रारंभ ।
139. धारा 3 का संशोधन ।
140. धारा 4 का संशोधन ।
141. धारा 8क का संशोधन ।
142. धारा 8कग का संशोधन ।

भाग 6

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 का संशोधन

143. इस भाग का प्रारंभ ।
144. धारा 12क का संशोधन ।
145. धारा 23 का संशोधन ।
146. धारा 23क का संशोधन ।
147. धारा 23ङ का संशोधन ।
148. धारा 23छ का संशोधन ।
149. नई धारा 23छक का अंतःस्थापन ।
150. धारा 23झ का संशोधन ।

खंड

151. धारा 23ञ का संशोधन ।
152. धारा 23ञक का संशोधन ।
153. धारा 23ञख का संशोधन ।
154. नई धारा 23ञग का अंतःस्थापन ।
155. धारा 23ड का संशोधन ।
156. धारा 24 का संशोधन ।

भाग 7

केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 का संशोधन

157. 1963 के अधिनियम सं. 54 का संशोधन ।

भाग 8

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 का संशोधन

158. 1982 के अधिनियम सं. 43 की धारा 3 का संशोधन ।

भाग 9

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 का संशोधन

159. इस भाग का प्रारंभ ।
160. धारा 3 का संशोधन ।
161. धारा 4 का संशोधन ।
162. धारा 5 का संशोधन ।
163. धारा 6 का संशोधन ।
164. धारा 7 का संशोधन ।
165. धारा 16 का संशोधन ।
166. धारा 29क का संशोधन ।
167. धारा 33 का संशोधन ।
168. धारा 33ख का संशोधन ।
169. धारा 37 का संशोधन ।
170. धारा 39 का संशोधन ।
171. धारा 40 का संशोधन ।
172. धारा 43 का संशोधन ।
173. धारा 45क का संशोधन ।
174. धारा 55 का संशोधन ।

भाग 10

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 का संशोधन

175. इस भाग का प्रारंभ ।
176. धारा 11 का संशोधन ।
177. धारा 11ख का संशोधन ।
178. धारा 15ख का संशोधन ।

खंड

179. नई धाराओं 15डक और 15डख का अंतःस्थापन ।

180. धारा 15च का संशोधन ।

181. धारा 15झ का संशोधन ।

182. धारा 15ञ का संशोधन ।

183. धारा 15ञख का संशोधन ।

184. धारा 24 का संशोधन ।

185. धारा 27 का संशोधन ।

186. धारा 28क का संशोधन ।

187. नई धारा 28ख का अंतःस्थापन ।

भाग 11

निक्षेपागार अधिनियम, 1996 का संशोधन

188. इस भाग का प्रारंभ ।

189. धारा 19 का संशोधन ।

190. धारा 19क का संशोधन ।

191. नई धारा 19चक का अंतःस्थापन ।

192. धारा 19ज का संशोधन ।

193. धारा 19झ का संशोधन ।

194. धारा 19झक का संशोधन ।

195. धारा 19झख का संशोधन ।

196. नई धारा 19झग का अंतःस्थापन ।

197. अध्याय 5 का संशोधन ।

198. धारा 20 का संशोधन ।

199. धारा 21 का संशोधन ।

200. शीर्षों का लोप ।

भाग 12

उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1997 का संशोधन

201. 1997 के अधिनियम सं. 30 की धारा 2 का संशोधन ।

भाग 13

केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 का संशोधन

202. इस भाग का प्रारंभ ।

203. 2000 के अधिनियम सं. 54 का संशोधन ।

भाग 14

धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का संशोधन

204. इस भाग का प्रारंभ ।

205. 2002 के अधिनियम सं. 15 का संशोधन ।

खंड

भाग 15

राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 का संशोधन

206. इस भाग का प्रारंभ ।
207. बृहत्त शीर्ष का संशोधन ।
208. धारा 2 का संशोधन ।
209. धारा 3 का संशोधन ।
210. धारा 4 का संशोधन ।
211. धारा 5 का संशोधन ।
212. धारा 7 का संशोधन ।
213. धारा 8 का संशोधन ।

भाग 16

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का संशोधन

214. 2004 के अधिनियम सं. 23 का संशोधन ।

भाग 17

वित्त अधिनियम, 2013 का संशोधन

215. 2013 के अधिनियम सं. 17 का संशोधन ।

भाग 18

काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 का संशोधन

216. 2015 के अधिनियम सं. 22 का संशोधन ।

भाग 19

वित्त अधिनियम, 2016 का संशोधन

217. 2016 के अधिनियम सं. 28 का संशोधन ।

भाग 20

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का संशोधन

218. 2017 के अधिनियम सं. 12 की धारा 2 का संशोधन ।

लोक सभा में 1 फरवरी, 2018
को पुरःस्थापित रूप में

2018 का विधेयक संख्यांक 4

[दि फाइनेंस बिल, 2018 का हिंदी अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2018

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2018 है ।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 2 से धारा 53 तक 1 अप्रैल, 2018 को प्रवृत्त होंगी।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

आय-कर।

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :

परंतु पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष का या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है, इस धारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो ''दो लाख पचास हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन लाख रुपए'' शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो ''दो लाख पचास हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''पांच लाख रुपए'' शब्द रखे गए हों ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में यथा उपबंधित रीति से, और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा : 1961 का 43

परंतु धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ और पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115 खखघक, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115ङ, धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जहां,—

(i) कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि उपरोक्त खण्ड (क) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय,—

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से उतनी अधिक नहीं होगी, जितनी आय की रकम पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से उतनी अधिक नहीं होगी, जितनी आय की रकम एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि उपरोक्त खण्ड (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से उतनी अधिक नहीं होगी, जितनी आय की रकम एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से उतनी अधिक नहीं होगी, जितनी आय की रकम एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से उतनी अधिक नहीं होगी, जितनी आय की रकम दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखङ की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 115ण या धारा 115थक या धारा 115द की उपधारा (2) या धारा 115नक या धारा 115नघ के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, वहां कर उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के अधीन, प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, उनमें कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उन मामलों में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 192क, धारा 194ग, धारा 194घक, धारा 194ङ, धारा 194ङङ, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194झक, धारा 194झख, धारा 194झग, धारा 194ञ, धारा 194ठक, धारा 194ठख, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग, धारा 194ठग, धारा 194ठघ, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौती उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग, कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग, कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग, कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग, कटौती के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परंतुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उन दशाओं में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जहां,—

(i) संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन ''वेतन'' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है, या उस पर संदत्त किया जाना है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय ''अग्रिम कर'' की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या ''अग्रिम कर'' पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, ''अग्रिम कर'' की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से, की जाएगी :

परंतु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित ''अग्रिम कर'' की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ और पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखघक, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115ङ, धारा 115ञख और धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परंतुक के अधीन संगणित ''अग्रिम कर'' में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जहां,—

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे ''अग्रिम कर'' के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे ''अग्रिम कर'' के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे ''अग्रिम कर'' के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे ''अग्रिम कर'' के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे ''अग्रिम कर'' के बारह प्रतिशत की दर से ;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे ''अग्रिम कर'' के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे ''अग्रिम कर'' के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि उपरोक्त खंड (क) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,—

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर ''अग्रिम कर'' के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर ''अग्रिम कर'' के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है :

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर ''अग्रिम कर'' के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर ''अग्रिम कर'' के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु उपरोक्त खंड (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर ''अग्रिम कर'' के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर ''अग्रिम कर'' के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से उतनी अधिक नहीं होगी, जितनी आय की रकम एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर ''अग्रिम कर'' के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर ''अग्रिम कर'' के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से उतनी अधिक नहीं होगी, जितनी आय की रकम एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर ''अग्रिम कर'' के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर ''अग्रिम कर'' के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से उतनी अधिक नहीं होगी, जितनी आय की रकम दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखङ की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में परंतुक के अधीन संगणित ''अग्रिम कर'' में, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय ''अग्रिम कर'' की संगणना करने में,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, केवल, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या ''अग्रिम कर'' प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या ''अग्रिम कर'' निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या ''अग्रिम कर'' की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या ''अग्रिम कर'' की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या ''अग्रिम कर'' की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या ''अग्रिम कर'' की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या ''अग्रिम कर'' होगी :

परंतु ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो ''दो लाख पचास हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन लाख रुपए'' शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो ''दो लाख पचास हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''पांच लाख रुपए'' शब्द रखे गए हों :

परंतु यह भी कि इस प्रकार प्राप्त आय-कर या ''अग्रिम कर'' की रकम में, प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार, उसमें उपबंधित रीति में, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(11) उपधारा (1) से उपधारा (3) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर दो प्रतिशत की दर से परिकलित ''आय-कर पर शिक्षा उपकर'' नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके ।

(12) उपधारा (1) से उपधारा (3) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर एक प्रतिशत की दर से परिकलित ''आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर'' नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके ।

(13) उपधारा (4) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित ''आय-कर पर शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर'' नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाओं और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में उल्लिखित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या संग्रहण किया जाना है, यदि स्रोत पर कर की कटौती या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय को देशी कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है, संदत्त किया जाता है ।

(14) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''देशी कंपनी'' से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी हैं) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए इंतजाम कर लिए हैं ;

(ख) ''बीमा कमीशन'' से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, ''शुद्ध कृषि-आय'' से, पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में या पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं, किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,— धारा 2 का संशोधन।

(क) खंड (22) के स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''**स्पष्टीकरण 2क**— किसी समामेलित कंपनी की दशा में, यथास्थिति, संचित लाभों, चाहे पूंजीकृत हों या नही, या हानि में समामेलन की तारीख को समामेलित कंपनी के संचित लाभों को, चाहे पूंजीकृत हों या नहीं, बढ़ा दिया जाएगा।''।

(ख) 1 अप्रैल, 2019 से,—

(i) खंड (24) में,—

(क) उपखंड (xii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(xiiक) धारा 28 के खंड (viक) में निर्दिष्ट सूची का उचित बाजार मूल्य;'';

(ख) उपखण्ड (xviiक) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(xviiख) धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (xi) में निर्दिष्ट कोई प्रतिकर या अन्य संदाय ;'';

(ii) खंड (42क) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (i) में, उपखंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(खक) धारा 28 के खंड (viक) में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति की दशा में, अवधि की संगणना इसके संपरिवर्तन या उस रूप में उससे व्यवहार किए जाने की तारीख से की जाएगी ।''।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में, 1 अप्रैल, 2019 से,— धारा 9 का संशोधन।

(I) स्पष्टीकरण 2 के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(क) भारत में संविदाओं को अंतिम रूप देने का प्राधिकार है और वह अभ्यासतः उसका प्रयोग करता है या अभ्यासतः संविदाओं को अंतिम रूप देता है या अनिवासी द्वारा संविदाओं को अंतिम रूप देने में अभ्यासतः मुख्य भूमिका का निर्वाह करता है और ये संविदाएं—

(i) अनिवासी के नाम से हैं; या

(ii) उस अनिवासी के स्वामित्वाधीन संपत्ति के अंतरण के लिए या संपत्ति में उस अनिवासी के उपयोग के अधिकार को अनुदत्त करने के लिए हैं ; या

(iii) अनिवासी द्वारा सेवाओं का उपबंध करने के लिए हैं ; या'';

(II) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 2क**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत में किसी अनिवासी की महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति, भारत में अनिवासी के ''कारबारी संपर्क'' सम्मिलित करेगी और इस प्रयोजन के लिए ''महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति'' से अभिप्रेत है—

(क) भारत में किसी अनिवासी द्वारा किसी माल, सेवाओं या संपत्ति के संबंध में किया गया कोई संव्यवहार, जिसके अंतर्गत भारत में डाटा या साफ्टवेयर को डाउनलोड करने की व्यवस्था भी है, यदि ऐसे संव्यवहार या पूर्ववर्ष के दौरान संव्यवहारों से उत्पन्न कुल संदाय ऐसी रकम से अधिक हो, जो विहित की जाए; या

(ख) अपने कारबार क्रियाकलापों का क्रमिक और निरंतर निवेदन करना या भारत में उपयोक्ताओं की ऐसी संख्या के साथ डिजीटल साधनों से इंटरएक्शन करवाना, जो विहित की जाए :

परंतु यह कि संव्यवहार या क्रियाकलाप भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति दर्शित करेंगे, चाहे अनिवासी का भारत में निवास-स्थान या कारबार का स्थान हो या न हो या भारत में सेवाएं प्रदान करता हो या न करता हो :

परंतु यह और कि केवल ऐसी आय, जो खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट संव्यवहारों या क्रियाकलाप से हुई मानी जा सकती हो, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाएगी ।'।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,— धारा 10 का संशोधन।

(क) खंड (6ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(6घ) किसी अनिवासी को, जो कोई कंपनी या कोई विदेशी कंपनी नहीं है, भारत में या भारत से बाहर राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन को प्रदान की जाने वाली तकनीकी सेवाओं से रायल्टी या उनके लिए फीस के माध्यम से उद्भूत होने वाली कोई आय ;'';

(ख) 1 अप्रैल, 2019 से,—

(i) खंड (12क) में, ''कर्मचारी'' शब्द के स्थान पर ''निर्धारिती'' शब्द 1 अप्रैल, 2019 से रखा जाएगा;

(ii) खंड (23ग) में, 12वें परंतुक [वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 6 द्वारा यथा अंतःस्थापित] के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 2017 का 7

'परंतु यह भी कि तीसरे परंतुक की मद (क) के अधीन आवेदन की रकम का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (iक) और धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (3क) के उपबंध, आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे लागू होंगे जैसे वे ''कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ'' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में लागू होते हैं :';

(iii) खंड (38) के तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु यह भी कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात, ऐसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के, जो किसी कंपनी या किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि की किसी यूनिट या किसी कारबार न्यास की किसी यूनिट में इक्विटी शेयर है, 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् किए गए अंतरण से होने वाली किसी आय को लागू नहीं होगी ।'';

(ग) खंड (46) में ''(चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो)'' कोष्ठकों और शब्दों, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, के पश्चात्, ''या उसका कोई वर्ग'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) [वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 6 द्वारा यथा अंतःस्थापित] खंड (48ख) में, ''खंड (48क) में निर्दिष्ट करार या ठहराव के अवसान के पश्चात्'' शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, ''खंड (48क) में, यथास्थिति, निर्दिष्ट करार या ठहराव के अवसान के पश्चात् या उसमें उल्लिखित निबंधनों के अनुसार उक्त करार या ठहराव के पर्यवसान पर'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2019 से रखे जाएंगे । 2017 का 7

धारा 11 का संशोधन ।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 [वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 11 द्वारा यथा अंतःस्थापित] के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 2017 का 7

'**स्पष्टीकरण 3**— खंड (क) या खंड (ख) के अधीन आवेदन की रकम का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (iक) और धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (3क) के उपबंध, आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे लागू होंगे जैसे वे ''कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ'' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में लागू होते हैं ।'।

धारा 16 का संशोधन ।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 16 में खंड (i) [जैसा कि वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 6 द्वारा उसका लोप किया गया था] के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 2005 का 18

''(iक) चालीस हजार रुपए की कटौती या वेतन की रकम, जो भी कम हो ;''।

धारा 17 का संशोधन ।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (viii) के पश्चात् आने वाले परंतुक के खंड (v) का 1 अप्रैल, 2019 से लोप किया जाएगा ।

धारा 28 का संशोधन ।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 28 में, 1 अप्रैल, 2019 से,—

(I) खंड (ii) में, उपखंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(ङ) किसी व्यक्ति को, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, उसके कारबार से संबंधित किसी संविदा के पर्यवसान या निबंधनों और शर्तों में उपांतरण पर या उसके संबंध में ।'';

(II) खंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(viक) उस तारीख को सूची का उचित बाजार मूल्य जिसको इसे विहित रीति में अवधारित पूंजी आस्ति में संपरिवर्तित किया जाता है या व्यवहृत किया जाता है;''।

धारा 36 का संशोधन ।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) में खंड (xvii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

''(xviii) धारा 145 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना और प्रकटन मानकों के अनुसार यथा संगणित चिह्नित बाजार हानि या कोई संभावित हानि ।''।

धारा 40क का संशोधन ।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 40क की उपधारा (12) [जैसा कि वित्त अधिनियम, 1992 की धारा 17 द्वारा उसका लोप किया गया था] के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :— 1992 का 18

''(13) किसी चिह्नित बाजार हानि या अन्य संभावित हानि के संबंध में, धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (xviii) के अधीन अनुज्ञेय के सिवाय कोई कटौती या मोक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।''।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 43 के खंड (5) में, परन्तुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 से पहले निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 43 का संशोधन ।

2013 का 17 "परंतु यह और कि पहले परन्तुक के खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिए कृषि वस्तु व्युत्पन्नों में व्यापार के संबंध में, वित्त अधिनियम, 2013 के अध्याय 7 के अधीन वस्तु संव्यवहार कर की प्रभार्यता की अपेक्षा लागू नहीं होगी ।"।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 43क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 43कक का अंतःस्थापन ।

"43कक. (1) धारा 43क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उद्भूत किसी लाभ या हानि को, यथास्थिति, आय या हानि माना जाएगा और ऐसे लाभ या हानि की संगणना, धारा 145 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना और प्रकटन मानकों के अनुसार, की जाएगी । विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव का कराधान ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभावों के परिणामस्वरूप उद्भूत लाभ या हानि, सभी विदेशी मुद्रा संव्यवहारों के संबंध में होगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित से संबंधित संव्यवहार भी हैं—

(i) धनीय मदें और गैर धनीय मदें ;

(ii) विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों का परिवर्तन ;

(iii) अग्रिम विनिमय संविदाएं ;

(iv) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षितियां ।"।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 43गक में, 1 अप्रैल, 2019 से,— धारा 43गक का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य, अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भवमान प्रतिफल के एक सौ पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भवमान प्रतिफल, ऐसी आस्ति के अंतरण से लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा ।";

(ख) उपधारा (4) में, "नकद से भिन्न किसी अन्य ढंग से" शब्दों के स्थान पर, "पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से या बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके" शब्द रखे जाएंगे ।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 43गक के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 43गख का अंतःस्थापन ।

"43गख. (1) सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी सन्निर्माण संविदा या किसी संविदा से होने वाले लाभ और अभिलाभ धारा 145 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना और प्रकटन मानकों के अनुसार समापन पद्धति की प्रतिशतता के आधार पर अवधारित किए जाएंगे : सन्निर्माण और सेवा संविदाओं से आय की संगणना।

परंतु (i) नब्बे दिन से अनधिक अवधि वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए संविदा से होने वाले लाभ और अभिलाभ परियोजना समापन पद्धति के आधार पर अवधारित किए जाएंगे;

(ii) समय विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान कृत्यों की अनिश्चित संख्या अंतर्वलित करते हुए सेवाएं प्रदान करने के लिए संविदा से होने वाले लाभ और अभिलाभ सीधी रेखा पद्धति के आधार पर अवधारित किए जाएंगे ।

(2) समापन पद्धति की प्रतिशतता के प्रयोजनों के लिए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट परियोजना समापन पद्धति या सीधी रेखा पद्धति,—

(i) संविदा राजस्व में प्रतिधारण धन सम्मिलित होगा ;

(ii) संविदा लागत में से ब्याज, लाभांश या पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की कोई आनुषंगिक आय नहीं घटाई जाएगी ।"।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 44कङ में, 1 अप्रैल, 2019 से,— धारा 44कङ का संशोधन ।

(क) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए ऐसे प्रत्येक माल वाहन से लाभ और अभिलाभ,—

(i) जो भारी माल यान है, वह रकम होगी, जो ऐसे प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए, जिसके दौरान भारी माल यान पूर्व वर्ष में निर्धारिती के स्वामित्व में रहता है, यथास्थिति, सकल यान भार या लदान रहित भार के प्रति टन के एक हजार रुपए के बराबर है या वह रकम होगी, जिसके लिए यह दावा किया गया है कि वह ऐसे यान से वस्तुतः अर्जित की गई है, इनमें से जो भी अधिक हो ;

(ii) जो भारी माल यान से भिन्न है, वह रकम होगी, जो ऐसे प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए, जिसके दौरान माल वाहन पूर्व वर्ष में निर्धारिती के स्वामित्व में रहता है, जो सात हजार पांच सौ रुपए के बराबर है या वह रकम होगी, जिसके लिए यह दावा किया गया है कि वह ऐसे माल वाहन से वस्तुतः अर्जित की गई है, इनमें से जो भी अधिक हो ।";

(ख) स्पष्टीकरण में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(क) "माल वाहन", "सकल यान भार" और "लदान रहित भार" पदों का वही अर्थ होगा, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 में क्रमशः उनका है ; 1988 का 59

(कक) "भारी माल यान" पद से कोई ऐसा माल वाहन अभिप्रेत है जिसका सकल यान भार 12000 किलोग्राम से अधिक है ;'।

धारा 47 का संशोधन।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 47 में, उपखंड (viiकक) [वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 23 द्वारा यथा अंतःस्थापित] के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 2017 का 7

'(viiकख) किसी पूंजी आस्ति का कोई अंतरण जो किसी अनिवासी द्वारा किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से किया गया है और जो—

(क) धारा 115कग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट बांड या वैश्विक निक्षेपागार रसीद हैं ; या

(ख) किसी भारतीय कंपनी के रुपए में अंकित मूल्य में बांड है ; या

(ग) व्युत्पन्न हैं,

और जहां ऐसे संव्यवहार के लिए प्रतिफल को विदेशी मुद्रा में संदत्त किया गया है या उसमें संदेय है ।

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा, जो उसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (थ) में है ; 2005 का 28

(ख) "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज" का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 43 के खंड (5) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ii) में है ;

(ग) "व्युत्पन्न" का वही अर्थ होगा, जो उसका प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (कग) में है ।'। 1956 का 42

धारा 49 का संशोधन ।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(9) जहां धारा 28 के खंड (viक) में निर्दिष्ट पूंजी अभिलाभ, किसी ऐसी पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्‌भूत होता है, वहां ऐसी आस्ति के अर्जन की लागत को ऐसा उचित बाजार मूल्य समझा जाएगा, जिसे उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए हिसाब में लिया गया है ।"।

धारा 50ग का संशोधन ।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 50ग की उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि जहां स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य किसी अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्‌भूत प्रतिफल के एक सौ पांच प्रतिशत से अनधिक है, वहां अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्‌भूत प्रतिफल, धारा 48 के प्रयोजनों के लिए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा ।"।

धारा 54ङग का संशोधन ।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 54ङग में, 1 अप्रैल, 2019 से,—

(क) उपधारा (1) में "दीर्घकालिक पूंजी आस्ति" शब्दों के पश्चात्, ", जो भूमि या भवन या दोनों हैं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण में, खंड (खक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(खक) इस धारा के अधीन कोई विनिधान करने के लिए "दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति" से,—

(i) 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् , किन्तु 1 अप्रैल, 2018 से पूर्व जारी कोई ऐसा बांड अभिप्रेत है, जो तीन वर्ष के पश्चात् मोचनीय है और जिसे 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 2018 से पूर्व;

(ii) 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् जारी कोई ऐसा बांड अभिप्रेत है, जो पांच वर्ष के पश्चात् मोचनीय है और जिसे 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात्,

1988 का 68

1956 का 1

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा या कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है या केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित कोई अन्य बांड है ।'।

धारा 56 का संशोधन ।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में,—

(क) खंड (x) में,—

(I) उपखंड (ख) में मद (आ) के स्थान पर, निम्नलिखित मद 1 अप्रैल, 2019 से रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(आ) किसी प्रतिफल के लिए, यदि संपत्ति का स्टाम्प शुल्क मूल्य, जो ऐसे प्रतिफल से अधिक है, यदि ऐसे आधिक्य की रकम निम्नलिखित में से उच्चतर रकमों से अधिक है, अर्थातः—

(i) पचास हजार रुपए की रकम; और

(ii) प्रतिफल के पांच प्रतिशत के बराबर रकमः";

(II) चौथे परंतुक के खंड (IX) में, "के खंड (i) या" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, "खंड (iv) या खंड (v) या" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (x) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(xi) किसी व्यक्ति को, उसके नियोजन की समाप्ति या उसके नियोजन के निबंधनों और शर्तों के उपांतरण से संबंधित उसे शोध्य या उसके द्वारा प्राप्त कोई प्रतिकर या अन्य संदाय चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो।"।

2017 का 7

धारा 79 का संशोधन ।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 79 [वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 32 द्वारा यथा प्रतिस्थापित] के दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

2016 का 31

"परंतु यह भी कि इस धारा की कोई बात, किसी कंपनी को लागू नहीं होगी जहां दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अधीन अनुमोदित किसी संकल्प के अनुसरण में अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात किसी पूर्ववर्ष में शेयर धारण में कोई परिवर्तन होता है।"।

धारा 80कग के स्थान पर नई धारा का रखा जाना।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 80कग के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

विवरणी प्रस्तुत किए जाने तक कटौती अनुज्ञात न किया जाना ।

'80कग. जहां किसी निर्धारिती की,—

(i) 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किंतु 1 अप्रैल, 2018 से पूर्व निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष की कुल आय की संगणना में धारा 80झक या धारा 80झकख या धारा 80झख या धारा 80झग या धारा 80झघ या धारा 80झङ के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय है ;

(ii) 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष की कुल आय की संगणना में "ग.—कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" शीर्ष के अधीन इस अध्याय के किसी उपबंध के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय है,

वहां उसे तब तक कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि वह ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व अपनी आय की विवरणी नहीं देता है।'।

धारा 80घ का संशोधन ।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 80घ में, 1 अप्रैल, 2019 से,—

(क) उपधारा (2) में,—

(i) "तीस हजार रुपए" शब्दों, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर, "पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (घ) के पश्चात् आने वाले पहले परंतुक में, "अति" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (3) में,—

(i) "तीस हजार रुपए" शब्दों, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, के स्थान पर, "पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "अति" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (4) में,—

(i) "या अति वरिष्ठ नागरिक" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) "तीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'(4क) जहां उपधारा (2) के खंड (क) या खंड (ख) या उपधारा (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट रकम का, उक्त खंडों में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी बीमा को एक वर्ष से अधिक समय के लिए प्रभावी करने या उसे प्रवृत्त बनाए रखने के लिए पूर्ववर्ती वर्ष में एकमुश्त संदाय किया जाता है तब विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधीन रहते हुए और इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए उस रकम के युक्तियुक्त भाग के बराबर कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "युक्तियुक्त भाग" से ऐसा भाग अभिप्रेत है, जिसका गणक एक है और जिसकी भाजक सुसंगत पूर्व वर्षों की कुल संख्या है ;

(ii) "सुसंगत पूर्व वर्षों" से ऐसे पूर्व वर्ष से, जिसमें ऐसी रकम का संदाय किया जाता है, आरंभ होने वाले पूर्व वर्ष और ऐसे पश्चात्वर्ती पूर्व वर्ष अभिप्रेत है या हैं, जिनके दौरान बीमा प्रभावी होगा या प्रवृत्त बना रहेगा ।';

(ङ) उपधारा (5) के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण के खंड (ii) का लोप किया जाएगा ।

धारा 80घघख का संशोधन ।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 80घघख में, 1 अप्रैल, 2019 से,—

(क) तीसरे परंतुक में, "साठ हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) चौथे परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ग) स्पष्टीकरण में खंड (v) का लोप किया जाएगा ।

धारा 80झकग का संशोधन ।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 80झकग की उपधारा (4) के नीचे स्पष्टीकरण में,—

(क) खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(i) "पात्र कारबार" से किसी ऐसे पात्र स्टार्ट अप द्वारा किए जाने वाला कोई कारबार अभिप्रेत है, जो उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवप्रवर्तन, विकास या सुधार या रोजगार के सृजन या धन के सृजन की उच्च संभावना वाला कोई मापनीय कारबार मॉडल में लगा हुआ है ;';

(ख) खंड (ii) में,—

(i) उपखंड (क) में, "2019" अंकों के स्थान पर, "2021" अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपखंड (ख) में, "1 अप्रैल, 2016 को आरंभ होने वाले और 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ती वर्षों" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "उस वर्ष से, जिसमें वह निगमित होती है, पूर्ववर्ती सात वर्षों" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 80जजकक का संशोधन ।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 80जजकक की उपधारा (2) के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण के खंड (ii) में 1 अप्रैल, 2019 से,—

(क) परंतुक में, "परिधान विनिर्माण" शब्दों के पश्चात्, "या फुटवियर या चमड़े के उत्पादों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि जहां किसी कर्मचारी को पूर्व वर्ष के दौरान, यथास्थिति, दो सौ चालीस दिन से कम या एक सौ पचास दिन से कम की अवधि के लिए नियोजित किया जाता है, किंतु उसके तुरंत पश्चात्वर्ती वर्ष में, यथास्थिति, दो सौ चालीस दिन या एक सौ पचास दिन की अवधि के लिए नियोजित किया जाता है, वहां उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे पश्चात्वर्ती वर्ष में नियोजित किया गया है और इस धारा के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ;"।

नई धारा 80तक का अंतःस्थापन ।

28. आय-कर अधिनियम में धारा 80त के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

उत्पादक कंपनियों की कतिपय आय की बाबत कटौती।

'80तक. (1) जहां किसी निर्धारिती की, जो पूर्ववर्ष में कुल एक सौ करोड़ रुपए या उससे कम आवर्त वाली उत्पादक कंपनी है, सकल कुल आय में पात्र कारबार से प्राप्त कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित है, वहां इस धारा के अनुसार और उसके उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में 1 अप्रैल, 2019 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 अप्रैल, 2025 से पहले प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए ऐसे कारबार से हुए माने जा सकने वाले लाभों और अभिलाभों के एक सौ प्रतिशत के समतुल्य रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) किसी मामले में जहां निर्धारिती इस अध्याय के किसी और उपबंध के अधीन कटौती का भी हकदार है, वहां इस धारा के अधीन कटौती, इस धारा में निर्दिष्ट आय में, यदि कोई हो, को निर्दिष्ट करते हुए इस अध्याय के ऐसे अन्य उपबंध के अधीन कटौती को घटाते हुए सकल कुल आय को सम्मिलित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "पात्र कारबार" से,—

(क) सदस्यों द्वारा उपजाए गए कृषि उत्पाद का विपणन ; या

(ख) कृषि औजार, बीज, पशुधन या अन्य वस्तुएं, जो सदस्यों को पूर्ति किए जाने के प्रयोजन के लिए कृषि के लिए आशयित हैं ; या

(ग) सदस्यों को कृषि उत्पाद के लिए प्रसंस्करण,

अभिप्रेत है;

1956 का 1 (ii) "सदस्य" का वही अर्थ होगा, जो उसका कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581क के खंड (घ) में है;

1956 का 1 (ii) "उत्पादक कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो उसका कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581क के खंड (ठ) में है ।'।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 80ननक की उपधारा (1) के प्रारंभिक भाग में आने वाले "निर्धारिती" शब्द के पश्चात्, "(धारा 80ननख में निर्दिष्ट निर्धारिती से भिन्न)" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 80ननक का संशोधन ।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 80ननक के पश्चात् 1 अप्रैल, 2019 से निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 80ननख का अंतःस्थापन ।

'80ननख. (1) जहां किसी निर्धारिती की, जो वरिष्ठ नागरिक है, सकल कुल आय में,— वरिष्ठ नागरिकों की दशा में जमा पर ब्याज की बाबत कटौती ।

1949 का 10 (क) ऐसी किसी बैंककारी कंपनी में, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है);

(ख) बैंककारी कारबार करने में लगी किसी सहकारी सोसाइटी में (जिसके अंतर्गत कोई सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक भी है); या

1898 का 6 (ग) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 2 के खंड (ट) में यथापरिभाषित किसी डाकघर में,

निक्षेपों पर ब्याज के रूप में कोई आय सम्मिलित है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में नीचे विनिर्दिष्ट कटौती अनुज्ञात की जाएगी, अर्थात्:—

(i) ऐसे मामले में, जहां ऐसी आय की रकम कुल मिलाकर पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होती है, संपूर्ण ऐसी रकम ; और

(ii) किसी अन्य मामले में, पचास हजार रुपए ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय किसी फर्म, व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय द्वारा या उसकी ओर से धारित किसी बचत खाते में किसी निक्षेप से व्युत्पन्न होती है, वहां इस धारा के अधीन फर्म के किसी भागीदार या संगम के किसी सदस्य या निकाय के किसी व्यष्टि की कुल आय की संगणना में ऐसी आय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "वरिष्ठ नागरिक" से भारत में निवासी ऐसा व्यष्टि अभिप्रेत है, जो सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय साठ वर्ष या अधिक आयु का है ।'।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 112 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 112क का अंतःस्थापन ।

'112क. (1) धारा 112 में किसी बात के होते हुए भी, किसी निर्धारिती द्वारा उसकी कुल आय पर संदेय कर उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा यदि,— कतिपय मामलों में दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर।

(i) कुल आय के अंतर्गत "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य कोई आय भी है;

(ii) ऐसा पूंजी अभिलाभ ऐसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से होता है, जो किसी कंपनी में साधारण अंश है या साधारण शेयरोन्मुख निधि की कोई यूनिट है या किसी कारबार न्यास की कोई यूनिट है;

(iii) वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 के अधीन प्रतिभूति संव्यवहार कर,— 2004 का 23

(क) किसी ऐसे मामले में, जहां दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के, जो किसी कंपनी में साधारण शेयर की प्रकृति की है, के अर्जन पर और ऐसी पूंजी आस्ति के अतंरण पर सदंत्त किया गया है।

(ख) किसी ऐसे मामले में, जहां दीर्घकालिक पूंजी आस्ति का, जो किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि यूनिट की प्रकृति की है या किसी कारबार न्यास की यूनिट की ऐसी पूंजी आस्ति के अतंरण पर संदत्त किया गया है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कुल आय पर निर्धारिती द्वारा संदेय कर निम्नलिखित का योग होगा—

(i) एक लाख रुपए से अधिक के ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर दस प्रतिशत की दर से संगणित आय-कर की रकम; और

(ii) कुल आय की अतिशेष रकम पर संदेय आय-कर की रकम, मानो ऐसी अतिशेष रकम निर्धारिती की कुल आय हो :

परंतु किसी व्यष्टि या किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जो निवासी है, जहां ऐसे दीर्घकालिक पूंजी आस्ति को घटाने के पश्चात् प्राप्त हुई कुल आय, उस अधिकतम रकम से कम है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, तो खंड (i) के प्रयोजनों के लिए दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों में से उतनी रकम घटा दी जाएगी जितनी इस प्रकार घटाई गई कुल आय उस अधिकतम रकम से कम है, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है ।

(3) उपधारा (1) के खंड (iii) में विनिर्दिष्ट शर्त किसी भी अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज पर अंतरण को और जहां ऐसे अंतरण का प्रतिफल विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाता है या प्राप्य है, को लागू नहीं होगी ।

(4) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अर्जन की ऐसी प्रकृति को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसके संबंध में उपधारा (1) के खंड (iii) के उपखंड (क) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(5) उपधारा (1) के अधीन पूंजी अभिलाभ धारा 48 के पहले और दूसरे परंतुक के उपबंधों को प्रभावी किए बिना संगणित किए जाएंगे ।

(6) 1 फरवरी, 2018 से पहले निर्धारिती द्वारा अर्जित दीर्घकालिक पूंजी आस्ति की बाबत उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूंजी अभिलाभों की संगणना के प्रयोजनों के लिए अर्जन की लागत को,—

(i) ऐसी आस्ति के अर्जन की वास्तविक लागत से अधिक समझा जाएगा;

(ii) (क) ऐसी आस्ति के उचित बाजार मूल्य; और

(ख) पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोदभूत प्रतिफल के पूरे मूल्य से,

कम समझा जाएगा ।

(7) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय के अंतर्गत उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई भी दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ सम्मिलित हैं, वहां अध्याय 6क के अधीन कटौती, सकल कुल आय में ऐसे पूंजी अभिलाभ घटाने के पश्चात् अनुज्ञात की जाएगी ।

(8) जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ सम्मिलित हैं, वहां धारा 87क के अधीन रिबेट, ऐसी कुल आय पर जिसमें से ऐसी पूंजी आस्ति पर संदेय कर को घटा दिया गया है, आय-कर पर अनुज्ञात किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "साधारण शेयरोन्मुख निधि" से धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि की किसी स्कीम के अधीन स्थापित निधि अभिप्रेत है और,—

(i) उस दशा में जहां निधि किसी ऐसी दूसरी निधि की यूनिटों में विनिधान करती है जिसका व्यापार मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज में किया जाता है,—

(अ) ऐसी निधि के कुल आगमों का कम से कम नब्बे प्रतिशत ऐसी अन्य निधि की यूनिटों में विनिधान किया जाता है; और

(आ) ऐसी अन्य निधि द्वारा भी किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध देशी कंपनियों के साधारण शेयरों में अपने कुल आगमों का कम से कम नब्बे प्रतिशत विनिधान किया जाता है; और

(ii) किसी अन्य दशा में, ऐसी निधि के कुल आगमों का कम से कम साठ प्रतिशत किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध देशी कंपनियों के साधारण शेयरों में विनिधान किया जाता है :

परंतु निधि की बाबत, यथास्थिति, साधारण शेयर धारण या धारित यूनिट की प्रतिशतता की संगणना आरंभिक और अंतिम मासिक औसतों की वार्षिक औसत के संदर्भ में की जाएगी;

(ख) ''उचित बाजार मूल्य'' निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) उस दशा में, जहां पूंजी आस्ति किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, वहां ऐसे एक्सचेंज में 31 जनवरी, 2018 को कोट की गई पूंजी आस्ति की अधिकतम कीमत ।

परंतु जहां ऐसे एक्सचेंज में 31 जनवरी, 2018 को ऐसी आस्ति का कोई व्यापार नहीं किया जाता है, वहां 31 जनवरी, 2018 की तुरंत पूर्ववर्ती तारीख को ऐसे एक्सचेंज में ऐसी आस्ति की अधिकतम कीमत, जब ऐसी आस्ति का व्यापार ऐसे एक्सचेंज में किया गया था, उचित बाजार मूल्य होगा;

(ii) उस दशा में, जहां पूंजी आस्ति कोई यूनिट है और किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, वहां 31 जनवरी, 2018 को ऐसी आस्ति का शुद्ध आस्ति मूल्य;

2005 का 28

(ग) ''अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र'' का वही अर्थ होगा जो विशेष व्यापार जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (थ) में उसका है;

(घ) ''मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज'' का वही अर्थ होगा जो धारा 43 के खंड (5) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ii) में उसका है।'।

धारा 115कघ का संशोधन ।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2019 से,—

(क) खंड (iii) के अंत में आने वाले ''और'' शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु धारा 112क में निर्दिष्ट किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से होने वाली आय की दशा में, एक लाख रुपए से अधिक की ऐसी आय पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की संगणना की जाएगी; और''

धारा 115खक का संशोधन ।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 115खक की उपधारा (1) में, ''धारा 111क और धारा 112 के उपबंधों'' शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, ''इस अध्याय के अन्य उपबंधों'' शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2017 से रखे गए समझे जाएंगे।

धारा 115खखङ का संशोधन ।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 115खखङ की उपधारा (2) में ''के खंड (क)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात् ''और खंड (ख)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

धारा 115जख का संशोधन ।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 115जख में,—

(क) स्पष्टीकरण 1 में,—

(अ) खंड (iiछ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

2016 का 31

'(iiज) किसी कंपनी की दशा में, जिसके विरुद्ध निगमित दिवाला समाधान की प्रक्रिया के लिए कोई आवेदन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा दिवाला और धन-शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के अधीन स्वीकार किया गया है, के शेष मूल्यह्रास की समग्र रकम और अग्रनीत हानि ।

2016 का 31

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''न्यायनिर्णायक प्राधिकरण'' पद का वही अर्थ होगा, जो दिवाला और धन-शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 5 के खंड (1) में उसका है और हानि में मूल्यह्रास सम्मिलित नहीं होगा; या;';

(आ) खंड (iii) में ''लेखा बहियों'' शब्दों के पहले, ''खंड (iiज) में निर्दिष्ट कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण 4 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2001 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

''**स्पष्टीकरण 4क**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा के उपबंध किसी निर्धारिती को, जो विदेशी कंपनी है, वहां लागू नहीं होंगे और कभी भी लागू हुए नहीं समझे जाएंगे, जहां उसकी कुल आय केवल धारा 44ख या धारा 44खख या धारा 44खखक या धारा 44खखख में निर्दिष्ट कारबार के लाभों और अभिलाभों से है और ऐसी आय का उन धाराओं में विनिर्दिष्ट कर की दरों के लिए प्रस्ताव किया गया है ।''।

धारा 115जग का संशोधन ।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 115जग में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित कोई यूनिट है और अपनी आय एकमात्र रूप से संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त करता है, वहां उपधारा (1) के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो ''साढ़े अठारह प्रतिशत'' शब्दों के स्थान पर ''नौ प्रतिशत'' शब्द रख दिए गए थे।'।

धारा 115जच का संशोधन

37. आय-कर अधिनियम की धारा 115जच में, 1 अप्रैल, 2019 से,—

(i) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ख) "अनुकल्पी न्यूनतम कर" से निम्नलिखित दशाओं में समायोजित कुल आय पर संगणित कर की रकम अभिप्रेत है,—

(i) किसी निर्धारिती की दशा में जो धारा 115जग की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई यूनिट है, नौ प्रतिशत की दर से;

(ii) किसी अन्य दशा में, साढ़े अठारह प्रतिशत की दर से;';

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(खक) "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" से ऐसी विदेशी मुद्रा अभिप्रेत है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्समय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा समझा गया है; 1999 का 42

(खख) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वह अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (थ) में उसका है; 2005 का 28

(iii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(ङ) "यूनिट" से अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थापित कोई यूनिट अभिप्रेत है ।'।

धारा 115ण का संशोधन ।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 115ण में,—

(क) उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु धारा 2 के खंड (22) के उपखंड (ङ) में निर्दिष्ट लाभांश के संबंध में यह उपधारा इस प्रकार प्रभावी होगी मानो "पन्द्रह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "तीस प्रतिशत" शब्द रख दिए गए हो;';

(ख) उपधारा (1ख) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह कि धारा 2 के खंड (22) के उपखंड (ङ) में निर्दिष्ट लाभांश के संबंध में यह उपधारा लागू नहीं होगी।" ।

धारा 115थ के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण का लोप।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 115थ के पश्चात् स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ।

धारा 115द का संशोधन ।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 115द की उपधारा (2) में,—

(अ) खंड (i) से खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(i) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कोई व्यष्टि या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब है, किसी मुद्रा बाजार पारस्परिक निधि या किसी लिक्विड निधि द्वारा वितरित आय पर पच्चीस प्रतिशत;

(ii) किसी व्यक्ति को किसी मुद्रा बाजार पारस्परिक निधि या किसी लिक्विड निधि द्वारा वितरित आय पर तीस प्रतिशत;

(iii) किसी व्यक्ति को साधारण शेयरोन्मुख निधि द्वारा वितरित आय पर दस प्रतिशत;

(iv) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कोई व्यष्टि या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब है, किसी मुद्रा बाजार पारस्परिक निधि या किसी लिक्विड निधि या किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि से भिन्न किसी निधि द्वारा वितरित आय पर पच्चीस प्रतिशत;

(v) किसी व्यक्ति को किसी धन बाजार पारस्परिक निधि या किसी नकद निधि या किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि से भिन्न किसी निधि द्वारा वितरित आय पर तीस प्रतिशतः"।

(आ) दूसरे परंतुक में खंड (ख) का लोप किया जाएगा ।

धारा 115न का संशोधन ।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 115न के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(ख) "साधारण शेयरोन्मुख निधि" से धारा 112क के स्पष्टीकरण (क) और भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा बनाई गई यूनिट स्कीम, 1964 में निर्दिष्ट कोई निधि अभिप्रेत हैः'।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 139क की उपधारा (1) में,— धारा 139क का संशोधन ।

(क) खंड (iv) में, "या" शब्द अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ख) खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(v) जो व्यष्टि नहीं है, जो किसी वित्तीय वर्ष में दो लाख पचास हजार रुपए या उससे अधिक की कुल रकम का कोई वित्तीय संव्यवहार करता है ;

(vi) जो प्रबंध निदेशक, निदेशक, भागीदार, न्यासी, लेखक, संस्थापक, कर्ता, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रधान अधिकारी या खंड (v) में निर्दिष्ट व्यक्ति का पदाधिकारी या खंड (v) में निर्दिष्ट व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम कोई व्यक्ति है;''।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 140 के खंड (ग) के दूसरे परंतुक में,— धारा 140 का संशोधन ।

(अ) खंड (ख) में, अंत में आने वाले "की जाएगी;" शब्दों के पश्चात्, "या" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(आ) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

2016 का 31 '(ग) जहां किसी कंपनी के संबंध में दिवाला और धन-शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए कोई आवेदन स्वीकार किया गया है, वहां विवरणी का सत्यापन, ऐसे न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त दिवाला वृत्तिक द्वारा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "दिवाला वृत्तिक" और "न्यायनिर्णायक प्राधिकरण" पदों का 2016 का 31 क्रमशः वही अर्थ होगा, जो दिवाला और धन-शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3 के खंड (18) और धारा 5 के खंड (1) में क्रमशः उनका है ।'।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 143 में,— धारा 143 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के खंड (क) में दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह भी कि 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई किसी विवरणी के संबंध में उपखंड (vi) के अधीन कोई समायोजन नहीं किया जाएगा ;";

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(3क) केंद्रीय सरकार, उपधारा (3) के अधीन निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कोई स्कीम बना सकेगी, जिससे निम्नलिखित के द्वारा बृहत्तर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को लाया जा सके,—

(क) जहां तक प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य हो, कार्यवाहियों के अनुक्रम में निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती के बीच इंटरफेस का उन्मूलन करना ;

(ख) आवश्यकतानुसार और कृत्यकारी विशेषज्ञता के माध्यम से संसाधनों का अनुकूल उपयोग करना ;

(ग) क्रियाशील अधिकारिता सहित टीम आधारित निर्धारण को आरंभ करना ।

(3ख) केंद्रीय सरकार, उपधारा (3क) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि कुल आय या हानि के निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, लागू नहीं होंगे या लागू होंगे :

परन्तु यह कि, 31 मार्च, 2020 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा ।

(3ग) उपधारा (3क) और उपधारा (3ख) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।''।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 145क के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी और 1 अप्रैल, 2017 से रखी गई समझी जाएंगी, अर्थात् :— धारा 145क के स्थान पर नई धाराओं 145क और धारा 145ख का रखा जाना।

'145क. "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए,— कतिपय मामलों में लेखा पद्धति ।

(i) सूची का मूल्यांकन, धारा 145 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना और प्रकटन मानकों के अनुसार संगणित वास्तविक लागत या शुद्ध वसूलनीय मूल्य के निम्नतर पर किया जाएगा ;

(ii) माल या सेवाओं के क्रय और विक्रय तथा सूची के मूल्यांकन का, मूल्यांकन की तारीख को, निर्धारिती द्वारा माल या सेवा को उसके अवस्थान से उस स्थान और स्थिति में लाने के लिए वास्तविक रूप से संदत्त या उपगत किसी कर, शुल्क, उपकर या फीस (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) की रकम को सम्मिलित करने के लिए समायोजन किया जाएगा ;

(iii) सूची का मूल्यांकन, जो ऐसी प्रतिभूति है, जिसे किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं किया गया है या सूचीबद्ध है, किंतु उसे समय-समय पर नियमित रूप से मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में कोट नहीं किया गया है, वास्तविक लागत पर धारा 145 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना और प्रकटन मानकों के अनुसार प्रारंभिक रूप से मान्यता प्रदान की गई वास्तविक लागत पर किया जाएगा;

(iv) सूची, जो खंड (iii) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से भिन्न प्रतिभूति है, का मूल्यांकन धारा 145 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना और प्रकटन मानकों के अनुसार वास्तविक लागत या शुद्ध वसूलनीय मूल्य के निम्नतर पर किया जाएगा :

परंतु प्रतिभूतियों की वास्तविक लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य की तुलना प्रवर्गवार की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—1. इस धारा के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी कर, शुल्क, उपकर या फीस में (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो), ऐसे संदाय के फलस्वरूप उद्‌भूत होने वाले किसी अधिकार के होते हुए भी ऐसे सभी संदायों को सम्मिलित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—2. इस धारा के प्रयोजनों के लिए "मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेन्ज" पद का वही अर्थ होगा जो धारा 43 के खंड (5) के स्पष्टीकरण-1 के खण्ड (ii) में उसका है।

कतिपय आय की कराधेयता ।

145ख. (1) धारा 145 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी निर्धारिती द्वारा, यथास्थिति, किसी प्रतिकर या वर्धित प्रतिकर पर प्राप्त ब्याज, उस पूर्व वर्ष की आय समझी जाएगी, जिसमें वह प्राप्त किया गया है ।

(2) किसी संविदा या निर्यात प्रोत्साहन में कीमत की वृद्धि के लिए कोई दावा उस पूर्व वर्ष की आय समझी जाएगी, जिसमें इसकी वसूली की युक्तियुक्त निश्चितता प्राप्त की गई हो ।

(3) धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (xviii) में निर्दिष्ट आय उस पूर्व वर्ष की आय समझी जाएगी, जिसमें वह प्राप्त की गई है, यदि उसे किसी पूर्वतर पूर्व वर्ष में आय-कर से प्रभारित न किया गया हो ।'।

धारा 193 का संशोधन ।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 193 के परंतुक के खंड (iv) के परंतुक में, "8% वाले बचत (कराधेय) बांड, 2003" अंक, शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात्, "या 7.75% वाले बचत (कराधेय) बांड, 2018" शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 194क का संशोधन ।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (i) के दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु यह भी कि किसी पाने वाले के मामले में, जो वरिष्ठ नागरिक है, उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (ग) के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पचास हजार रुपए" शब्द रख दिए गए थे ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "वरिष्ठ नागरिक" से भारत में निवासी व्यष्टि, जो सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय साठ वर्ष या अधिक आयु का है, अभिप्रेत है।'।

धारा 245ण का संशोधन ।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 245ण में,—

(i) उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु ऐसा प्राधिकरण सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय 5 के प्रयोजनों के लिए उस अधिनियम की धारा 28ङक के अधीन सीमाशुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण की नियुक्ति की तारीख से ही अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं करेगा। "; 1962 का 52

(ii) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) प्राधिकरण, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय 5 के प्रयोजन के लिए, उपधारा (1) के परंतुक में निर्दिष्ट सीमाशुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण की नियुक्ति की तारीख से ही अपील अधिकरण के रूप में कार्य करेगा: 1962 का 52

परंतु प्राधिकरण, उसके द्वारा पूर्व में अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण की हैसियत से पारित आदेश के विरुद्ध सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय 5 के अधीन सीमाशुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण की नियुक्ति के पश्चात् किसी मामले के संबंध में कोई अपील स्वीकार नहीं करेगा ।'; 1962 का 52

(iii) उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां प्राधिकरण इस अधिनियम से संबंधित किसी मामले में अग्रिम विनिर्णय की वांछा करने वाले किसी आवेदन के संबंध में कार्यवाही कर रहा है, वहां न्यायपीठ का राजस्व सदस्य, उपधारा (3) के खंड (ग) के उपखंड (i) में यथा निर्दिष्ट सदस्य होगा ।"।

धारा 245थ का संशोधन ।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 245थ की उपधारा (1) में, "या सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय 5 के अधीन" शब्दों का, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28ङक के अधीन अग्रिम विनिर्णय संबंधी सीमाशुल्क प्राधिकरण की नियुक्ति की तारीख से लोप हो जाएगा ।

1962 का 52

धारा 253 का संशोधन ।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (1) के खंड (क) में, "धारा 271क" शब्द, अंकों और अक्षर के पश्चात्, ", धारा 271ञ" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 271चक का संशोधन ।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 271चक में,—

(क) "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 276गग का संशोधन ।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 276गग के परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (ख) में, "उसके द्वारा संदेय कर" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय कर, जो कोई कंपनी नहीं है" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 286 का संशोधन ।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 286 में,—

(क) उपधारा (2) में, "सुसंगत लेखांकन वर्ष की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उसके पूर्व" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उक्त रिपोर्ट किए जाने वाले लेखांकन वर्ष से बारह मास की अवधि के भीतर" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2017 से रखे गए समझे जाएंगे;

(ख) उपधारा (3) में, "उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् "और उपधारा (4)" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4) में,—

(i) "निर्दिष्ट रिपोर्ट" शब्दों के पश्चात्, "को इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) को उसके खंड (कक) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खंड (कक) के पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) जहां मूल अस्तित्व उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति की रिपोर्ट फाइल करने के लिए बाध्य न हो ;";

(घ) उपधारा (5) में,—

(i) आरंभिक भाग में, "उपधारा (2) में" शब्दों के स्थान पर "उस देश या राज्यक्षेत्र द्वारा" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2017 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ii) खंड (ङ) में "अस्तित्वों" शब्द के स्थान पर "अस्तित्व" शब्द रखा जाएगा और 1 अप्रैल, 2017 से रखा गया समझा जाएगा;

(ङ) उपधारा (9) में,—

(अ) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और 1 अप्रैल, 2017 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'(ख) "करार" से निम्नलिखित सभी करारों का संयोजन अभिप्रेत है,—

(i) धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90क की उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई करार ; और

(ii) उपधारा (2) और उपधारा (4) में निर्दिष्ट रिपोर्ट के आदान-प्रदान के लिए और केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई करार ;';

(आ) खंड (घ) के उपखंड (iii) में, "खंड (i) या खंड (ii)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "उपखंड (i) या उपखंड (ii)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2017 से रखे गए समझे जाएंगे;

(इ) खंड (ज) की दीर्घ पंक्ति में, "खंड (i) या खंड (ii)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "उपखंड (i) या उपखंड (ii)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2017 से रखे गए समझे जाएंगे;

(ई) खंड (ञ) में, "उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "उपधारा (2) और उपधारा (4)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2017 से रखे गए समझे जाएंगे।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

कतिपय अन्य पदों से कतिपय पदों के प्रतिनिर्देशों का प्रतिस्थापन ।

54. संपूर्ण सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) में, ''आयात सूची'' और ''निर्यात सूची'' शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः ''आगमन सूची या आयात सूची'' और ''प्रस्थान सूची या निर्यात सूची'' शब्द रखे जाएंगे और ऐसे अन्य पारिणामिक संशोधन, जो व्याकरण के नियमों में अपेक्षित हों, भी किए जाएंगे । 1962 का 52

धारा 1 का संशोधन ।

55. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) में, ''संपूर्ण भारत पर है'' शब्दों के पश्चात्, ''और, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए उसके अधीन किसी अपराध या उल्लंघन को भी लागू होगा'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 2 का संशोधन ।

56. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 2 में,—

(i) खंड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(2) ''निर्धारण'' से इस अधिनियम के अधीन या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, निम्नलिखित के प्रति निर्देश से किसी माल की शुल्क्यता और इस प्रकार संदेय शुल्क, कर, उपकर या कोई अन्य राशि, यदि कोई हो, का अवधारण अभिप्रेत है :— 1975 का 51

(क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित ऐसे माल का टैरिफ वर्गीकरण;

(ख) इस अधिनियम और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित ऐसे माल का मूल्य ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके लिए जारी की गई किसी अधिसूचना के परिणामस्वरूप शुल्क, कर, उपकर या किसी अन्य राशि से छूट या रियायत ;

(घ) जहां ऐसा शुल्क, कर, उपकर या कोई अन्य राशि, ऐसे माल की मात्रा, भार, आयतन, मापमान या अन्य विनिर्देशों के आधार पर उद्ग्रहणीय है, वहां मात्रा, भार, आयतन, मापमान या अन्य विनिर्देश ;

(ङ) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अवधारित ऐसे माल का उद्गम, यदि शुल्क, कर, उपकर की रकम या कोई अन्य राशि, ऐसे माल के उद्गम द्वारा प्रभावित होती है ;

(च) कोई अन्य विनिर्दिष्ट कारक, जो ऐसे माल पर संदेय शुल्क, कर, उपकर की रकम या किसी अन्य राशि को प्रभावित करता है ;

और इसके अंतर्गत अनंतिम निर्धारण, स्वःनिर्धारण, पुनः निर्धारण और कोई अन्य निर्धारण भी है, जिसमें निर्धारित शुल्क शून्य है ;'।

(ii) खंड (6) में, ''केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड'' शब्दों के स्थान पर, ''केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड'' शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (28) में, ''धारा 5 के अधीन भारत के स्पर्शी क्षेत्र'' शब्दों के स्थान पर, ''धारा 7 में यथा परिभाषित अनन्य आर्थिक जोन'' शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) खंड (30क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(30कक) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और तदनुसार ''अधिसूचित'' पद का, इसके सजातीय अर्थ और व्याकरणीय रूपभेदों के साथ अर्थ लगाया जाएगा ;'।

धारा 11 का संशोधन।

57. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के पश्चात्, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम या जारी किसी आदेश या अधिसूचना में उपबंधित किसी माल या माल के वर्ग के आयात या निर्यात या उसकी निकासी से संबंधित कोई प्रतिषेध या निर्बंधन या बाध्यता उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन केवल तभी निष्पादित होगा, यदि ऐसा प्रतिषेध या निर्बंधन या बाध्यता इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसे अपवादों, उपांतरणों या अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार ठीक समझे, अधिसूचित किया जाता है ।''।

58. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 17 में,— धारा 17 का संशोधन ।

(i) उपधारा (2) में,—

(क) ''ऐसे माल के स्वतः निर्धारण,'' शब्दों के स्थान पर, ''धारा 46 या धारा 50 के अधीन की गई प्रविष्टियां और उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल के स्वतः निर्धारण'' शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु सत्यापन के लिए मामलों का चयन मुख्यतः समुचित चयन मानदंड के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।'';

(ii) उपधारा (3) में, ''स्वतः निर्धारण के सत्यापन'' शब्दों के स्थान पर, ''सत्यापन के प्रयोजनों'' शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (5) में, ''इस अधिनियम के अधीन उसके लिए जारी की गई किसी अधिसूचना के परिणामस्वरूप प्राप्त माल के मूल्यांकन, वर्गीकरण, शुल्क से छूट या रियायतों की बाबत'' शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iv) उपधारा (6) का लोप किया जाएगा ।

59. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 18 में,— धारा 18 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) के आरंभिक भाग में, ''धारा 46'' शब्द और अंकों के पश्चात्, ''और धारा 50'' शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''(1क) जहां उपधारा (1) के अधीन अनंतिम निर्धारण के अनुसरण में, यदि अंतिम निर्धारण के लिए, उचित अधिकारी द्वारा किसी दस्तावेज या जानकारी की अपेक्षा की जाती है, वहां, यथास्थिति, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता, ऐसे समय के भीतर, ऐसा दस्तावेज या जानकारी प्रस्तुत करेगा और उचित अधिकारी, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देगा ।'';

(iii) उपधारा (3) में, ''28कख'' अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''28कक'' अंक और अक्षर रखे जाएंगे और 8 अप्रैल, 2011 से, भूतलक्षी रूप से, रखे गए समझे जाएंगे ।

60. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :— नई धारा 25क और धारा 25ख का अंतःस्थापन ।

माल का आवक प्रसंस्करण ।

''25क. जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, अधिसूचना द्वारा, ऐसे माल को छूट प्रदान कर सकेगी, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क या उसके भाग से ऐसी मरम्मत, अतिरिक्त प्रसंस्करण या विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, आयात किया गया है, अर्थात् :—

(क) माल का, यथास्थिति, ऐसी मरम्मत, अतिरिक्त प्रसंस्करण या विनिर्माण के पश्चात्, उस तारीख से, जिसको आयातित माल की निकासी के लिए आदेश दिया जाता है, एक वर्ष की अवधि के भीतर पुनः निर्यात किया जाएगा;

(ख) आयातित माल, निर्यातित माल में पहचान योग्य है; और

(ग) ऐसी अन्य शर्तें, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

माल का जावक प्रसंस्करण ।

25ख. धारा 20 में किसी बात के होते हुए भी, जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, अधिसूचना द्वारा, ऐसे माल को छूट प्रदान कर सकेगी, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क या उसके भाग से ऐसी मरम्मत, अतिरिक्त प्रसंस्करण या विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, निर्यात किए जाने के पश्चात् पुनः आयात किया जाता है, अर्थात् :—

(क) माल का, यथास्थिति, ऐसी मरम्मत, अतिरिक्त प्रसंस्करण या विनिर्माण के पश्चात् उस तारीख से, जिसको निर्यात के लिए उसकी निकासी को अनुज्ञात करने का आदेश किया जाता है, एक वर्ष की अवधि के भीतर भारत में पुनः आयात किया जाएगा ;

(ख) निर्यातित माल, पुनः आयातित माल में पहचान योग्य है ; और

(ग) ऐसी अन्य शर्तें, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं ।''।

61. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 में,— धारा 28 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) के खंड (क) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु सूचना जारी करने से पूर्व, उचित अधिकारी, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति के साथ, जो शुल्क या ब्याज से प्रभार्य है, सूचना-पूर्व परामर्श करेगा ।'';

(ii) उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''(7क) उपधारा (1) के खंड (क) में और उपधारा (4) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, उचित अधिकारी ऐसी परिस्थितियों के अधीन तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनुपूरक सूचना जारी कर सकेगा और इस धारा के उपबंध ऐसी अनुपूरक सूचना को इस प्रकार लागू होंगे मानो यह उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन जारी की गई थी ।'';

(iii) उपधारा (9) में,—

(क) ''जहां ऐसा करना संभव हो'' शब्दों का, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा ;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

''परंतु जहां उचित अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा अवधारण करने में असफल रहता है, वहां उचित अधिकारी की पंक्ति का कोई ज्येष्ठ अधिकारी उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिनके अधीन उचित अधिकारी को उपधारा (8) के अधीन शुल्क या ब्याज की रकम का अवधारण करने से रोका गया था, खंड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि को छह मास की और अवधि तथा खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अवधि को एक वर्ष की और अवधि तक बढ़ा सकेगा :

परंतु यह और कि जहां उचित अधिकारी ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर अवधारण करने में असफल रहता है, वहां ऐसी कार्यवाही इस प्रकार समाप्त हुई समझी जाएगी मानो कोई सूचना जारी ही न की गई हो ।'';

(iv) उपधारा (9) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''(9क) उपधारा (9) में किसी बात के होते हुए भी, जहां उचित अधिकारी निम्नलिखित कारणों से उपधारा (8) के अधीन शुल्क या ब्याज की रकम का अवधारण करने में असमर्थ रहता है, वहां—

(क) उसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के वैसे ही विषय में अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई अपील लंबित है ; या

(ख) अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक का अंतरिम आदेश जारी किया गया है ; या

(ग) बोर्ड ने वैसे ही मामले में विनिर्दिष्ट निदेश या आदेश जारी किया है या ऐसे मामले को लंबित रखा है; या

(घ) समझौता आयोग ने संबद्ध व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन को स्वीकार कर लिया है,

वहां उचित अधिकारी उपधारा (8) के अधीन शुल्क या ब्याज की रकम का अवधारण न करने के कारण संबंधित व्यक्ति को सूचित करेगा और ऐसे मामले में उपधारा (9) में विनिर्दिष्ट समय, सूचना की तारीख से लागू नहीं होगा अपितु उस तारीख से लागू होगा, जब ऐसा कारण विद्यमान नहीं रहता है ।'';

(v) उपधारा (10) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

''(10क) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिदाय के किसी आदेश का किसी अपील में उपांतरण कर दिया जाता है और इस प्रकार अवधारित प्रतिदाय की रकम, उक्त उपधारा के अधीन प्रतिदाय की गई रकम से कम है, वहां इस प्रकार प्रतिदाय की गई अधिक रकम का, प्रतिदाय की तारीख से वसूली की तारीख तक, धारा 28कक के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत दर पर, उस पर ब्याज सहित सरकार को देय राशि के रूप में वसूल किया जाएगा ।

(10ख) उपधारा (4) के अधीन जारी किसी सूचना को उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा, यदि शुल्क की मांग करने वाली ऐसी सूचना, इस कारण से कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके लिए ऐसी सूचना जारी की गई थी, शुल्क के अपवंचन के लिए दुरभिसंधि या जानबूझकर किया गया कोई मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाए जाने के आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में, जिसके अंतर्गत अपील का कोई प्रक्रम भी है, मान्य नहीं ठहराई जाती है और तदनुसार शुल्क की रकम और उस पर ब्याज की संगणना की जाएगी ।'';

(vi) स्पष्टीकरण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''**स्पष्टीकरण 4**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि ऐसे मामलों, जहां अननुद्ग्रहण, असंदाय, कम उद्ग्रहण या कम संदाय या भूल से प्रतिदाय के लिए सूचना 14 मई, 2015 के पश्चात्, किंतु उस तारीख से पूर्व, जिसको वित्त विधेयक, 2018 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, जारी की गई है, वहां वे धारा 28 के उपबंधों द्वारा वैसे ही शासित होते रहेंगे, जैसे वे उस तारीख से, जिसको ऐसी अनुमति प्राप्त होती है, ठीक पूर्व विद्यमान थे ।''।

धारा 28ङ का संशोधन ।

62. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ङ में,—

(i) खंड (क) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ख) ''अग्रिम विनिर्णय'' से आवेदक द्वारा, किसी माल के संबंध में, उसके आयात या निर्यात के पूर्व, उसके आवेदन में उद्भूत धारा 28ग में निर्दिष्ट प्रश्नों में से किसी प्रश्न का लिखित विनिश्चय अभिप्रेत है ;';

(iii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1961 का 43

'(खक) ''अपील प्राधिकरण'' से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245ण के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण अभिप्रेत है ;';

(iv) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ग) ''आवेदक'' से,—

1992 का 22

(i) विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 7 के अधीन दिया गया विधिमान्य आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड संख्यांक धारण करने वाला ; या

(ii) भारत को किसी माल का निर्यात करने वाला ; या

(iii) प्राधिकरण के समाधानप्रद रूप में उचित हेतुक के साथ,

कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने धारा 28ज के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए कोई आवेदन किया है ;';

(v) खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ङ) ''प्राधिकरण'' से धारा 28ङक के अधीन गठित सीमाशुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण अभिप्रेत है ;';

(vi) खंड (च) में, ''प्राधिकरण'' शब्द के स्थान पर, ''अपील प्राधिकरण'' शब्द रखे जाएंगे ;

(vii) खंड (छ) में, ''प्राधिकरण'' शब्द के स्थान पर, ''अपील प्राधिकरण'' शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 28ङक का अंतःस्थापन ।

63. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ङ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

सीमाशुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण।

''28ङक. (1) बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अग्रिम विनिर्णय देने के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा, सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त की पंक्ति के किसी अधिकारी को सीमाशुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा :

1961 का 43

परंतु सीमाशुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी नियुक्त करने की तारीख तक, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245ण के अधीन गठित विद्यमान अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अग्रिम विनिर्णय देने के लिए प्राधिकरण बना रहेगा ।

(2) प्राधिकरण के कार्यालय नई दिल्ली और ऐसे अन्य स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे, जैसा बोर्ड ठीक समझे।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा ।''।

धारा 28च का संशोधन ।

64. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28च में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) आरम्भिक भाग में, ''इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अग्रिम विनिर्णय देने के लिए प्राधिकरण होगा और उक्त प्राधिकरण'' शब्दों के स्थान पर, ''इस अध्याय के अधीन अपील का विनिश्चय करने के लिए अपील प्राधिकरण होगा और उक्त अपील प्राधिकरण'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक में, ''प्राधिकरण'' शब्द के स्थान पर, ''अपील प्राधिकरण'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''(3) सीमाशुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण की नियुक्ति की तारीख से ही, तत्कालीन अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के समक्ष लंबित प्रत्येक आवेदन और कार्यवाही, उसी प्रक्रम से प्राधिकरण को अंतरित हो जाएगी, जिस पर ऐसा आवेदन या कार्यवाही ऐसी नियुक्ति की तारीख को विद्यमान थी ।''।

धारा 28ज का संशोधन ।

65. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ज में,—

(i) उपधारा (2) में,—

(क) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

1975 का 51

''(घ) इस अधिनियम या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन कर या शुल्कों के संबंध में जारी अधिसूचनाओं का लागू होना या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी कर या शुल्क का उसी रीति में प्रभार्य होना, जैसे इस अधिनियम के अधीन सीमाशुल्क उद्ग्रहणीय है ;'';

(ख) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(च) कोई अन्य विषय, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।'';

(ii) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'(5) आवेदक भारत में निवासी किसी ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर सकेगा, जिसने उसे इस निमित्त प्राधिकृत किया है ।

1961 का 43

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''निवासी'' का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (42) में उसका है ।'।

धारा 28झ का संशोधन।

66. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28झ की उपधारा (6) में, ''छह मास'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन मास'' शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 28ट का संशोधन।

67. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ट की उपधारा (1) में,—

(i) ''(ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली और इस उपधारा के अधीन किए गए आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को छोड़ने के पश्चात्)'' कोष्ठकों और शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु अग्रिम विनिर्णय के मद्दे उद्गृहीत नहीं किए गए, कम उद्गृहीत किए गए, संदाय नहीं किए गए या कम संदाय किए गए किसी शुल्क की वसूली हेतु सूचना की तामील के लिए, धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट दो वर्ष की अवधि या उसकी उपधारा (4) में निर्दिष्ट पांच वर्ष की अवधि की संगणना में, ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तारीख से आरंभ होने वाली और इस उपधारा के अधीन आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को अपवर्जित किया जाएगा ।''।

नई धारा 25टक का अंतःस्थापन ।

68. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ट के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे, अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अपील ।

''28टक. (1) बोर्ड द्वारा, अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या आवेदक, प्राधिकरण द्वारा पारित किसी विनिर्णय या आदेश के विरुद्ध, अपील प्राधिकरण को, ऐसे विनिर्णय या आदेश की संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, अपील फाइल कर सकेगा :

परंतु जहां अपील प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था, वहां वह ऐसी अपील फाइल करने के लिए तीस दिन की और अवधि अनुज्ञात कर सकेगा ।

(2) इस धारा के अधीन अपील के लिए, धारा 28झ और धारा 28ञ के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे ।''।

धारा 28ठ का संशोधन ।

69. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ठ में, ''प्राधिकरण'' शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है,''प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण'' शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 28ड के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

70. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ड के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण के लिए प्रक्रिया ।

''28ड. (1) प्राधिकरण ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विहित की जाए ।

(2) अपील प्राधिकरण को, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों और प्राधिकार के प्रयोग से उद्‌भूत सभी विषयों में अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी ।''।

71. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) में,— धारा 30 का संशोधन।

(i) ''आयातित माल'' शब्दों के पश्चात्, ''या निर्यातित माल'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) ''विहित प्ररूप में'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए'' शब्द रखे जाएंगे।

72. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) में,— धारा 41 का संशोधन।

(i) ''निर्यातित माल'' शब्दों के पश्चात्, ''या आयातित माल'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) ''विहित प्ररूप में'' शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, और यदि भारसाधक व्यक्ति ऐसे समय के भीतर प्रस्थान सूची या आयात सूची या निर्यात सूची या उसका कोई भाग देने में असफल रहता है और उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विलंब का कोई पर्याप्त कारण नहीं था, तो ऐसा भारसाधक व्यक्ति पचास हजार रुपए से अनधिक शास्ति का संदाय करने का दायी होगा''।

73. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (2) के खंड (ख) में, ''उचित अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के अधीन'' शब्दों के पश्चात्, ''या ऐसी रीति में, जो विहित की जाए'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 45 का संशोधन ।

74. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 में,— धारा 46 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में,—

(क) ''इलैक्ट्रानिक रूप में'' शब्दों के पश्चात्, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं ''सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली पर'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) ''विहित प्ररूप में'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) के पहले परंतुक में, ''तारीख के तीस दिन के भीतर'' शब्दों के स्थान पर, ''तारीख के पूर्व तीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर किसी समय'' शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (4) में, ''आयातित माल से संबंधित'' शब्दों के स्थान पर, ''और आयातित माल से संबंधित ऐसे अन्य दस्तावेज, जो विहित किए जाएं'' शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''(4क) ऐसा आयातकर्ता, जो प्रवेश पत्र पेश करता है, निम्नलिखित को सुनिश्चित करेगा, अर्थात् :—

(क) उसमें दी गई जानकारी की शुद्धता और पूर्णता ;

(ख) उसका समर्थन करने वाले किसी दस्तावेज की प्रमाणिकता और विधिमान्यता ; और

(ग) इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन माल के संबंध में निर्बंधन या प्रतिषेध, यदि कोई हो, की पालना ।''।

75. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) के परंतुक में, ''परंतु'' शब्द के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 47 का संशोधन ।

''परंतु ऐसा आदेश, समुचित चयन मापदंड के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन के आधार पर सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से भी किया जा सकेगा :

परंतु यह और कि'' ।

76. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 50 में,— धारा 50 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में,—

(क) ''इलैक्ट्रानिक रूप से'' शब्दों के पश्चात्, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं ''सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली पर'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) ''विहित प्ररूप में'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''(3) ऐसा निर्यातकर्ता, जो इस धारा के अधीन पोतपत्र या निर्यातपत्र पेश करता है, निम्नलिखित को सुनिश्चित करेगा, अर्थात् :—

(क) उसमें दी गई जानकारी की शुद्धता और पूर्णता ;

(ख) उसका समर्थन करने वाले किसी दस्तावेज की प्रमाणिकता और विधिमान्यता ; और

(ग) इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन माल के संबंध में निर्बंधन या प्रतिषेध, यदि कोई हो, की पालना ।''।

धारा 51 का संशोधन ।

77. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के परंतुक में, ''परंतु'' शब्द के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु ऐसा आदेश, समुचित चयन मापदंड के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन के आधार पर सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से भी किया जा सकेगा :

परंतु यह और कि'' ।

नए अध्याय 7क का अंतःस्थापन ।

78. सीमाशुल्क अधिनियम में अध्याय 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''**अध्याय 7क**

इलैक्ट्रानिक नकद खाते के माध्यम से संदाय

शुल्क, ब्याज, शास्ति आदि का संदाय ।

51क. (1) इस अधिनियम के अधीन या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा, संदाय की प्राधिकृत रीति का उपयोग करते हुए, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, संदेय शुल्क, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य राशि के मद्दे किया गया प्रत्येक निक्षेप, ऐसे व्यक्ति के, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनुरक्षित इलैक्ट्रानिक नकद खाते में, जमा किया जाएगा । 1975 का 51

(2) इलैक्ट्रानिक नकद खाते में उपलब्ध रकम का उपयोग, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इस अधिनियम या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अधीन संदेय शुल्क, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य राशि के मद्दे कोई संदाय करने के लिए किया जा सकेगा । 1975 का 51

(3) संदेय शुल्क, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य राशि का संदाय करने के पश्चात्, इलैक्ट्रानिक नकद खाते में के अतिशेष का ऐसी रीति में प्रतिदाय किया जा सकेगा, जो विहित की जाए ।

(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, अधिसूचना द्वारा, ऐसे वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किए गए निक्षेपों से या माल के ऐसे प्रवर्गों के संबंध में, जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, इस धारा के सभी या किन्ही उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगा ।''।

धारा 54 का संशोधन ।

79. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (1) में,—

(i) ''विहित प्ररूप में'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) परंतुक में, ''विहित प्ररूप में'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए'' शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 60 का संशोधन ।

80. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु ऐसा आदेश, समुचित चयन मापदंड के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन के आधार पर सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से भी किया जा सकेगा ।''।

धारा 68 का संशोधन ।

81. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 68 में,—

(क) पहले परंतुक में, ''परंतु'' शब्द के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु खंड (ग) में निर्दिष्ट आदेश, समुचित चयन मापदंड के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन के आधार पर सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से भी किया जा सकेगा :

परंतु यह और कि'' ।

(ख) दूसरे परंतुक में, ''परंतु यह और कि'' शब्दों के स्थान पर, ''परंतु यह भी कि'' शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 69 का संशोधन ।

82. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु खंड (ग) में निर्दिष्ट आदेश, समुचित चयन मापदंड के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन के आधार पर सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से भी किया जा सकेगा ।''।

धारा 74 का संशोधन ।

83. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 74 की उपधारा (1) के खंड (iii) में, ''धारा 82'' शब्द और अंकों के स्थान पर, ''धारा 84 के खंड (क)'' शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 75 का संशोधन ।

84. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 75 की उपधारा (1) में, ''धारा 82'' शब्द और अंकों के स्थान पर, ''धारा 84 के खंड (क)'' शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

अध्याय शीर्ष का संशोधन ।

85. सीमाशुल्क अधिनियम के अध्याय 11 के शीर्ष में ''डाक द्वारा'' शब्दों के स्थान पर, ''डाक, कुरियर द्वारा'' शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 83 का संशोधन ।

86. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 83 में,—

(क) ''डाक'' शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, ''डाक या कुरियर'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) ''डाक प्राधिकारी'' शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, ''डाक प्राधिकारी या प्राधिकृत कुरियर'' शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 84 का संशोधन ।

87. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 84 में, ''डाक'' शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, ''डाक या कुरियर'' शब्द रखे जाएंगे ।

नए अध्याय 12क का अंतःस्थापन ।

88. सीमाशुल्क अधिनियम के अध्याय 12 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'अध्याय 12क

संपरीक्षा

संपरीक्षा ।

99क. उचित अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन ऐसे आयातित माल या निर्यातित माल के या ऐसे व्यक्ति के, जिसकी संपरीक्षा की गई है, कार्यालय में या उसके परिसर में, निर्धारण की, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संपरीक्षा कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''कोई व्यक्ति, जिसकी संपरीक्षा की गई है से'' ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस धारा के अधीन किसी संपरीक्षा के अध्यधीन है और इसके अंतर्गत धारा 45 के अधीन अनुमोदित कोई आयातकर्ता या निर्यातकर्ता या अभिरक्षक या किसी भांडागार का अनुज्ञप्तिधारी और कोई अन्य ऐसा व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आयातित माल या निर्यातित माल की निकासी, अग्रेषण, स्टाकिंग, वहन, विक्रय या क्रय से संबंधित है, भी है ।'।

नई धारा 109क का अंतःस्थापन ।

89. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 109 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नियंत्रित परिदान करने की शक्ति ।

'109क. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उचित अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे माल के किसी पारेषण का,—

(क) भारत में किसी गंतव्य स्थान के लिए ; या

(ख) विदेश के लिए, ऐसे देश के सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से, जो पारेषण का गंतव्य है,

नियंत्रित परिदान कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''नियंत्रित परिदान'' से इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या उल्लंघन के किए जाने में अंतर्वलित व्यक्तियों की पहचान करने के लिए उचित अधिकारी की जानकारी में या उसके पर्यवेक्षणाधीन, ऐसे माल के पारेषण को, भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर या उसके भीतर भेजने के लिए अनुज्ञात करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है ।'।

धारा 110 का संशोधन ।

90. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 110 की उपधारा (2) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

''परंतु सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसी अवधि को छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को सूचित कर सकेगा, जिससे इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व ऐसे माल का अभिग्रहण किया गया था :

परंतु यह और कि जहां अभिगृहीत माल की अनंतिम निर्मुक्ति का कोई आदेश धारा 110क के अधीन पारित किया गया है, वहां छह मास की विनिर्दिष्ट अवधि लागू नहीं होगी ।"।

धारा 122 का संशोधन ।

91. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 122 के खंड (ख) और खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) ऐसे अधिकारियों द्वारा, उस सीमा तक, जो बोर्ड, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।"।

धारा 124 का संशोधन ।

92. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 124 के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि इस धारा के अधीन सूचना जारी किए जाने पर भी उचित अधिकारी ऐसी परिस्थितियों के अधीन और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कोई अनुपूरक सूचना जारी कर सकेगा ।"।

धारा 125 का संशोधन ।

93. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 125 में,—

(i) उपधारा (1) के परंतुक में, "परन्तु" शब्द के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां ऐसे माल के संबंध में, जो प्रतिषिद्ध या निर्बंधित नहीं है, कार्यवाहियां धारा 28 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन या उस धारा की उपधारा (6) के खंड (i) के अधीन बंद की गई समझी गई हैं, वहां इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे :

परंतु यह और कि";

(ii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) जहां, उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित जुर्माना, उसके अधीन दी गई विकल्प की तारीख से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर संदत्त नहीं किया गया है, वहां ऐसा विकल्प, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील के लंबित रहने तक शून्य हो जाएगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उस तारीख से पूर्व, जिसको वित्त अधिनियम, 2018 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, पारित किया गया है और उस तारीख को ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील लंबित नहीं है, वहां उक्त उपधारा के अधीन विकल्प का प्रयोग उस तारीख से, जिसको ऐसी अनुमति प्राप्त होती है, एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर किया जा सकेगा ।"।

धारा 128क का संशोधन ।

94. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 128क की उपधारा (3) में, "जो आवश्यक हो, जिस विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसकी प्रविष्टि, उसका उपांतरण या उसे बातिल करते हुए, ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह न्यायसंगत और उचित समझे" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'जो आवश्यक हो,—

(क) जिस विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसकी प्रविष्टि, उसका उपांतरण या उसे बातिल करते हुए ; या

(ख) निम्नलिखित मामलों में, अर्थात् :—

(i) जहां कोई आदेश या विनिश्चय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण किए बिना पारित किया गया है ; या

(ii) जहां धारा 17 के अधीन पुनःनिर्धारण के पश्चात् कोई आदेश या विनिश्चय पारित नहीं किया गया है; या

(iii) जहां आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर कोई निष्कर्ष अभिलिखित किए बिना निधि में धनराशि जमा करते हुए धारा 27 के अधीन प्रदाय का कोई आदेश जारी किया गया है,

यथास्थिति, नए सिरे से न्यायनिर्णयन या विनिश्चय करने के निदेशों के साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को मामला वापस निर्दिष्ट करते हुए,

ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह न्यायसंगत और उचित समझे ।"।

नई धारा 143कक का अंतःस्थापन ।

95. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 143 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

व्यापार को सुकर बनाने के लिए सरलीकरण करने की शक्ति या विभिन्न प्रक्रियाओं आदि का उपबंध करना ।

"143कक. इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड, व्यापार को सुकर बनाने के प्रयोजनों के लिए,—

(क) आयात और निर्यात के प्रलेखीकरण में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से ; या

(ख) आयात और निर्यात के लिए प्रविष्ट माल की निकासी या उसे छोड़े जाने को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से ; या

(ग) आयात किए जाने वाले या निर्यात किए जाने वाले माल की निकासी की परिवहन लागत को कम करने के उद्देश्य से ; या

(घ) सीमाशुल्क नियंत्रण और विधिसम्मत व्यापार को सुकर बनाने के मध्य संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से,

ऐसे उपाय कर सकेगा या सरल या भिन्न-भिन्न प्रक्रिया विहित कर सकेगा या आयातकर्ताओं या निर्यातकर्ताओं के किसी वर्ग के लिए या माल के प्रवर्गों के लिए या माल के परिवहन के ढंग के आधार पर प्रलेखीकरण कर सकेगा।''।

96. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 151क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 151ख का अंतःस्थापन ।

'151ख. (1) केंद्रीय सरकार, व्यापार को सुकर बनाने के लिए, भारत के बाहर किसी देश की सरकार के साथ या उस देश के ऐसे सक्षम प्राधिकारियों के साथ, जिन्हें वह ठीक समझे, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या उस देश में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन व्यापार को सुकर बनाने या प्रभावी जोखिम विश्लेषण, अनुपालन के सत्यापन और अपराधों के निवारण, रोकथाम और अन्वेषण के लिए सूचना के आदान-प्रदान हेतु, कोई करार या कोई अन्य ठहराव कर सकेगी । व्यापार को सुकर बनाने हेतु सूचना के आदान-प्रदान के लिए पारस्परिक ठहराव ।

(2) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस धारा के उपबंध, ऐसी शर्तों, अपवादों या अर्हताओं के, जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, अधीन रहते हुए, ऐसे संविदाकारी राज्य को लागू होंगे, जिनके साथ पारस्परिक करार या ठहराव किया गया है ।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के अधीन प्राप्त सूचना का भी, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण और कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा ।

(4) जहां केंद्रीय सरकार ने पहचान किए गए मामलों में अनुपालन के सत्यापन के प्रयोजन के लिए सूचना या दस्तावेजों के आदान-प्रदान के लिए कोई बहुपक्षीय करार किया है, वहां बोर्ड, ऐसे आदान-प्रदान की प्रक्रिया, ऐसी शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए ऐसा आदान-प्रदान किया जाएगा, और उस व्यक्ति का पदनाम, जिसके माध्यम से ऐसी सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा, विहित करेगा ।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार द्वारा, उस तारीख से पूर्व, जिसको वित्त विधेयक, 2018 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, किए गए किसी करार या किए गए किसी अन्य समझौते के अनुसरण में की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई इस धारा के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) ''संविदाकारी राज्य'' पद से भारत के बाहर का कोई ऐसा देश अभिप्रेत है, जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा, ऐसे देश की सरकार या प्राधिकारी के साथ किसी करार के माध्यम से या उससे अन्यथा ठहराव किए गए हैं ;

(ii) ''तत्स्थानी विधि'' से किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कोई ऐसी विधि अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के तत्समान है या जो उस देश में ऐसे अपराधों के संबंध में कार्रवाई करती है, जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अपराधों के तत्समान है ।'।

97. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 153 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 153 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

''153. (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी आदेश, विनिश्चय, समन, सूचना या किसी अन्य संसूचना की तामील निम्नलिखित रीतियों में से किसी रीति से की जा सकेगी, अर्थात् :— सूचना, आदेश आदि की तामील की रीतियां ।

(क) प्रेषिती या आयातकर्ता या निर्यातकर्ता या उसके सीमाशुल्क दलाल या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को, जिसके अंतर्गत कर्मचारी, अधिवक्ता या कोई अन्य व्यक्ति भी है या उसके साथ निवास करने वाले उसके कुटुंब के किसी वयस्क सदस्य को प्रत्यक्षतः देकर या निविदत्त करके ;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके लिए इसे जारी किया गया है, या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को, यदि कोई हो, उसके कारबार के अंतिम ज्ञात स्थान पर या उसके निवास स्थान पर, रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा या कुरियर द्वारा ;

(ग) उसे ऐसे ई-मेल पते पर भेजकर, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे यह जारी किया गया है, उपलब्ध करवाया गया है या ऐसे व्यक्ति के किसी सरकारी पत्राचार में उपलब्ध ई-मेल पते पर ; या

(घ) उस परिक्षेत्र में, जिसमें ऐसा व्यक्ति, जिसके लिए वह जारी की गई है, अंतिम जानकारी के अनुसार निवास कर रहा है या कारबार कर रहा है, व्यापक रूप से परिचालित किसी समाचारपत्र में उसे प्रकाशित करके; या

(ङ) ऐसे व्यक्ति के, जिसके लिए वह जारी की गई है, कारबार के अंतिम ज्ञात स्थान के या निवास स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाकर, और यदि किसी कारण से ऐसी रीति व्यवहार्य नहीं है तो उसकी एक प्रति कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगाकर या सरकारी वेबसाइट पर, यदि कोई हो, अपलोड करके ।

(2) प्रत्येक आदेश, विनिश्चय, समन, सूचना या कोई संसूचना उस तारीख को तामील हुई समझी जाएगी, जिसको यह उपधारा (1) में उपबंधित रीति में निविदत्त या प्रकाशित की जाती है या उसकी प्रति लगाई या अपलोड की जाती है ।

(3) जब ऐसा आदेश, विनिश्चय, समन, सूचना या कोई संसूचना रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाती है तो जब तक प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसी डाक के सामान्यतया अभिवहन में ली गई अवधि की समाप्ति पर प्रेषिती द्वारा प्राप्त की गई समझी जाएगी ।"।

धारा 157 का संशोधन ।

98. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 157 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) में, "प्ररूप" शब्द के पश्चात् "और परिदत्त या प्रस्तुत करने की रीति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(घ) अनन्तिम निर्धारण को अंतिम रूप देने का समय और रीति ;

(ङ) सूचना-पूर्व परामर्श करने की रीति ;

(च) वे परिस्थितियां जिनके अधीन और वह रीति जिसमें अनुपूरक सूचना जारी की जा सकेगी ;

(छ) वह प्ररूप और रीति, जिसमें अध्याय 5ख के अधीन अग्रिम विनिर्णय या अपील के लिए आवेदन किया जाएगा और प्राधिकरण के लिए प्रक्रिया ;

(ज) आयातित माल या निर्यातित माल की निकासी या हटाए जाने की रीति ;

(झ) आयातित माल के संबंध में दिए जाने वाले दस्तावेज ;

(ञ) इलैक्ट्रानिक नकद खाते में निक्षेप करने और उसका उपयोजन और उससे प्रतिदाय की शर्तें, निर्बंधन और रीति और ऐसा खाता बनाए रखने की रीति ;

(ट) संपरीक्षा करने की रीति ;

(ठ) नियंत्रित परिदान के लिए माल और उसकी रीति ;

(ड) आयातकर्ताओं या निर्यातकर्ताओं के किसी वर्ग या माल के प्रवर्गों के लिए या माल के परिवहन के ढंग के आधार पर उपाय या उसके लिए पृथक् प्रक्रियाएं या प्रलेखीकरण ।"।

सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (12) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी संशोधन ।

1962 का 52
1975 का 51

99. (1) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, का संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 850(अ), तारीख 8 जुलाई, 2017, सभी प्रयोजनों के लिए, 1 जुलाई, 2017 से ही प्रवृत्त हुई और सदैव प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

(2) ऐसे समस्त एकीकृत कर का प्रतिदाय किया जाएगा जो संगृहीत किया गया है किंतु जो संगृहीत नहीं किया जाता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होता :

परंतु एकीकृत कर के दावे के लिए आवेदन उस तारीख से जिसको वित्त विधेयक, 2018 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

सीमाशुल्क टैरिफ

1975 का 51 **100.** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में,— सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 का संशोधन ।

(i) उपधारा (7) में, ''उपधारा (8)'' शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर ''यथास्थिति, उपधारा (8) या उपधारा (8क)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: —

1962 का 52 '(8क) जहां सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अधीन किसी भांडागार में निक्षिप्त माल का, उक्त अधिनियम के अधीन घरेलू उपभोग या निर्यात के लिए निकासी से पूर्व किसी व्यक्ति को विक्रय कर दिया जाता है वहां उपधारा (7) के अधीन एकीकृत कर की संगणना के प्रयोजन के लिए ऐसे माल का मूल्य,—

(क) जहां संपूर्ण माल का विक्रय किया जाता है वहां ऐसे माल का उपधारा (8) के अधीन अवधारित मूल्य या संव्यवहार मूल्य, इनमें से जो भी उच्चतर हो, होगा ; या

(ख) जहां माल के किसी भाग का विक्रय किया जाता है, वहां उपधारा (8) के अधीन यथा अवधारित ऐसे माल का आनुपातिक मूल्य या ऐसे माल का संव्यवहार मूल्य, इनमें से जो भी उच्चतर हो, होगा :

परंतु जहां संपूर्ण भांडागारित माल या उसके किसी भाग का घरेलू उपभोग या निर्यात के लिए ऐसी निकासी से पूर्व एक से अधिक बार विक्रय किया जाता है, वहां ऐसे अंतिम संव्यवहार का संव्यवहार मूल्य खंड (क) या खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए संव्यवहार मूल्य होगा :

परंतु यह और कि ऐसे भांडागारित माल के संबंध में जो अविक्रीत हो, ऐसे माल के, यथास्थिति, मूल्य या आनुपातिक मूल्य का अवधारण उपधारा (8) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए भांडागारित माल के संबंध में ''संव्यवहार मूल्य'' पद से ऐसे माल के विक्रय के लिए प्रतिफल के रूप में संदत्त या संदेय रकम अभिप्रेत है ।';

(iii) उपधारा (9) में, ''उपधारा (10)'' शब्द, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, '', यथास्थिति, उपधारा (10) या उपधारा (10क)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iv) उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

1962 का 52 '(10क) जहां सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अधीन किसी भांडागार में निक्षिप्त माल का, उक्त अधिनियम के अधीन घरेलू उपभोग या निर्यात के लिए निकासी से पूर्व किसी व्यक्ति को विक्रय कर दिया जाता है वहां उपधारा (9) के अधीन माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर की संगणना के प्रयोजन के लिए ऐसे माल का मूल्य,—

(क) जहां संपूर्ण माल का विक्रय किया जाता है वहां ऐसे माल का उपधारा (10) के अधीन अवधारित मूल्य या संव्यवहार मूल्य, इनमें से जो भी उच्चतर हो, होगा ; या

(ख) जहां माल के किसी भाग का विक्रय किया जाता है, वहां उपधारा (10) के अधीन यथा अवधारित ऐसे माल का आनुपातिक मूल्य या ऐसे माल का संव्यवहार मूल्य, इनमें से जो भी उच्चतर हो, होगा :

परंतु जहां संपूर्ण भांडागारित माल या उसके किसी भाग का घरेलू उपभोग या निर्यात के लिए ऐसी निकासी से पूर्व एक से अधिक बार विक्रय किया जाता है, वहां ऐसे अंतिम संव्यवहार का संव्यवहार मूल्य खंड (क) या खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए संव्यवहार मूल्य होगा :

परंतु यह और कि ऐसे भांडागारित माल के संबंध में, जो अविक्रीत हो, ऐसे माल के, यथास्थिति, मूल्य या आनुपातिक मूल्य का अवधारण उपधारा (10) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए भांडागारित माल के संबंध में ''संव्यवहार मूल्य'' पद से ऐसे माल के विक्रय के लिए प्रतिफल के रूप में संदत्त या संदेय रकम अभिप्रेत है ।'।

101. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का,— पहली अनुसूची का संशोधन ।

(क) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ;

(ख) तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में भी संशोधन किया जाएगा ।

102. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम में,— दूसरी अनुसूची का संशोधन ।

(क) दूसरी अनुसूची में, टिप्पण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''4. ऐसे माल के संबंध में, जो इस अनुसूची के स्तंभ (2) के अधीन नहीं आते हैं, शुल्क की दर शून्य होगी ।'';

(ख) दूसरी अनुसूची का, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

सेवा कर

तटरक्षक कार्मिकों को नौसेना समूह बीमा निधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जीवन बीमा सेवाओं से संबंधित कतिपय मामलों में सेवा कर से, भूतलक्षी रूप से छूट के लिए विशेष उपबंध ।

1994 का 32
2017 का 12

103. (1) वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 की, जैसा वह केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अध्याय कहा गया है) धारा 173 द्वारा उसके लोप किए जाने के पूर्व विद्यमान था, धारा 66 में, जैसी वह 1 जुलाई, 2012 से पूर्व विद्यमान थी, या धारा 66ख में, जैसी वह 1 जुलाई, 2017 से पूर्व विद्यमान थी, किसी बात के होते हुए भी, 10 सितंबर, 2004 से आरंभ होने वाली और 30 जून, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) के दौरान, केंद्रीय सरकार की समूह बीमा स्कीमों के अधीन तटरक्षक कार्मिकों को जीवन बीमा के रूप में नौसेना समूह बीमा निधि द्वारा उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने के लिए करार पाई गई कराधेय सेवाओं के संबंध में कोई सेवा कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा ।

(2) ऐसे सभी सेवा कर का, जिसका संग्रहण किया गया है, किंतु जिसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया गया होता, यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रही होती, प्रतिदाय किया जाएगाः

परंतु सेवा कर के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन, उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2018 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

(3) उक्त अध्याय का लोप होते हुए भी, उक्त अध्याय के उपबंध इस धारा के अधीन प्रतिदाय के लिए भूतलक्षी रूप से इस प्रकार लागू होंगे, मानो उक्त अध्याय सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त था ।

माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने के लिए करार पाई गई सेवाओं से संबंधित कतिपय मामलों में सेवा कर से, भूतलक्षी रूप से छूट के लिए विशेष उपबंध ।

1994 का 32
2017 का 12

104. (1) वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 की, जैसा वह केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अध्याय कहा गया है) धारा 173 द्वारा उसके लोप किए जाने के पूर्व विद्यमान था, धारा 66ख में, जैसी वह उसके लोप किए जाने के पूर्व विद्यमान थी, किसी बात के होते हुए भी, 28 मार्च, 2013 से आरंभ होने वाली और 30 जून, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) के दौरान, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने के लिए करार पाई गई कराधेय सेवाओं के संबंध में कोई सेवा कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा ।

(2) ऐसे सभी सेवा कर का, जिसका संग्रहण किया गया है, किंतु जिसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रही होती, प्रतिदाय किया जाएगा :

परंतु सेवा कर के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन, उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2018 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

(3) उक्त अध्याय का लोप होते हुए भी, उक्त अध्याय के उपबंध इस धारा के अधीन प्रतिदाय के लिए भूतलक्षी रूप से इस प्रकार लागू होंगे, मानो उक्त अध्याय सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त था ।

पैट्रोलियम लाभ के सरकारी शेयर पर सेवा कर से भूतलक्षी छूट के लिए विशेष उपबंध ।

1994 का 32
2017 का 12

105. (1) वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 की, जैसा वह केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अध्याय कहा गया है) धारा 173 द्वारा उसके लोप किए जाने के पूर्व विद्यमान था, धारा 66ख में, किसी बात के होते हुए भी, 1 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ होने वाली और 30 जून, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) के दौरान, सरकार द्वारा अपरिष्कृत पैट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों की खोज या खनन के लिए अनुज्ञप्ति या पट्टा के रूप में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने के लिए करार पाई गई कराधेय सेवाओं के सम्बन्ध में, कोई सेवा कर, जो सरकार द्वारा, इस निमित्त की गई संविदा में यथा परिभाषित, पैट्रोलियम लाभ के सरकारी शेयर के रूप में सरकार को संदत्त प्रतिफल पर उद्ग्रहणीय है, उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा ।

(2) ऐसे सभी सेवा कर का, जिसका संग्रहण किया गया है किंतु जिसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया गया होता, यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रही होती, प्रतिदाय किया जाएगा :

परंतु सेवा कर के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन, उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2018 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

(3) उक्त अध्याय का लोप का होते हुए भी उक्त अध्याय के उपबंध इस धारा के अधीन प्रतिदाय के लिए भूतलक्षी रूप से इस प्रकार लागू होंगे, मानो उक्त अध्याय सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त था ।

अध्याय 5

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और व्यावृत्ति

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और व्यावृत्तियां ।

106. (1) पांचवीं अनुसूची के तीसरे स्तंभ में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों को, उसके चौथे स्तंभ में विनिर्दिष्ट विस्तार तक निरसित किया जाता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निरसन के होते हुए भी, ऐसा निरसन—

(क) किसी अन्य विधि को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गई है, शामिल की गई है या निर्दिष्ट की गई है ;

(ख) पहले से की गई किसी बात, या हुई किसी बात या किसी अधिकार, हक, बाध्यता या पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत दायित्व या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या

मांग से किसी निर्मुक्ति या उसके उन्मोचन या पहले से ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या निरसित अधिनियमिति के अधीन किसी पूर्व कृत्य या बात के सबूत, विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणामों को प्रभावित नहीं करेगा ;

(ग) किसी विधि के सिद्धांत या नियम, या स्थापित अधिकारिता, मंच या अभिवचन के अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान उपयोग, प्रथा, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति को इस बात के होते हुए भी कि क्रमशः उसकी किसी रीति में पुष्टि की गई है या मान्यता दी गई है या व्युत्पन्न हुई है, को निरसित की गई किसी अधिनियमिति से प्रभावित नहीं करेगा ;

(घ) किसी अधिकारिता, पद, प्रथा, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, रूढ़ि, परिपाटी, प्रक्रिया या किसी अन्य विषय या चीज, जो अभी विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, को पुनर्जीवित या बहाल नहीं करेगा ।

1897 का 10

(3) उपधारा (1) में विशिष्ट विषयों का उल्लेख, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 साधारण रूप से लागू होने पर प्रतिकूल नहीं होगी या उसे प्रभावित नहीं करेगी ।

शुल्क के बकाया का संग्रहण और संदाय ।

107. पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का निरसन होते हुए भी, उक्त अधिनियमितियों के अधीन, उस तारीख से ठीक पूर्व, जिसको वित्त विधेयक, 2018 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, उद्‌गृहीत शुल्कों के आगम, यदि,—

(i) संग्रहण करने वाले अभिकरणों द्वारा संगृहीत किए जाते हैं, किंतु भारतीय रिजर्व बैंक को संदत्त नहीं किए जाते हैं; या

(ii) संग्रहण करने वाले अभिकरणों द्वारा संगृहीत नहीं किए जाते हैं,

भारत की संचित निधि में जमा किए जाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक को, यथास्थिति, संदत्त किए जाएंगे या संगृहीत और संदत्त किए जाएंगे ।

अध्याय 6

समाज कल्याण अधिभार

1975 का 52

आयातित माल पर समाज कल्याण अधिभार ।

108. (1) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल पर, जिसका भारत में आयात किया गया है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का उपबंध करने और वित्तपोषण करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, संघ के प्रयोजनों के लिए, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार, समाज कल्याण अधिभार नामक सीमाशुल्क उद्‌गृहीत और संगृहीत किया जाएगा।

(2) केंद्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, इस अध्याय के अधीन उद्‌गृहीत समाज कल्याण अधिभार की ऐसी धनराशि, जो वह आवश्यक समझे, का उपयोग कर सकेगी ।

1962 का 52

(3) उपधारा (1) के अधीन उद्‌गृहीत समाज कल्याण अधिभार की संगणना ऐसे संकलित शुल्क कर और उपकर पर, जो केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के अधीन उद्‌गृहीत और संगृहीत किया गया है और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट माल पर प्रभार्य कोई ऐसी राशि, जो सीमाशुल्क के अतिरिक्त है, और उसी रीति से दस प्रतिशत की दर से की जाएगी, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :—

(क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख और धारा 8ग में निर्दिष्ट रक्षोपाय शुल्क ;

(ख) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 में निर्दिष्ट प्रतिशुल्क ;

(ग) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क में निर्दिष्ट प्रतिपाटन शुल्क ;

(घ) उपधारा (1) के अधीन आयातित मालों पर उद्‌गृहीत समाज कल्याण अधिभार ।

1962 का 52

(4) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, आयातित माल पर समाज कल्याण अधिभार, ऐसे माल पर प्रभार्य किसी अन्य ऐसे सीमाशुल्क या कर या उपकर के अतिरिक्त होगा ।

1962 का 52

(5) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंध, जिसके अंतर्गत ऐसे उपबंध भी हैं, जो निर्धारण, अनुद्‌ग्रहण, कम उद्‌ग्रहण, प्रतिदाय छूट, ब्याज, अपील, अपराध शास्तियों से संबंधित हैं, जहां तक हो सके, ऐसे आयातित माल पर समाज कल्याण अधिभार के उद्‌ग्रहण और संग्रहण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे, यथास्थिति, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या नियमों या विनियमों के अधीन ऐसे माल पर सीमाशुल्क के उद्‌ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।

अध्याय 7

सड़क और अवसंरचना उपकर

आयातित माल पर सड़क और अवसंरचना उपकर।

109. (1) अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुसूचित माल कहा गया है), जो भारत में आयातित माल है, संघ के प्रयोजनों के लिए उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर सड़क और अवसंरचना उपकर नामक सीमाशुल्क उद्‌गृहीत और संगृहीत किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अतिरिक्त सीमाशुल्क, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य किन्हीं अन्य सीमाशुल्कों के अतिरिक्त होगा । 1962 का 52

(3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और उसके तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंध, जिनके अंतर्गत ऐसे नियम भी हैं, जो निर्धारण अनुद्ग्रहण, कम उद्ग्रहण, प्रतिदाय, छूट, ब्याज, अपीलों, अपराधों और शास्तियों से संबंधित हैं, जहां तक हो सके, अनुसूचित मालों के संबंध में इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमाशुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि वे, यथास्थिति, उस अधिनियम या उन नियमों और विनियमों के अधीन ऐसे मालों पर सीमाशुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं । 1962 का 52

शुल्क्य माल पर सड़क और अवसंरचना उपकर।

110. (1) अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुसूचित माल कहा गया है), जो विनिर्मित या उत्पादित माल है, संघ के प्रयोजनों के लिए, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर सड़क और अवसंरचना उपकर नामक उत्पाद-शुल्क उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य किन्हीं अन्य उत्पाद-शुल्कों के अतिरिक्त होगा । 1944 का 1

(3) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जिसके अंतर्गत ऐसे नियम भी हैं, जो निर्धारण, अनुद्ग्रहण, कम उद्ग्रहण, प्रतिदाय, छूट, ब्याज, अपीलों, अपराधों और शास्तियों से संबंधित हैं, जहां तक हो सके, अनुसूचित माल के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि वे, यथास्थिति, उक्त अधिनियम या नियमों के अधीन अनुसूचित माल पर उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं । 1944 का 1

अध्याय 8

प्रकीर्ण

भाग 1

सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ ।

111. इस भाग के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

1873 के अधिनियम सं० 5 के बृहत्त नाम का प्रतिस्थापन ।

112. सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के बृहत्त नाम के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''साधारण जनता से बचतों को सरकारी बचत स्कीमों में डालने और उनका विनियमन करने के लिए अधिनियम''।

संक्षिप्त नाम का संशोधन ।

113. मूल अधिनियम की धारा 1 में संक्षिप्त नाम में, ''बैंक'' शब्द के स्थान पर, ''संवर्धन'' शब्द रखा जाएगा।

संपूर्ण अधिनियम में "सचिव" शब्द के स्थान पर, "प्राधिकृत अधिकारी" शब्दों का प्रतिस्थापन ।

114. मूल अधिनियम में, ''सचिव'' शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है ''प्राधिकृत अधिकारी'' शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 2 का लोप ।

115. मूल अधिनियम की धारा 2 का लोप किया जाएगा ।

धारा 3 के स्थान पर नई धारा 3, धारा 3क और धारा 3ख का रखा जाना।

116. मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

परिभाषाएं।

'3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''खाता'' से किसी बचत स्कीम के अधीन खोला गया कोई खाता अभिप्रेत है ;

(ख) ''प्रशासक'' से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 2 के खंड (क) में यथा परिभाषित प्रशासक अभिप्रेत है ; 1925 का 39

(ग) ''प्राधिकृत अधिकारी'' से,—

(i) किसी डाकघर बचत बैंक की दशा में, महा डाक निदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है ; और

(ii) भारतीय स्टेट बैंक या किसी बैंककारी कंपनी या अन्य कंपनी या संस्था की दशा में, यथास्थिति, भारतीय स्टेट बैंक या उस बैंककारी कंपनी या अन्य कंपनी या संस्था द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) ''बैंककारी कंपनी'' से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथा परिभाषित कोई बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है ; 1949 का 10

(ङ) ''जमाकर्ता'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से सरकारी बचत बैंक में धन जमा किया गया हो और ''जमा राशि'' से इस प्रकार जमा किया गया धन अभिप्रेत है ;

1925 का 39

(च) ''निष्पादक'' से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित कोई निष्पादक अभिप्रेत है ;

(छ) ''सरकारी बचत बैंक'' से,—

(i) कोई डाकघर बचत बैंक ; या

(ii) भारतीय स्टेट बैंक, कोई ऐसी बैंककारी कंपनी या कोई ऐसी अन्य कंपनी या संस्था, जिसे केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ,

अभिप्रेत है ;

(ज) किसी अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति के संबंध में ''संरक्षक'' से,—

(i) माता या पिता ;

(ii) जहां माता या पिता में से कोई भी जीवित नहीं हैं या जहां केवल जीवित माता या पिता उस रूप में कार्य करने में असमर्थ हैं, वहां ऐसा व्यक्ति, जो तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन, यथास्थिति, वयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति की संपत्ति की देखरेख करने का हकदार है ;

(iii) न्यायालय द्वारा नियुक्त विधिक संरक्षक ,

अभिप्रेत है ;

1875 का 9

(झ) ''अवयस्क'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जिसने भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 के अधीन वयस्कता प्राप्त नहीं की है ;

(ञ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ट) ''बचत स्कीम'' से सरकारी बचत स्कीमें अभिप्रेत है, जिनके अंतर्गत अनुसूची में सूचीबद्ध बचत प्रमाणपत्र और लोक भविष्य निधि स्कीम भी हैं ;

(ठ) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ।

बचत स्कीमों का विरचित किया जाना ।

3क. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, देश में घरेलू बचतों को बढ़ावा देने के लिए नई बचत स्कीमें विरचित कर सकेगी या विद्यमान बचत स्कीमों का संशोधन कर सकेगी या उन्हें बंद कर सकेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में बचत स्कीमें सम्मिलित करेगी या उनका लोप करेगी या उसमें संशोधन करेगी ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना में ऐसी स्कीम के डिजाइन पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित कोई या सभी ऐसे उपबंधों को सम्मिलित किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) ऐसे व्यक्ति, जो किसी बचत स्कीम में धनराशि जमा करने के लिए पात्र होंगे ;

(ख) ऐसे निबंधन और शर्तें, जिनके अध्यधीन धनराशि जमा की जा सकेगी ;

(ग) जमा राशि की संगणना की रीति, संदाय की आवृत्ति और उस पर संदेय ब्याज की दर ;

(घ) जमा राशियों की अधिकतम और न्यूनतम सीमाएं ;

(ङ) जमा राशि का समयपूर्व समापन, जमा राशि का निकाला जाना, जमा राशि पर ऋण देना और जमा राशियों का अंतरण ;

(च) बचत स्कीमों के प्रयोजन और डिजाइन पर निर्भर करते हुए कोई अन्य उपबंध ।

अवयस्क द्वारा निक्षेप ।

3ख. (1) ऐसा अवयस्क, जिसने दस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, सरकारी बचत बैंक में खाता खोल सकेगा और उसे चला सकेगा, यदि किसी बचत स्कीम के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात किया जाए ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी अवयस्क का संरक्षक, अवयस्क की ओर से, उसके वयस्क हो जाने तक खाता खोल सकेगा और उसे चला सकेगा ।'।

धारा 4 का संशोधन ।

117. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

''(1) जमाकर्ता एक या अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों के रूप में पदाभिहित करेगा, जो यथास्थिति, एकल खाते के जमाकर्ता या संयुक्त खाते के सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु हो जाने की दशा में स्वामी या न्यासी के रूप में और उस सीमा तक, जो नामनिर्देशन करते समय जमाकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, शोध्य राशि प्राप्त करने का हकदार होगा :

पंरतु यदि जमाकर्ता अवयस्क है या विकृतचित्त व्यक्ति है, संरक्षक द्वारा नामनिर्देशिती अभिहित किया जाएगा ।";

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) जमा राशि का अंतरण, यदि किसी बचत स्कीम के अधीन अनुज्ञात हो, तो पूर्व में किया गया नामनिर्देशन स्वतः रद्द हो जाएगा ।"।

धारा 4क का संशोधन ।

118. मूल अधिनियम की धारा 4क में,—

(क) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3क) जहां जमा राशि किसी ऐसे अवयस्क की है या ऐसे किसी विकृतचित्त व्यक्ति की है, जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसका कोई नामनिर्देशिती नहीं है, वहां वित्त अधिनियम, 2018 के अध्याय 8 के भाग I के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्व जमा राशि का संदाय संरक्षक को किया जाएगा ।";

(ख) उपधारा (4) में,—

(i) खंड (क) में, "या मृतक" शब्दों के स्थान पर, "या ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाए, मृतक" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (5) का लोप किया जाएगा ।

धारा 5 का संशोधन ।

119. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(i) उपधारा (2) में, "किंतु इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात" शब्दों के स्थान पर, "इसमें अंतर्विष्ट कोई बात" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "और मृतक की संपदा का कोई भी लेनदार" शब्दों के स्थान पर, "मृतक की संपदा का प्रत्येक लेनदार" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) "मानो पश्चात्कथित ने" शब्दों के स्थान पर, "मानो उस व्यक्ति ने" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 6 का संशोधन ।

120. मूल अधिनियम की धारा 6 में, "ऐसे किसी बैंक का सचिव या धारा 4क की उपधारा (4) के अधीन सशक्त किया गया कोई अधिकारी" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "किसी सरकारी बचत बैंक का प्राधिकृत अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 7 का संशोधन ।

121. मूल अधिनियम की धारा 7 में, "ऐसे किसी बैंक का सचिव या धारा 4क की उपधारा (4) के अधीन सशक्त किया गया कोई अधिकारी" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "किसी सरकारी बचत बैंक का प्राधिकृत अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 7क का अंतःस्थापन ।

122. मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

सूचना मांगने की शक्ति ।

"7क. केंद्रीय सरकार, किसी अभिहित प्राधिकारी के माध्यम से ऐसी जानकारी, दस्तावेज और साक्ष्य की मांग कर सकेगी, जो वह इस अधिनियम के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए किसी खाते के संबंध में आवश्यक समझे ।"।

धारा 8 का संशोधन ।

123. मूल अधिनियम की धारा 8 में, "तीन हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "विहित सीमा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 10 का संशोधन ।

124. मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(i) "किसी वयस्क द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "वयस्क द्वारा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "उसके उपयोग के लिए" शब्दों के स्थान पर, "इसे अवयस्क के उपयोग के लिए" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) "किसी अवयस्क का संरक्षक" शब्दों के स्थान पर, "अवयस्क का संरक्षक" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 12 का संशोधन ।

125. मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

(i) "बैंक" शब्द के स्थान पर, "सरकारी बचत बैंक" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "किसी समुचित व्यक्ति की" शब्दों के स्थान पर, "किसी संरक्षक की" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) "ऐसा व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर, "ऐसा संरक्षक" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) "इस धारा की कोई भी बात ऐसी समिति या प्रबंधक से भिन्न किसी व्यक्ति को संदाय के लिए प्राधिकृत नहीं करती है" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी समिति या प्रबंधक को संदाय किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे।

126. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 12क का अंतःस्थापन ।

''12क. कोई ऐसा जमाकर्ता, जो शारीरिक रूप से शैथिल्यता से, जिसमें अन्धता भी है, ग्रस्त है, किसी ऐसे साक्षर व्यक्ति के माध्यम से, जिसे वह प्राधिकृत करे, राशि जमा कर सकेगा और उसे प्रचालित कर सकेगा ।''। दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा खाता चलाया जाना ।

127. इस प्रकार अंतःस्थापित मूल अधिनियम की धारा 12क के पश्चात् शीर्षक का लोप किया जाएगा । शीर्षक का लोप ।

128. मूल अधिनियम की धारा 13 का लोप किया जाएगा । धारा 13 का लोप।

129. मूल अधिनियम की धारा 14 में, ''सरकार'' शब्द के स्थान पर, ''केंद्रीय सरकार'' शब्द रखे जाएंगे । धारा 14 का संशोधन ।

130. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में,— धारा 15 का संशोधन ।

(i) खंड (क) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(ख) साधारणतया जमाराशियों या विशिष्टतया जमाराशियों के किसी वर्ग से संबंधित ब्याज या डिस्काउंट के बारे में शर्तें ;'';

(iii) खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(छ) ऐसी फीस, जो इस अधिनियम के अधीन सेवाओं के निर्वहन के लिए उद्गृहीत की जाए ;

(iv) खंड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

''(झ) धारा 4क की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन सीमा और प्रक्रिया ;

(ञ) राशि जमा करने का ढंग, जैसे भौतिक, इलैक्ट्रानिक या संसूचना और सूचना प्रौद्योगिकी के किसी अन्य तरीकों के उपयोग के माध्यम से ;

(ट) बचत स्कीमों की वित्तीय पोषणीयता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से जमाराशियों पर ब्याज दरों के लिए बैंचमार्क ;

1870 का 7 (ठ) अधिनियम की धारा 8 के प्रयोजन के लिए न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 के अधीन प्रभार्य न्यायालय फीस की संगणना करने में अपवर्जित की जाने वाली रकम ;

(ड) शिकायतों के निवारण तथा विवादों के निपटान के लिए तंत्र ;

(ढ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।''।

131. मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— नई धारा और अनुसूची का अंतःस्थापन ।

1959 का 46
1968 का 23
''16. (1) सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 और लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन और व्यावृत्तियां ।

1897 का 10 (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी और साधारण खंड अधिनियम, 1897 में, निरसन की बाबत अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,—

(क) निरसित अधिनियमितियों के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जिसके अंतर्गत उनके अधीन बनाए गए कोई नियम, जारी की गई अधिसूचना या जारी किया गया आदेश या सूचना या दिया गया कोई निदेश भी है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों द्वारा की गई समझी जाएगी ;

(ख) खंड (क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी निरसित अधिनियमिति के अधीन या उसके अनुसरण में निष्पादित कोई लिखत या जारी प्रमाणपत्र या की गई कोई बात, यदि यह वित्त अधिनियम, 2018 के अध्याय 8 के भाग 1 के प्रारंभ पर प्रवृत्त हैं, वहां तक प्रवृत्त बने रहते हैं, जहां तक उसे ऐसे भाग के अधीन या उसके अनुसरण में निष्पादित किया गया हो या जारी किया गया हो या किया गया हो, का वैसा प्रभाव होगा मानो वह पूर्वोक्त भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन या उसके अनुसरण में निष्पादित किया गया हो या जारी किया गया हो या किया गया हो ;

(ग) निरसित अधिनियमितियों में किए गए सभी निक्षेप या धारित खाते या प्रमाणपत्र इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन बनाई गई बचत स्कीम में निक्षेप या धृतियां समझी जाएंगी ; और

(घ) किसी न्यायालय के समक्ष वित्त अधिनियम, 2018 के अध्याय 9 के भाग 1 के प्रारंभ से ठीक पूर्व लंबित निरसित अधिनियमितियों के अधीन किसी कार्यवाही पर सुनवाई इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त न्यायालय द्वारा जारी रहेगी और उसका निपटान किया जाता रहेगा ।

(3) निरसन ऐसे जमाकर्ताओं के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, जिन्होंने वित्त अधिनियम, 2018 के अध्याय 8 के भाग 1 के प्रारंभ से पूर्व निरसित अधिनियमितियों के अधीन निक्षेप किए थे या जिन्हें प्रमाणपत्र जारी किए गए थे या जिन्होंने किसी स्कीम में अभिदाय किया था ।

अनुसूची

[धारा 3क देखिए]

यह अधिनियम निम्नलिखित सरकारी बचत स्कीमों को लागू होता है :

भाग क

विद्यमान बचत स्कीमें

1. डाकघर बचत खाता ;
2. राष्ट्रीय बचत मासिक आय (खाता) ;
3. राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा ;
4. सुकन्या समृद्धि खाता ;
5. राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष) ;
6. वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम ;
7. बचत प्रमाणपत्र :

    (क) किसान विकास पत्र (1 दिसंबर, 2011 से बंद और 23 सितंबर, 2014 से पुनः आरंभ)

    (ख) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (आठवां इश्यु) ;

8. लोक भविष्य निधि स्कीम ।

भाग ख

बंद की गई बचत स्कीमें

1. राष्ट्रीय बचत स्कीम, 1987 ;
2. राष्ट्रीय बचत स्कीम, 1992 ;
3. ब्लाक जमा खाता ;
4. रक्षा बचत खाता ;
5. दान कूपन ;
6. संचयी सावधि जमा खाते ;

    (क) 5 वर्षीय खाता

    (ख) 10 वर्षीय खाता

    (ग) 15 वर्षीय खाता

7. 5 वर्षीय पुरस्कार बांड ;
8. 5 वर्षीय प्रीमियम पुरस्कार बांड ;
9. 5 वर्षीय अनिवार्य जमा खाता स्कीम, 1963 ;
10. 5 वर्षीय नियत जमा खाता ;
11. 5 वर्षीय नकद प्रमाणपत्र ;
12. 10 वर्षीय रक्षा बचत प्रमाणपत्र ;
13. 12 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र ;
14. 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र ;
15. 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र ;
16. 10 वर्षीय खजाना बचत जमा प्रमाणपत्र ;
17. 15 वर्षीय वार्षिकी प्रमाणपत्र (पहली श्रृंखला) ;
18. 10 वर्षीय राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाणपत्र ;

19. 10 वर्षीय खजाना बचत जमा प्रमाणपत्र ;

20. 12 वर्षीय राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाणपत्र ;

21. 15 वर्षीय वार्षिकी प्रमाणपत्र (दूसरी श्रृंखला) ;

22. 10 वर्षीय रक्षा जमा प्रमाणपत्र ;

23. 12 वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा प्रमाणपत्र ;

24. 10 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (पहला इश्यु) ;

25. 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (दूसरा इश्यु) ;

26. 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (तीसरा इश्यु) ;

27. 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (चौथा इश्यु) ;

28. 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (पाचवां इश्यु) ;

29. 12 वर्षीय राष्ट्रीय बचत वार्षिकी प्रमाणपत्र ;

30. 5 वर्षीय राष्ट्रीय विकास बांड ;

31. 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (छठा इश्यु) ;

32. 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (सातवां इश्यु) ;

33. 10 वर्षीय सामाजिक सुरक्षा प्रमाणपत्र ;

34. इन्दिरा विकास पत्र ;

35. 10 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (नौवां इश्यु) ।''।

भाग 2

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का संशोधन

1934 का 2

132. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 के खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 1934 के अधिनियम सं० 2 की धारा 17 का संशोधन ।

''(1क) परिनिर्धारण प्रबंध के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर केंद्रीय बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित स्थायी जमा सुविधा स्कीम के अधीन ब्याज सहित बैंकों या किसी अन्य व्यक्ति से जमा के रूप में धन स्वीकार करना, जो ब्याज के साथ प्रतिसंदेय है ;'' ।

भाग 3

राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन अधिनियम, 1951 का संशोधन

133. अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस भाग के उपबंध 1 अप्रैल, 2018 को लागू होंगे । इस भाग का प्रारंभ।

1951 का 30

134. राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन अधिनियम, 1951 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1क में ''एक लाख पचास हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''पांच लाख रुपए'' शब्द रखे जाएंगे और 1 जनवरी, 2016 से रखे गए हुए समझे जाएंगे । धारा 1क का संशोधन ।

135. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के खंड (ख) में, ''साठ हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''एक लाख रुपए'' शब्द रखे जाएंगे । धारा 2 का संशोधन।

136. मूल अधिनियम की धारा 3क के खंड (ख) के उपखंड (ii) में, ''बारह हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''बीस हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे । धारा 3क का संशोधन।

भाग 4

संसद् अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 का संशोधन

1953 का 20

137. संसद् अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 की धारा 3 की उपधारा (1) में, ''एक लाख पच्चीस हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''चार लाख रुपए'' शब्द 1 जनवरी, 2016 से रखे जाएंगे और उस तारीख से रखे गए समझे जाएंगे । 1953 के अधिनियम सं० 20 की धारा 17 का संशोधन ।

भाग 5

संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 का संशोधन

138. अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस भाग के उपबंध 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होंगे । इस भाग का प्रारंभ।

1954 का 30

139. संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 को, उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा,— धारा 3 का संशोधन।

(i) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) में, ''पचास हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''एक लाख रुपए'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''(2) सदस्यों के वेतन और दैनिक भत्ते में, 1 अप्रैल, 2023 से आरंभ होने वाले प्रत्येक पांच वर्षों के लिए, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अधीन उपबंधित मुद्रास्फीति की सूचकांकित लागत के आधार पर वृद्धि की जाएगी ।''। 1961 का 43

धारा 4 का संशोधन ।

140. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ख) में, ''और एक चौथाई'' शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (ग) के उपखंड (i) में, ''और तीन बटा पांच'' शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 8क का संशोधन ।

141. मूल अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (1) में,—

(क) ''बीस हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''पच्चीस हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक में, ''पन्द्रह सौ रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''(1क) प्रत्येक व्यक्ति की पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में, 1 अप्रैल, 2023 से आरंभ होने वाले प्रत्येक पांच वर्षों के लिए, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अधीन उपबंधित मुद्रास्फीति की सूचकांकित लागत के आधार पर वृद्धि की जाएगी ।''। 1961 का 43

धारा 8कग का संशोधन।

142. मूल अधिनियम की धारा 8कग की उपधारा (2) में, ''संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ होने के पूर्व'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का लोप किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि ऐसा लोप 15 सितंबर, 2006 से किया गया है । 2006 का 40

भाग 6

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ।

143. इस भाग के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 12क का संशोधन ।

144. प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम, 1956 (जिसे इस भाग में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 12क को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 1956 का 42

''(2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, धारा 23झ की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विहित रीति में जांच करने के पश्चात्, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से धारा 23क, धारा 23ख, धारा 23ग, धारा 23घ, धारा 23ङ, धारा 23च, धारा 23छ, धारा 23छक और धारा 23ज के अधीन आदेश द्वारा शास्ति का उद्ग्रहण कर सकेगा ।''।

धारा 23 का संशोधन ।

145. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में, दीर्घ पंक्ति में, ''न्यायनिर्णायक अधिकारी'' शब्दों के पश्चात् ''या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 23क का संशोधन ।

146. मूल अधिनियम की धारा 23क के उपखंड (क) में ''असफल रहेगा'' शब्दों के पश्चात् ''या मिथ्या, गलत या अपूर्ण जानकारी, दस्तावेज, बहियां, विवरणी या रिपोर्ट देगा'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 23ङ का संशोधन ।

147. मूल अधिनियम की धारा 23ङ में, ''पारस्परिक निधि'' शब्दों के पश्चात् ''भू-संपदा विनिधान न्यास या अवसंरचना विनिधान न्यास या अनुकल्पी विनिधान निधि'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 23छ का संशोधन ।

148. मूल अधिनियम की धारा 23छ में, ''या उसकी उपेक्षा करेगा'' शब्दों के पश्चात् ''या जो मिथ्या, गलत या अपूर्ण कालिक विवरणियां देगा'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 23छक का अंतःस्थापन ।

149. मूल अधिनियम की धारा 23छ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नियमों, आदि के अनुसार कारबार संचालित करने की असफलता के लिए शास्ति ।

''23छक. जहां कोई स्टाक एक्सचेंज या समाशोधन निगम, ऐसी रीति में, जो इस अधिनियम के अधीन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों, विनियमों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी निदेशों के अनुसार नहीं है, अपने सदस्यों या किसी निर्गमकर्ता या अपने अभिकर्ता या प्रतिभूति बाजारों से सहयुक्त किसी व्यक्ति के साथ अपना कारबार संचालन करने में असफल रहता है, वहां वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पांच करोड़ रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो पच्चीस करोड़ रुपए तक या ऐसी असफलता से हुए अभिलाभों की रकम का तीन गुना तक, इनमें से जो भी अधिक हो, की हो सकेगी ।''।

धारा 23झ का संशोधन ।

150. मूल अधिनियम की धारा 23झ की उपधारा (1) में ''करेगा'' शब्द के स्थान पर ''कर सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 23ञ का संशोधन ।

151. मूल अधिनियम की धारा 23ञ में,—

(i) वर्तमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

''शास्ति की मात्रा का न्यायनिर्णयन करते समय विचार में ली जाने वाली बातें ।'';

(ii) ''धारा 23झ'' शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर, ''धारा 12क या धारा 23झ'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) ''न्यायनिर्णायक अधिकारी'' शब्दों के स्थान पर ''भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या न्यायनिर्णायक अधिकारी'' शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 23ञक का संशोधन।

152. मूल अधिनियम की धारा 23ञक की उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''(5) इस अधिनियम के अधीन सभी परिनिर्धारण की रकमें, जिनमें इस अधिनियम के अधीन वसूल की गई वापसी रकम और विधिक लागतें नहीं हैं, भारत की संचित निधि में जमा की जाएंगी ।''।

धारा 23ञख का संशोधन ।

153. मूल अधिनियम की धारा 23ञख की उपधारा (1) में,''न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा'' शब्दों के स्थान पर, ''इस अधिनियम के अधीन'' शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 23ञग का अंतःस्थापन ।

154. मूल अधिनियम की धारा 23ञख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कार्यवाहियों का जारी रहना ।

'23ञग. (1) जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वहां उसका विधिक प्रतिनिधि ऐसी किसी राशि का संदाय उस रीति में और उस सीमा तक करने का दायी होगा, जिसके लिए मृतक वैसी रीति में और उसी सीमा तक संदाय करने के लिए दायी हुआ होता, यदि उसकी मृत्यु नहीं हुई होती :

परंतु इस अधिनियम के अधीन संदेय शास्ति की दशा में, विधिक प्रतिनिधि उस दशा में ही दायी होगा, यदि शास्ति मृतक की मृत्यु से पहले अधिरोपित की गई है ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) मृतक के विरुद्ध उसकी मृत्यु से पूर्व, इस अधिनियम के अधीन वसूली अधिकारी के समक्ष वापस किए जाने, प्रतिदाय किए जाने या वसूली की किसी कार्रवाई से संबंधित आरंभ की गई ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों को, सिवाय शास्ति के उद्ग्रहण हेतु कार्यवाहियों के, उसके विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध आरंभ किया गया समझा जाएगा और उन्हें उस प्रक्रम से विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध जारी रखा जा सकेगा, जिस पर वह मृतक की मृत्यु की तारीख को थी और इस अधिनियम के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे ;

(ख) मृतक के विरुद्ध उसकी मृत्यु से पूर्व, इस अधिनियम के अधीन वसूली अधिकारी के समक्ष वापस किए जाने, प्रतिदाय किए जाने या वसूली की किसी कार्रवाई से संबंधित ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों को, सिवाय शास्ति के उद्ग्रहण हेतु कार्यवाहियों के, जिन्हें मृतक के विरुद्ध उस समय आरंभ किया जाता, यदि उसकी मृत्यु न हुई होती, उसके विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध आरंभ किया जा सकेगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

(3) प्रत्येक विधिक प्रतिनिधि, उस समय विधिक प्रतिनिधि के रूप में उसकी हैसियत में उसके द्वारा संदेय किसी राशि के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा यदि ऐसी राशि के लिए उसका दायित्व अननुमोचित रहता है, वह मृतक की संपदा की किसी आस्ति या उसके किसी भाग पर प्रभार का सृजन करता है या उसका व्ययन करता है या उसे छोड़ देता है, जो उसके कब्जे में है या उसके कब्जे में आ सकेंगे, किंतु ऐसा दायित्व उसके द्वारा इस प्रकार प्रभार के अधीन लाई गई, व्ययनित या छोड़ी गई आस्ति के मूल्य तक सीमित होगा ।

(4) इस धारा के अधीन रहते हुए, किसी विधिक प्रतिनिधि का दायित्व, उस विस्तार तक सीमित होगा, जिस तक मृतक की संपदा दायित्व की पूर्ति करने में समर्थ है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''विधिक प्रतिनिधि'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो विधि में मृतक व्यक्ति की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है और उसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है, जो मृतक व्यक्ति की संपदा में दखल देता है और जहां कोई पक्षकार कोई वाद करता है या उस पर प्रतिनिधित्व प्रकृति का कोई वाद किया जाता है, वहां ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित होगा, जिसे इस प्रकार वाद करने वाले पक्षकार या ऐसे पक्षकार, जिस पर वाद किया गया है, की मृत्यु पर ऐसी संपदा न्यागत होती है ।'।

धारा 23ङ का संशोधन ।

155. मूल अधिनियम की धारा 23ङ में,—

(i) उपधारा (1) में, ''न्यायनिर्णायक अधिकारी'' शब्दों के पश्चात्, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, ''या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ; और

(ii) उपधारा (2) में ''किन्हीं निदेशों या आदेशों'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी निदेश या आदेश'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 24 का संशोधन ।

156. मूल अधिनियम की धारा 24 में,—

(i) ''कंपनियों द्वारा अपराध'' पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

''कंपनियों द्वारा उल्लंघन ।'' ;

(ii) उपधारा (1) में ''कोई अपराध'' शब्दों के स्थान पर, ''इस अधिनियम के किसी उपबंध या किसी नियम, विनियम या उनके अधीन किए गए निदेश या आदेश का उल्लंघन'' शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (2) में ''इस अधिनियम के अधीन अपराध'' शब्दों के स्थान पर ''इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियम, विनियम के किन्हीं उपबंधों, किए गए निदेश या आदेश का कोई उल्लंघन'' शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) ''अपराध'' शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, ''उल्लंघन'' शब्द रखा जाएगा ।

भाग 7

केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 का संशोधन

1963 के अधिनियम सं० 54 का संशोधन ।

157. केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 में, उस तारीख से जब वित्त विधेयक, 2018 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है—

(क) ''केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड'' को ''केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड'' के रूप में, पुनःनामित किया जाएगा ;

(ख) संपूर्ण अधिनियम में, ''उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क'' शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, ''अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क'' शब्द रखे जाएंगे और ऐसे अन्य पारिणामिक संशोधन भी किए जाएंगे जो व्याकरण के नियमों द्वारा अपेक्षित हों।

भाग 8

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 का संशोधन

1982 के अधिनियम सं० 43 की धारा 3 का संशोधन ।

158. राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 3 में, ''एक लाख दस हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन लाख पचास हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे और 1 जनवरी, 2016 से रखे गए समझे जाएंगे ।

भाग 9

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ।

159. इस भाग के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे । 1987 का 53

धारा 3 का संशोधन ।

160. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (3) में ''मुम्बई या अन्य ऐसे स्थान पर होगा जो रिजर्व बैंक'' शब्दों के स्थान पर, ''नई दिल्ली या अन्य ऐसे स्थान पर होगा जो केंद्रीय सरकार'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) में ''रिजर्व बैंक'' शब्दों के स्थान पर, ''केन्द्रीय सरकार'' शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 4 का संशोधन ।

161. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(क) उपधारा (1) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु यह कि केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत पूंजी में दो हजार करोड़ रुपए या ऐसी रकम तक वृद्धि कर सकती है जैसा कि वह समय-समय पर अवधारित करे ।'';

(ख) उपधारा (2) में, दोनों स्थानों पर आने वाले ''रिजर्व बैंक'' शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''(3) राष्ट्रीय आवास बैंक की एक हजार चार सौ पचास करोड़ रुपए की अभिदाय की गई पूंजी, जिसका उसे रिजर्व बैंक द्वारा अभिदाय किया गया है, रिजर्व बैंक को अभिदाय की गई पूंजी के अंकित मूल्य के संदाय पर केंद्रीय सरकार को उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अंतरित हो जाएगी और उसमें निहित हो जाएगी ।''।

162. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (5) में, ''रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्रीय सरकार या रिजर्व बैंक'' शब्दों के स्थान पर, ''केंद्रीय सरकार'' शब्द रखे जाएंगे । धारा 5 का संशोधन ।

163. मूल अधिनियम की धारा 6 में,— धारा 6 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (गक) में, ''रिजर्व बैंक'' शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (घ) में, ''दो निदेशकों'' शब्दों के स्थान पर ''एक निदेशक'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, ''रिजर्व बैंक से परामर्श करके नियुक्त किए जाएंगे और खंड (घ) में निर्दिष्ट निदेशक रिजर्व बैंक द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे'' शब्दों के स्थान पर ''नियुक्त किए जाएंगे और खंड (घ) में निर्दिष्ट निदेशक रिजर्व बैंक द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा'' शब्द रखे जाएंगे ।

164. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1), उपधारा (3) और उपधारा (4) में ''रिजर्व बैंक से परामर्श करके'' शब्दों का लोप किया जाएगा । धारा 7 का संशोधन ।

1973 का 46
1999 का 42
165. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) में, ''विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999'' शब्द और अंक रखे जाएंगे । धारा 16 का संशोधन ।

1956 का 1
2013 का 18
166. मूल अधिनियम की धारा 29क के स्पष्टीकरण के खंड (II) में, ''कंपनी अधिनियम, 1956'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''कंपनी अधिनियम, 2013'' शब्द और अंक रखे जाएंगे । धारा 29क का संशोधन ।

1956 का 1
2013 का 18
167. मूल अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (2) में, ''कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (2)'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, ''कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (2)'' शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे । धारा 33 का संशोधन ।

1956 का 1
2013 का 18
168. मूल अधिनियम की धारा 33ख की उपधारा (1) और उपधारा (4) में, ''कंपनी अधिनियम, 1956'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''कंपनी अधिनियम, 2013'' शब्द और अंक रखे जाएंगे । धारा 33ख का संशोधन ।

169. मूल अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में ''रिजर्व बैंक'' शब्दों, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, के स्थान पर, ''केंद्रीय सरकार'' शब्द रखे जाएंगे । धारा 37 का संशोधन ।

170. मूल अधिनियम की धारा 39 के खंड (ii) में ''रिजर्व बैंक'' शब्दों के स्थान पर, ''केंद्रीय सरकार'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 39 का संशोधन ।

1956 का 1
2013 का 18
171. मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) में, ''कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 की उपधारा (1)'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, ''कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 की उपधारा (1)'' शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे । धारा 40 का संशोधन ।

1934 का 2
172. मूल अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (5) में, ''भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 54कक के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना'' शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा । धारा 43 का संशोधन ।

1956 का 1
2013 का 18
173. मूल अधिनियम की धारा 45क की उपधारा (1) में, ''कंपनी अधिनियम, 1956'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''कंपनी अधिनियम, 2013'' शब्द और अंक रखे जाएंगे । धारा 45क का संशोधन ।

174. मूल अधिनियम की धारा 55 में,— धारा 55 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में, ''बोर्ड रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से और केंद्रीय सरकार से परामर्श करके'' शब्दों के स्थान पर ''बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) में, ''रिजर्व बैंक'' शब्दों का लोप किया जाएगा ।

भाग 10

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 का संशोधन

175. इस भाग के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे । इस भाग का प्रारंभ।

1992 का 15
176. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 में,— धारा 11 का संशोधन ।

(i) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4क) बोर्ड, उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (2क), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11ख और धारा 15झ के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आदेश द्वारा कारणों को लेखबद्ध करते हुए विहित रीति में जांच करने के पश्चात् धारा 15क, धारा 15ख, धारा 15ग, धारा 15घ, धारा 15ङ, धारा 15ङक, धारा 15ङख, धारा 15च, धारा 15छ, धारा 15ज, धारा 15जक और धारा 15जख के अधीन शास्ति उद्‌ग्रहण कर सकेगा ।";

(ii) उपधारा (5) में, "निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19 के अधीन जारी निदेश के अनुसरण में" शब्दों और अकों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:— 1996 का 22

"या धारा 15ञख या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 23ञक या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19झक के अधीन किए गए किसी परिनिर्धारण के अधीन"। 1956 का 42 1996 का 22

धारा 11ख का संशोधन ।

177. मूल अधिनियम को धारा 11ख में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में "निदेश" शब्द के पश्चात् "शास्ति उद्‌गृहीत करना" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) धारा 11ख को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) बोर्ड, धारा 11 की उपधारा (1), उपधारा (4क) और धारा 15झ के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आदेश द्वारा कारणों को लेखबद्ध करते हुए विहित रीति में जांच करने के पश्चात् धारा 15क, धारा 15ख, धारा 15ग, धारा 15घ, धारा 15ङ, धारा 15ङक, धारा 15ङख, धारा 15च, धारा 15छ, धारा 15ज, धारा 15जक और धारा 15जख के अधीन शास्ति उद्‌गृहीत कर सकेगा ।"।

धारा 15क का संशोधन ।

178. मूल अधिनियम की धारा 15क में,—

(i) खंड (क) में, "उसे देने में असफल रहेगा" शब्दों के पश्चात् "या जो, मिथ्या, गलत या अपूर्ण सूचना, विवरणी, रिपोर्ट, बही या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करता है या फाइल करता है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, "विनियमों में उसके लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरणी फाइल करने या उसे देने में असफल रहेगा" शब्दों के पश्चात् "या जो, मिथ्या, गलत या अपूर्ण सूचना, विवरणी, रिपोर्ट, बही या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करता है या फाइल करता है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

नई धाराओं 15ङक और 15ङख का अंतःस्थापन ।

179. मूल अधिनियम की धारा 15ङ के पश्चात् निम्नलिखित नई धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

अनुकल्पी विनिधान निधियों, अवसंरचना विनिधान न्यास और भू-संपदा विनिधान न्यासों के मामले में व्यतिक्रम के लिए शास्ति ।

"15ङक. जहां कोई व्यक्ति अनुकल्पी विनिधान निधियों, अवसंरचना विनिधान न्यासों और भू-संपदा विनिधान न्यासों के संबंध में बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों का अनुपालन करने में असफल रहता है या बोर्ड द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो ऐसा व्यक्ति शास्ति का दायी होगा, जो एक लाख रुपए से अन्यून होगी किन्तु जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम एक करोड़ रुपए के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए या ऐसी असफलता से उठाए गए लाभ की रकम से तीन गुणा, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगी ।

विनिधान सलाहकार और अनुसंधान विश्लेषक के मामले में व्यतिक्रम के लिए शास्ति ।

15ङख. जहां कोई विनिधान सलाहकार या कोई अनुसंधान विश्लेषक, बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों या बोर्ड द्वारा जारी किए गए निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां ऐसा विनिधान सलाहकार या अनुसंधान विश्लेषक शास्ति का दायी होगा, जो एक लाख रुपए से अन्यून होगी किन्तु जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम एक करोड़ रुपए के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए या ऐसी असफलता से उठाए गए लाभ की रकम से तीन गुणा, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगी ।"।

धारा 15च का संशोधन ।

180. मूल अधिनियम की धारा 15च के खंड (ख) में, "वह ऐसी किसी सामूहिक विनिधान स्कीम को, जिसके अंतर्गत पारस्परिक निधियां हैं, प्रायोजित करता है या चलाता है" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी असफलता जारी रहती है" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 15झ का संशोधन ।

181. धारा 15झ की उपधारा (1) में,—

(i) "धारा 15ङ" शब्द, अंकों और अक्षर के पश्चात् "धारा 15ङक, धारा 15ङख" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "करेगा" शब्द के स्थान पर, "कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 15ञ का संशोधन ।

182. मूल अधिनियम की धारा 15ञ में,—

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"शास्ति की मात्रा का न्यायनिर्णयन करते समय ध्यान में रखी जाने वाली बातें ।";

(ख) "न्यायनिर्णायक अधिकारी, धारा 15झ" शब्दों, अंकों और अक्षर के पश्चात् "बोर्ड या न्यायनिर्णायक अधिकारी, धारा 11 या धारा 11ख या धारा 15झ" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) स्पष्टीकरण में, "किसी न्यायनिर्णायक अधिकारी के" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

183. मूल अधिनियम की धारा 15ञख में उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 15ञख का संशोधन ।

''(5) वापस की गई रकम और विधिक लागत, जो इस अधिनियम के अधीन वसूल की गई है, को छोड़कर सभी परिनिर्धारित रकमों का भारत की संचित निधि में प्रत्यय किया जाएगा ।'' ।

184. मूल अधिनियम की धारा 24 में,— धारा 24 का संशोधन ।

(i) ''न्यायनिर्णायक अधिकारी'' शब्दों के पश्चात्, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, ''या बोर्ड'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में, ''उसके'' शब्द का लोप किया जाएगा ।

185. मूल अधिनियम की धारा 27 में,— धारा 27 का संशोधन ।

(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

''कंपनियों द्वारा उल्लंघन ।'';

(ii) उपधारा (1) में ''इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध'' शब्दों के स्थान पर, ''इस अधिनियम के किसी उपबंध या किसी नियम, विनियम या उनके अधीन किए गए किसी निदेश या आदेश का उल्लंघन'' शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) ''अपराध'' शब्द, जहां कहीं वह आता है, के स्थान पर, ''उल्लंघन'' शब्द रखा जाएगा ।

186. मूल अधिनियम की धारा 28क की उपधारा (1) में, ''न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा'' शब्दों के स्थान पर ''इस अधिनियम के अधीन'' शब्द रखे जाएंगे । धारा 28क का संशोधन ।

187. मूल अधिनियम की धारा 28क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी,— नई धारा 28ख का अंतःस्थापन ।

'28ख. (1) जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वहां उसका विधिक प्रतिनिधि किसी ऐसी राशि का संदाय करने के लिए उसी रूप में और उसी सीमा तक दायी होगा, जिसके लिए मृतक दायी होता, यदि उसकी मृत्यु नहीं हुई होती : कार्यवाहियों का जारी रहना ।

परंतु इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी शास्ति की दशा में कोई विधिक प्रतिनिधि केवल उसी दशा में दायी होगा, जिसमें शास्ति मृतक व्यक्ति की मृत्यु से पूर्व अधिरोपित की गई है ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) मृतक के विरुद्ध उसकी मृत्यु से पूर्व, इस अधिनियम के अधीन वसूली अधिकारी के समक्ष वापस किए जाने, प्रतिदाय किए जाने या वसूली की किसी कार्रवाई से संबंधित आरंभ की गई ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों को, सिवाय शास्ति के उदग्रहण हेतु कार्यवाहियों के, उसके विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध आरंभ किया गया समझा जाएगा और उन्हें उस प्रक्रम से विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध जारी रखा जा सकेगा, जिस पर वह मृतक की मृत्यु की तारीख को थी और इस अधिनियम के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे ;

(ख) मृतक के विरुद्ध उसकी मृत्यु से पूर्व, इस अधिनियम के अधीन वसूली अधिकारी के समक्ष वापस किए जाने, प्रतिदाय किए जाने या वसूली की किसी कार्रवाई से संबंधित ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों को, सिवाय शास्ति के उद्ग्रहण हेतु कार्यवाहियों के, जिन्हें मृतक के विरुद्ध उस समय आरंभ किया जाता, यदि उसकी मृत्यु न हुई होती, उसके विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध आरंभ किया जा सकेगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

(3) प्रत्येक विधिक प्रतिनिधि, उस समय विधिक प्रतिनिधि के रूप में उसकी हैसियत में उसके द्वारा संदेय किसी राशि के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा यदि ऐसी राशि के लिए उसका दायित्व अननुमोचित रहता है, वह मृतक की संपदा की किसी आस्ति या उसके किसी भाग पर प्रभार का सृजन करता है या उसका व्ययन करता है या उसे छोड़ देता है, जो उसके कब्जे में है या उसके कब्जे में आ सकेंगे, किंतु ऐसा दायित्व उसके द्वारा इस प्रकार प्रभार के अधीन लाई गई, व्ययनित या छोड़ी गई आस्ति के मूल्य तक सीमित होगा ।

(4) इस धारा के अधीन रहते हुए, किसी विधिक प्रतिनिधि का दायित्व, उस विस्तार तक सीमित होगा, जिस तक मृतक की संपदा दायित्व की पूर्ति करने में समर्थ है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''विधिक प्रतिनिधि'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो विधि में मृतक व्यक्ति की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है और उसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है, जो मृतक व्यक्ति की संपदा में दखल देता है और जहां कोई पक्षकार कोई वाद करता है या उस पर प्रतिनिधित्व प्रकृति का कोई वाद किया जाता है, वहां ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित होगा, जिसे इस प्रकार वाद करने वाले पक्षकार या ऐसे पक्षकार, जिस पर वाद किया गया है, की मृत्यु पर ऐसी संपदा न्यागत होती है ।'।

भाग 11

निक्षेपागार अधिनियम, 1996 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ।

188. इस भाग के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किया जाए ।

धारा 19 का संशोधन ।

189. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 19 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— (1996 का 22)

''(2) उपधारा (1) और धारा 19ज में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड आदेश द्वारा, लिखित में कारणों को अभिलिखित करके, विहित रीति में कोई जांच कराने के पश्चात्, आदेश द्वारा धारा 19क, धारा 19ख, धारा 19ग, धारा 19घ, धारा 19ङ, धारा 19च, धारा 19चक और धारा 19छ के अधीन शास्ति का उद्ग्रहण कर सकेगा ।''।

धारा 19क का संशोधन ।

190. मूल अधिनियम की धारा 19क में,—

(i) खंड (क) में ''असफल रहेगा'' शब्दों के पश्चात्, ''या जो मिथ्या, गलत या अपूर्ण जानकारी, विवरणी, रिपोर्ट, बहियां या अन्य दस्तावेज देता है या प्रस्तुत करता है'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में ''असफल रहेगा'' शब्दों के पश्चात्, ''या जो मिथ्या, गलत या अपूर्ण जानकारी, विवरणी, रिपोर्ट, बहियां या अन्य दस्तावेज देता है या प्रस्तुत करता है'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 19चक का अंतःस्थापन ।

191. मूल अधिनियम की धारा 19च के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

उचित रीति में कारबार करने में असफल रहने के लिए शास्ति ।

''19चक. जहां कोई निक्षेपागार अपने प्रतिभागियों या किसी निर्गमकर्ता या अपने अभिकर्ता या प्रतिभूति बाजार से सहबद्ध किसी व्यक्ति के साथ, बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या बोर्ड द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार उचित रीति में अपना कारबार करने में असफल रहता है तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पांच करोड़ रूपए से कम नहीं होगी किंतु जो पच्चीस करोड़ रुपए तक या, ऐसे असफल रहने के कारण प्राप्त किए गए अभिलाभों की रकम से तीन गुणा तक, इनमें से जो भी अधिक हो, की हो सकेगी ।''।

धारा 19ज का संशोधन ।

192. मूल अधिनियम की धारा 19ज की उपधारा (1) में, ''19च और 19छ, बोर्ड'' अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, ''19च, 19चक और 19छ, बोर्ड'' अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 19झ का संशोधन ।

193. मूल अधिनियम की धारा 19झ में,—

(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

''शास्ति की मात्रा का न्यायनिर्णयन करते समय विचार में ली जाने वाली बातें ।'';

(ii) ''न्यायनिर्णायक अधिकारी धारा 19ज'' शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, ''बोर्ड या न्यायनिर्णायक अधिकारी धारा 19 या 19ज'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) स्पष्टीकरण में, ''न्यायनिर्णायक अधिकारी'' शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 19झक का संशोधन ।

194. मूल अधिनियम की धारा 19झक की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''(5) इस अधिनियम के अधीन वसूल की गई सभी परिनिर्धारण रकमों को, वापस की गई रकमों और विधिक लागतों को छोड़कर, भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा ।''।

धारा 19झख का संशोधन ।

195. मूल अधिनियम की धारा 19झख की उपधारा (1) में, ''न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा'' शब्दों के स्थान पर, ''इस अधिनियम के अधीन'' शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 19झग का अंतःस्थापन ।

196. मूल अधिनियम की धारा 19झख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कार्यवाहियों का जारी रहना ।

'19झग. (1) जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वहां उसका विधिक प्रतिनिधि, ऐसी राशि का संदाय करने के लिए दायी होगा, जिसका उक्त मृतक संदाय करने के लिए दायी होता, यदि उसकी मृत्यु नहीं हुई होती और उसका संदाय उस रीति में और उस सीमा तक किया जाएगा, जैसा कि मृतक द्वारा किया जाताः

परंतु, इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी शास्ति की दशा में, कोई विधिक उत्तराधिकारी शास्ति का संदाय करने के लिए केवल उसी दशा में दायी होगा, यदि उसे मृतक व्यक्ति की मृत्यु से पूर्व अधिरोपित किया गया है ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) मृतक के विरुद्ध उसकी मृत्यु से पूर्व, इस अधिनियम के अधीन वसूली अधिकारी के समक्ष वापस किए जाने, प्रतिदाय किए जाने या वसूली की किसी कार्रवाई से संबंधित आरंभ की गई ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों को, सिवाय शास्ति के उदग्रहण हेतु कार्यवाहियों के, उसके विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध आरंभ किया गया समझा जाएगा और उन्हें उस प्रक्रम से विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध जारी रखा जा सकेगा, जिस पर वह मृतक की मृत्यु की तारीख को थी और इस अधिनियम के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे ;

(ख) मृतक के विरुद्ध उसकी मृत्यु से पूर्व, इस अधिनियम के अधीन वसूली अधिकारी के समक्ष वापस किए जाने, प्रतिदाय किए जाने या वसूली की किसी कार्रवाई से संबंधित ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों को, सिवाय शास्ति के उद्ग्रहण हेतु कार्यवाहियों के, जिन्हें मृतक के विरुद्ध उस समय आरंभ किया जाता, यदि उसकी मृत्यु न हुई होती, उसके विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध आरंभ किया जा सकेगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

(3) प्रत्येक विधिक प्रतिनिधि, उस समय विधिक प्रतिनिधि के रूप में उसकी हैसियत में उसके द्वारा संदेय किसी राशि के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा यदि ऐसी राशि के लिए उसका दायित्व अननुमोचित रहता है, वह मृतक की संपदा की किसी आस्ति या उसके किसी भाग पर प्रभार का सृजन करता है या उसका व्ययन करता है या उसे छोड़ देता है, जो उसके कब्जे में है या उसके कब्जे में आ सकेंगे, किंतु ऐसा दायित्व उसके द्वारा इस प्रकार प्रभार के अधीन लाई गई, व्ययनित या छोड़ी गई आस्ति के मूल्य तक सीमित होगा ।

(4) इस धारा के अधीन रहते हुए, किसी विधिक प्रतिनिधि का दायित्व, उस विस्तार तक सीमित होगा, जिस तक मृतक की संपदा दायित्व की पूर्ति करने में समर्थ है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''विधिक प्रतिनिधि'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो विधि में मृतक व्यक्ति की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है और उसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है, जो मृतक व्यक्ति की संपदा में दखल देता है और जहां कोई पक्षकार कोई वाद करता है या उस पर प्रतिनिधित्व प्रकृति का कोई वाद किया जाता है, वहां ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित होगा, जिसे इस प्रकार वाद करने वाले पक्षकार या ऐसे पक्षकार, जिस पर वाद किया गया है, की मृत्यु पर ऐसी संपदा न्यागत होती है ।'।

197. मूल अधिनियम के अध्याय 5 में, शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :— अध्याय 5 का संशोधन ।

''प्रकीर्ण'' ।

198. मूल अधिनियम की धारा 20 में,— धारा 20 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में, ''न्यायनिर्णायक अधिकारी'' शब्दों के पश्चात्, ''या बोर्ड'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में, ''न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति का संदाय करने में असफल रहेगा या उसके'' शब्दों के स्थान पर, ''न्यायनिर्णायक अधिकारी या बोर्ड द्वारा अधिरोपित शास्ति का संदाय करने में असफल रहेगा या'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

199. मूल अधिनियम की धारा 21 में,— धारा 21 का संशोधन ।

(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

''कंपनियों द्वारा उल्लंघन ।'';

(ii) उपधारा (1) में,—

(क) ''इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध'' शब्दों के स्थान पर, ''इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, किए गए किसी निदेश या आदेश के किन्हीं उपबंधों का कोई उल्लंघन'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) ''अपराध'' शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, ''उल्लंघन'' शब्द रखा जाएगा;

(iii) उपधारा (2) में,—

(क) ''इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध'' शब्दों के स्थान पर, ''इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, किए गए किसी निदेश या आदेश के किन्हीं उपबंधों का कोई उल्लंघन'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) ''अपराध'' शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां कहीं वह आता है, ''उल्लंघन'' शब्द रखा जाएगा;

200. मूल अधिनियम में, ''अध्याय 6 और प्रकीर्ण'' शब्दों और अंक का लोप किया जाएगा । शीर्षों का लोप ।

भाग 12

उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1997 का संशोधन

1997 के अधिनियम सं० 30 की धारा 2 का संशोधन ।

201. उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1997 की धारा 2 की उपधारा (2) के खंड (ग) में, ''साठ हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''नब्बे हजार रुपए'' शब्द 1 अप्रैल, 2018 से रखे जाएंगे ।

भाग 13

केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ ।

202. इस भाग के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किया जाए ।

2000 के अधिनियम सं० 54 का संशोधन ।

203. केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 में,—

(क) बृहत् शीर्ष में, ''राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण तथा रेलक्रासिंगों पर सुरक्षा में सुधार के लिए 1998 में पारित संसद् के संकल्प द्वारा शासित विद्यमान केंद्रीय सड़क निधि को कानूनी प्रास्थिति प्रदान करने और इन प्रयोजनों के लिए पेट्रोल के रूप में सामान्यतः ज्ञात मोटर स्पिरिट, उच्च गति डीजल तेल पर उपकर के रूप में उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क का उद्ग्रहण तथा संग्रहण करने'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''राष्ट्रीय राजमार्गों, रेल परियोजनाओं के विकास और अनुरक्षण तथा रेल, राज्य और ग्रामीण सड़कों और अन्य अवसंरचना की सुरक्षा में सुधार के लिए और इन प्रयोजनों के लिए पेट्रोल के रूप में सामान्यतः ज्ञात मोटर स्पिरिट, उच्च गति डीजल तेल पर उपकर के रूप में उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क का उद्ग्रहण तथा संग्रहण करने'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) धारा 1 की उपधारा (1) में, ''केंद्रीय सड़क'' शब्दों के स्थान पर, ''केंद्रीय सड़क और अवसंरचना'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) धारा 2 में,—

(i) खंड (ग) में, ''सड़क निधि'' शब्दों के स्थान पर, ''सड़क और अवसंरचना निधि'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ङ) का लोप किया जाएगा ;

(घ) अध्याय 2 में,—

(i) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

''केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि'';

(ii) धारा 3 में,—

(अ) ''अनुसूची'' शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, ''अनुसूची 1'' शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(आ) उपधारा (1) में, दीर्घ पंक्ति में, ''जो अनुसूची के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उपवार्णित दरों से अधिक न हो'' शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(इ) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ई) दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु सामान्य रूप से ज्ञात पैट्रोल और उच्च गति डीजल तेल पर वित्त अधिनियम, 2018 की, यथास्थिति, धारा 109 की उपधारा (1) या धारा 110 की उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत अतिरिक्त सीमाशुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उनके उद्ग्रहण की तारीख से, उपकर माना जाएगा और उनके आगमों को निधि में जमा किया जाएगा ।'';

(ङ) धारा 6 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, ''सड़क निधि'' शब्दों के स्थान पर, ''सड़क और अवसंरचना निधि'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) में, ''सड़क निधि'' शब्दों के स्थान पर, ''सड़क और अवसंरचना निधि'' शब्द रखे जाएंगे;

(च) धारा 7 को, उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) में,—

(अ) खंड (iv) और (v) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(iv) पुलों के साधन से रेल पथ के नीचे या ऊपर सड़कों का संनिर्माण और ऐसी रेल-सड़क क्रासिंगों पर, जहां कोई व्यक्ति तैनात नहीं है, सुरक्षा संकर्मों का परिनिर्माण, नई लाइनों का बिछाया जाना, विद्यमान स्टेंडर्ड लाइनों को गेज लाइनों में संपरिवर्तित करना और रेल लाइनों का विद्युतीकरण ; और

(v) अन्य अवसंरचना परियोजनाओं को आरंभ करना ।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ''अवसंरचना परियोजनाओं'' पद से, अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं का प्रवर्ग और अवसंरचना उप सेक्टर अभिप्रेत है ।';

(आ) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

''(2) केंद्रीय सरकार, अवसंरचना परियोजनाओं के विकास की अपेक्षा पर निर्भर करते हुए और यदि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती है, तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परियोजनाओं के प्रवर्ग और अवसंरचना उप सेक्टरों से संबंधित अनुसूची 2 को संशोधित कर सकेगी ।

(3) इस अधिनियम के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगी । किन्तु अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।'';

(छ) धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

समिति द्वारा निधि के अंशों का प्रभाजन ।

''7क. अवसंरचना परियोजनाओं में से प्रत्येक को प्रभाजित किए जाने वाले निधि के अंश को, केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा गठित समिति द्वारा परियोजना की पूर्विकताओं पर निर्भर करते हुए अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाएगी ।'';

(ज) अध्याय 3 में, शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

''केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि का प्रबंध'';

(झ) धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

केंद्रीय सरकार की निधि का प्रशासन करने की शक्ति ।

''9. केंद्रीय सरकार के पास निधि का प्रशासन करने की शक्ति होगी और वह,—

(क) सड़कों और अन्य अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं में निवेश के संबंध में ऐसे निर्णय करेगी, जिन्हें वह आवश्यक समझे ;

(ख) ऐसे उपाय करेगी, जो सड़कों और अन्य अवसंरचना के विकास और अनुरक्षण के लिए आवश्यक निधि जुटाने के लिए आवश्यक हों ।'';

(ञ) धारा 10 की उपधारा (1) में,—

(अ) खंड (i) में, ''राष्ट्रीय राजमार्गों'' शब्दों के स्थान पर, ''सड़कों और अन्य अवसंरचना'' शब्द रखे जाएंगे;

(आ) खंड (iii) का लोप किया जाएगा ;

(इ) खंड (v) और खंड (vi) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

''(v) विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए राज्यों को निधियां जारी करना और ऐसी परियोजनाओं तथा उन पर उपगत व्यय की मानीटरी करना ;

(vi) राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं के विकास और अनुरक्षण के लिए निधियों के आबंटन हेतु मानदंड तैयार करना ;'';

(ई) खंड (viii) का लोप किया जाएगा ;

(ट) धारा 11 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

''(1) सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए खर्च किए जाने वाला निधि का अंश ऐसी रीति में आबंटित किया जाएगा, जैसा कि धारा 7क में निर्दिष्ट समिति द्वारा विनिश्चय किया जाए ।'';

(ठ) धारा 12 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) में, ''वे परियोजनाएं'' शब्दों के स्थान पर, ''उस किस्म की परियोजनाएं'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ग) में, ''धारा 10 के अधीन'' शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ड) धारा 14 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, ''सड़क निधि'' शब्दों के स्थान पर, ''सड़क और अवसंरचना निधि'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) में, ''राजमार्गों और राज्य सड़कों'' शब्दों के स्थान पर, ''राजमार्गों, राज्य सड़कों और अन्य अवसंरचना'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ढ) अनुसूची 1 (इस प्रकार पुनःसंख्यांकित) के स्तंभ (3) का लोप किया जाएगा ;

(ण) अनुसूची को ''अनुसूची 1'' के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित अनुसूची 1 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''अनुसूची 2

[धारा 7(1) देखिए]

परियोजनाओं और अवसंरचना उप सेक्टरों के प्रवर्ग

क्र०सं०	प्रवर्ग		अवसंरचना उप सेक्टर
1	2		3
1.	परिवहन	(क)	सड़क और पुल
		(ख)	पत्तन (जिसके अंतर्गत कैपिटल झमाई भी है)
		(ग)	पोत प्रांगण (जिसके अंतर्गत तटीय नगरभाग, घुमावदार बेसिन, घाट पर लगाने और डाकिंग सुविधा, जलांतरण मंच या पोत उत्थापक की आवश्यक विशेषताओं सहित प्लवमान या भू-आधारित सुविधा भी है और जो पोत निर्माण/मरम्मत/भंजन क्रियाकलाप करने के लिए स्वःपर्याप्त है)
		(घ)	अंतरदेशीय जलमार्ग
		(ङ)	विमानपत्तन
		(च)	रेल पटरी, सुरंग, सेतु, पुल, टर्मिनल अवसंरचना जिसके अंतर्गत स्टेशन और पार्श्व वाणिज्यिक अवसंरचना भी आते हैं
		(छ)	नगरीय पब्लिक परिवहन (नगरीय सड़क परिवहन की दशा में रोलिंग स्टाक के सिवाय)
2.	ऊर्जा	(क)	विद्युत उत्पादन
		(ख)	विद्युत पारेषण
		(ग)	विद्युत वितरण
		(घ)	तेल पाइपलाइन
		(ङ)	तेल/गैस/द्रवित प्राकृतिक गैस(एलएनजी) भंडारण सुविधा (जिसके अंतर्गत कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण भी है)
		(च)	गैस पाइपलाइन (जिसके अंतर्गत नगर गैस वितरण नेटवर्क भी है)
3.	जल और स्वच्छता	(क)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
		(ख)	जल प्रदाय पाइपलाइन
		(ग)	जल उपचार संयंत्र
		(घ)	मल एकत्रण उपचार और व्ययन प्रणाली
		(ङ)	सिंचाई (बांध, जलसरणी, तटबंध आदि)
		(च)	तूफान जल निकास प्रणाली
		(छ)	गारे की पाइपलाइन
4.	संचार	(क)	दूरसंचार (स्थिर नेटवर्क, जिसके अंतर्गत आप्टिक फाइबर/तार/केबल नेटवर्क भी है, जो ब्राडबैंड और इंटरनेट उपलब्ध कराते हैं)
		(ख)	दूरसंचार टावर
		(ग)	दूरसंचार और दूरभाष सेवाएं
5.	सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना	(क)	शिक्षा संस्थाएं (पूंजी स्टाक)
		(ख)	खेल अवसंरचना (जिसके अंतर्गत खेलों और खेल संबंधी क्रियाकलापों में प्रशिक्षण/अनुसंधान के लिए अकादमियों हेतु खेल स्टेडियम और अवसंरचना का उपबंध भी है)
		(ग)	अस्पताल (पूंजी स्टाक, जिसके अंतर्गत आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, पैरा मेडिकल प्रशिक्षण संस्थाएं और निदान केंद्र भी हैं)
		(घ)	पर्यटन अवसंरचना, अर्थात् (i) दस लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगरों के बाहर अवस्थित तीन सितारा या उच्चतर प्रवर्ग के वर्गीकृत होटल ; (ii) रज्जू मार्ग और केबल कार

क्र०सं०	प्रवर्ग	अवसंरचना उप सेक्टर
1	2	3
		(ङ) औद्योगिक क्रियाकलाप, जैसे खाद्य पार्क, टैक्सटाइल पार्क, विशेष आर्थिक जोन, पर्यटन सुविधाओं और कृषि बाजारों वाले औद्योगिक पार्कों, अन्य पार्कों के लिए सामूहिक अवसंरचना
		(च) कृषि और बागान उत्पाद के लिए पश्च फसल भंडारण अवसंरचना, जिसके अंतर्गत शीत भंडारण भी है
		(छ) टर्मिनल बाजार
		(ज) मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं
		(झ) शीत श्रृंखला (जिसके अंतर्गत कृषि स्तरीय पूर्व शीतकरण के लिए, कृषि और सहयुक्त उत्पाद, सामुद्रिक उत्पाद और मांस के परिरक्षण या भंडारण के लिए शीत कक्ष सुविधा भी है)
		(ञ) सस्ते आवास (जिसके अंतर्गत साठ वर्गमीटर से अनधिक कारपेट क्षेत्र वाले आवास यूनिटों के लिए कम से कम पचास प्रतिशत फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)/फर्शी स्थान सूचकांक (एफ.एस.आई.) का उपयोग करने वाली आवास परियोजना भी है)
		स्पष्टीकरण—उपखंड (ञ) के प्रयोजनों के लिए, "कारपेट क्षेत्र" पद का वही अर्थ होगा, जो भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के खंड (ट) में उसका है ।''।

भाग 14

धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ ।

204. इस भाग के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2002 के अधिनियम संख्यांक 15 का संशोधन ।

205. धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में,—

(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (प) में, ''देश के भीतर'' शब्दों के पश्चात् ''या बाहर'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) धारा 5 में,—

(i) उपधारा (1) में, दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परन्तु यह भी कि एक सौ अस्सी दिन की अवधि की संगणना करते समय उच्च न्यायालय द्वारा इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के दौरान मंजूर किए गए रोकादेश की अवधि को छोड़ दिया जाएगा और ऐसे रोकादेश के रद्द किए जाने की तारीख से तीस दिन से अनधिक की और अवधि मंजूर की जाएगी ।';

(ii) उपधारा (3) में ''उपधारा (2)'' शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, ''उपधारा (3)'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ग) धारा 8 में,—

(i) उपधारा (3) के खंड (क) में ''अपराध के संबंध में'' शब्दों के पश्चात्, ''नब्बे दिन से अनधिक की किसी अवधि के लिए अन्वेषण या'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (8) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु यह और कि विशेष न्यायालय यदि वह ठीक समझता है, तो ऐसी रीति में जो विहित की जाए, मामले के विचारण के दौरान भी ऐसी संपत्तियों को वापस देने के प्रयोजन के लिए दावेदार के दावे पर भी विचार कर सकेगा ।';

(घ) धारा 19 की उपधारा (3) में,—

(i) ''किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट'' शब्दों से पहले, ''विशेष न्यायालय या'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) के परंतुक में, ''मजिस्ट्रेट के न्यायालय'' शब्दों से पहले, ''विशेष न्यायालय या'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ङ) धारा 45 की उपधारा (1) में,—

(i) ''अनुसूची के भाग क के अधीन तीन वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय'' शब्दों के स्थान पर, ''इस अधिनियम के अधीन'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक में ''रुग्ण है या अशक्त है'' शब्दों के पश्चात् ''या एक करोड़ रुपए से कम की राशि के धन-शोधन का स्वयं या किसी अन्य सह-अभियुक्त के साथ अभियुक्त है'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(च) धारा 50 की उपधारा (5) के परंतुक के खंड (ख) में ''निदेशक'' शब्द से पहले ''संयुक्त'' शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(छ) धारा 66 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''(2) यदि उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट निदेशक या अन्य प्राधिकारी की, अपने कब्जे में सूचना या तात्त्विक सामग्री के आधार पर यह राय है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है, तो निदेशक या ऐसा अन्य प्राधिकारी आवश्यक कार्रवाई के लिए जानकारी को साझा करेगा ।'';

(ज) अनुसूची के भाग क में, पैरा 28 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''पैरा 29

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपराध

(2013 का 18)

धारा	अपराध का वर्णन
447	कपट के लिए दंड'' ।

भाग 15

राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ ।

206. इस भाग के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

वृहत्त शीर्ष का संशोधन ।

207. राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस भाग में मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत्त शीर्ष में ''और पर्याप्त राजस्व अधिशेष'' शब्दों का लोप किया जाएगा । 2003 का 39

धारा 2 का संशोधन ।

208. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(i) खंड (कक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(कक) किसी भी तारीख को ''केंद्रीय सरकार का ऋण'' से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं—

(i) भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर केंद्रीय सरकार के कुल बकाया दायित्व, जिसके अंतर्गत वर्तमान विनिमय दरों पर मूल्यांकित बाह्य ऋण भी है ;

(ii) भारत के लोक लेखा में कुल बकाया दायित्व ; और

(iii) किसी निगमित निकाय या केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा उसके द्वारा नियंत्रित अन्य अस्तित्व के ऐसे वित्तीय दायित्व, जिनका सरकार द्वारा प्रतिसंदाय किया जाना है या जिनका वार्षिक वित्तीय विवरण से वितरण किया जाना है, जिसमें से उस तारीख के अंत में उपलब्ध नकद अतिशेष घटा दिया गया हो ;';

(ii) खंड (खख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(खख) ''साधारण सरकार का ऋण'' से केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के ऋणों की कुल राशि अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत अंतर-शासकीय दायित्व नहीं हैं ;

(खग) ''सकल घरेलू उत्पाद'' से सकल मूल्य राशि, जिसमें सभी निवासी उत्पादन इकाइयों को जोड़ दिया जाएगा, जमा उत्पादों पर, सहायिकियों को घटाकर, कर का वह भाग, जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादन के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है, जिसे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा समय-समय पर यथा प्रकाशित वर्तमान बाजार कीमतों पर संगणित किया जाएगा ;';

(iii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(गक) ''वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद'' से समय-समय पर केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा यथा-प्रकाशित स्थिर कीमतों पर संगणित सकल घरेलू उत्पाद अभिप्रेत हैं ;

(गख) ''वास्तविक आउटपुट वृद्धि'' से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि अभिप्रेत है ;';

(iv) खंड (ङ) और खंड (च) का लोप किया जाएगा ।

धारा 3 का संशोधन ।

209. मूल अधिनियम की धारा 3 में, —

(क) उपधारा (3) में, मद (i) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (6) के खंड (ख) में ''राजस्व अतिशेष और'' शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (6क) में, मद (iii) का लोप किया जाएगा ।

धारा 4 का संशोधन ।

210. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

राजवित्तीय प्रबंध के सिद्धांत ।

''4. (1) केंद्रीय सरकार—

(क) राजवित्तीय घाटे को 31 मार्च, 2021 तक सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक सीमित करने के लिए समुचित उपाय करेगी ;

(ख) का यह सुनिश्चित करने का प्रयास होगा कि—

(i) साधारण सरकारी ऋण वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद के साठ प्रतिशत से अधिक नहीं हो ;

(ii) केंद्रीय सरकार का ऋण वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद के चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं हो ;

(ग) भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर किसी ऋण की बाबत, किसी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के आधे प्रतिशत से अधिक की अतिरिक्त प्रत्याभूतियां (गारंटी) नहीं देगी ;

(घ) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट वार्षिक राजवित्तीय लक्ष्य नियत लक्ष्यित तारीख से आगे नहीं जाएं ।

(2) केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 के अध्याय 8 के भाग 15 के ऐसे प्रारंभ की तारीख से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए राजवित्तीय घाटे को कम करने के लिए वार्षिक लक्ष्य विहित करेगी :

परंतु वार्षिक राजवित्तीय घाटे के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में, राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध कार्य, राष्ट्रीय आपदा, कृषि उत्पाद तथा आय को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली फसलों की विफलता, अननुमानित राजवित्तीय विवक्षाओं के साथ अर्थव्यवस्था में अवसंरचनात्मक सुधारों, किसी एक तिमाही में वास्तविक आउटपुट वृद्धि में पूर्ववर्ती चार तिमाहियों की औसत से तीन प्रतिशत की कमी के आधार या आधारों के कारण इस धारा के प्रयोजनों के लिए परिवर्तन को अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन राजवित्तीय घाटे के लक्ष्य से कोई विचलन एक वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(4) केंद्रीय सरकार, किसी एक तिमाही में वास्तविक आउटपुट वृद्धि में पूर्ववर्ती चार तिमाहियों की औसत से न्यूनतम तीन प्रतिशत अधिक होने की दशा में, किसी एक वर्ष में राजवित्तीय घाटे में एक वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम एक चौथाई प्रतिशत कमी लाने के लिए पहल करेगी ।

(5) जहां राजवित्तीय घाटे में उपधारा (2) के परंतुक या उपधारा (4) के अधीन विहित लक्ष्यों में परिवर्तन अनुज्ञात किया जाता है, के अधीन विचलन की पहल की जाती है, वहां उसके कारणों को स्पष्ट करते हुए तथा इस धारा के अधीन वार्षिक लक्ष्यों को पुनः प्राप्त करने की योजना को अधिकथित करते हुए एक विवरण यथासंभवशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा ।''।

धारा 5 का संशोधन ।

211. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

''(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, रिजर्व बैंक, धारा 4 की उपधारा (2) के परंतुक में विनिर्दिष्ट आधार या आधारों के कारण केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के आरंभिक निर्गम का अभिदाय कर सकेगा ।'';

(ख) उपधारा (4) में ''द्वितीयक बाजार'' शब्दों के पश्चात् ''या अपने पोर्टफोलियो में प्रतिभूतियों का केंद्रीय सरकार के पोर्टफोलियो में रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार के बीच पारस्परिक रूप से करार पाई गई केन्द्रीय सरकार की अन्य प्रतिभूतियों के साथ उसके द्वारा धारित केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों को संपरिवर्तित कर सकेगा'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 7 का संशोधन ।

212. मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(क) उपधारा (1) में, ''प्रत्येक तिमाही'' शब्दों के स्थान पर, ''अर्धवार्षिक आधार'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''(1क) केंद्रीय सरकार अपने लेखाओं का एक मासिक विवरण तैयार करेगी ।'' ;

(ग) उपधारा (2) में, ''राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण में और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में वर्णित पूर्व विनिर्दिष्ट स्तरों'' शब्दों के स्थान पर, ''विहित स्तरों'' शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 8 का संशोधन।

213. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (गक) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घक) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन राजस्व में कमी या व्यय की अधिकता का स्तर ;"।

भाग 16

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का संशोधन

2004 के अधिनियम सं० 23 का संशोधन।

214. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 97 के खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2018 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(5) "साधारण शेयरोन्मुख निधि" से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 112क के स्पष्टीकरण के खंड (क) में निर्दिष्ट निधि अभिप्रेत है ।'। 1961 का 43

भाग 17

वित्त अधिनियम, 2013 का संशोधन

2013 के अधिनियम सं० 17 का संशोधन।

215. वित्त अधिनियम, 2013 में,—

(क) धारा 116 के खंड (7) में, "वस्तु व्युत्पन्नियों" शब्दों के पश्चात्, "या वस्तुओं के भावी सौदों में विकल्प" शब्द 1 अप्रैल, 2018 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) धारा 117 और धारा 118 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं 1 अप्रैल, 2018 से रखी जाएंगी, अर्थात् :—

वस्तु संव्यवहार कर का प्रभार।

'117. 1 अप्रैल, 2018 से ही, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट कराधेय वस्तु संव्यवहार के संबंध में, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर, ऐसे संव्यवहार के मूल्य पर वस्तु संव्यवहार कर प्रभारित किया जाएगा और ऐसा कर, यथास्थिति, क्रेता या विक्रेता द्वारा संदेय होगा, जैसा कि उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है :

सारणी

क्रम सं०	कराधेय वस्तु संव्यवहार	दर	द्वारा संदेय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वस्तु व्युत्पन्नी का विक्रय	0.01 प्रतिशत	विक्रेता
2.	वस्तु व्युत्पन्नी पर विकल्प का विक्रय	0.05 प्रतिशत	विक्रेता
3.	वस्तु व्युत्पन्नी पर विकल्प का विक्रय, जहां विकल्प का प्रयोग कर लिया गया है	0.0001 प्रतिशत	क्रेता ।

कराधेय वस्तु संव्यवहार का मूल्य।

118. धारा 117 में निर्दिष्ट कराधेय वस्तु संव्यवहार का मूल्य,—

(क) वस्तु व्युत्पन्नी से संबंधित कराधेय वस्तु संव्यवहार की दशा में, वह कीमत होगी, जिस पर वस्तु व्युत्पन्नी का व्यापार किया जाता है ;

(ख) वस्तु व्युत्पन्नी पर विकल्प से संबंधित कराधेय वस्तु संव्यवहार की दशा में निम्नलिखित होगा,—

(i) धारा 117 की सारणी के क्रम सं० 2 में के संव्यवहार के संबंध में विकल्प प्रीमियम ;

(ii) धारा 117 की सारणी के क्रम सं० 3 में के संव्यवहार के संबंध में परिनिर्धारण कीमत ।

(ग) धारा 128 में, "1961 की धारा" अंकों और शब्दों के पश्चात्, "119, धारा" अंक और शब्द 1 अप्रैल, 2018 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।'।

भाग 18

काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 का संशोधन

216. काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 में, 1 अप्रैल, 2018 से,— 2015 के अधिनियम सं० 22 का संशोधन ।

(क) धारा 46 की उपधारा (4) में,—

(i) ''संयुक्त आयुक्त'' शब्दों के पश्चात्, ''या संयुक्त निदेशक'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, ''उपायुक्त'' शब्द के पश्चात्, ''या सहायक निदेशक या उपनिदेशक'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) धारा 55 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

''अभियोजन का प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या मुख्य आयुक्त या महानिदेशक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त की पहल पर किया जाना'' ;

(ii) उपधारा (2) में, ''मुख्य आयुक्त'' शब्दों के पश्चात्, ''या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

भाग 19

वित्त अधिनियम, 2016 का संशोधन

217. वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 236 के आरंभिक पैरा में, ''26 सितंबर, 2010'' अंकों और शब्द के स्थान पर, ''5 अगस्त, 1976'' अंक और शब्द रखे जाएंगे । 2016 के अधिनियम सं० 28 का संशोधन ।

भाग 20

केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का संशोधन

218. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 की उपधारा (16) में, ''केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड'' शब्दों के स्थान पर ''केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड'' शब्द रखे जाएंगे । 2017 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 का संशोधन ।

अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 102(क), खंड 103 (ख), खंड 109, खंड 110 और खंड 111 के उपबंध अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरंत प्रवृत्त होंगे । 1931 का 16

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	12,500 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,12,500 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	10,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,10,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,00,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है;

(ख) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक है किंतु 20,000 रु० से अधिक नहीं है	1,000 रु० **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु० से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु० से अधिक है	3,000 रु० **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु० से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी,जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां पूर्ववर्ष 2015-16 में इसका कुल आवर्त या कुल प्राप्तियां पचास करोड़ रुपए से अधिक न हो	कुल आय का 25 प्रतिशत ;
(ii) मद (i) में निर्दिष्ट के सिवाय	कुल आय का 30 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त रायलल्टियों ; अथवा

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है — 50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो — 40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम से, उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी :—

	आय-कर की दर
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,—	
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	5 प्रतिशत ;
(v) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर—	10 प्रतिशत ;
(अ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या प्रतिभूतियां ;	
(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर,भारत में मान्यताप्राप्त	

	आय-कर की दर
किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं ;	
(इ) केंद्रीय या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति	
(vi) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;
(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—	
(i) किसी अनिवासी भारतीय की दशा में,—	
(अ) विनिधान से किसी आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) धारा 115ङ या धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(इ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;
(उ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(ऊ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय रायल्टी के रूप में आय पर, जहां ऐसी रायल्टी, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	10 प्रतिशत ;
(ए) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय रायल्टी के रूप में [जो उपमद (ख)(i)(ऊ) में निर्दिष्ट प्रकृति की रायल्टी नहीं है], आय पर	10 प्रतिशत ;
(ऐ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ओ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(औ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(अं) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—	
(अ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय रायल्टी के रूप में आय पर, जहां ऐसी रायलटी, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	10 प्रतिशत ;
(इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां यह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(ii)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति की रायल्टी नहीं है], आय पर	10 प्रतिशत ;
(ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार	10 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा प्रत्येक तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	
(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऋ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(ए) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ऐ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ऐ) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;
(ओ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
2. किसी कंपनी की दशा में,—	
(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;
(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,—	
(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(iv) उसके द्वारा 31 मार्च, 1976 के पश्चात् सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय रायल्टी के रूप में आय पर, जहां ऐसी रायल्टी, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	10 प्रतिशत ;
(v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय रायल्टी के रूप में आय पर [जो उपमद (ख)(iv) में निर्दिष्ट प्रकृति की रायल्टी नहीं है]—	
(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(vii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(viii) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ix) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(x) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;
(xi) किसी अन्य आय पर	40 प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण — इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजनों के लिए, "विनिधान से आय" और "अनिवासी भारतीय" के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में उनके हैं ।

आय-कर पर अधिभार

निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,—

(i) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए, --

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, —

(I) ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए पचास लाख रूपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ;

(II) ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है ; और

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपये से अधिक है ;

(ii) इस भाग की मद 2 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए, किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आयों का योग, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ख) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आयों का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, बढ़ा दिया जाएगा।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, ''वेतन'' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" [जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 115जग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में "अग्रिम कर" नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खक या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखग या धारा 115खखघ या धारा 115खखघक या धारा 115खखङ या धारा 115खखच या धारा 115ङ या धारा 115जख या धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे "अग्रिम कर" पर अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :—

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	12,500 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,12,500 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	10,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,10,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किन्तु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,00,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, —

(क) जिसकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से; और

(ख) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय, —

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है किन्तु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है, किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में, —

(i) जहां पूर्ववर्ष 2016-17 में उसका कुल आवर्त या सकल प्राप्तियां दो सौ पचास करोड़ रुपए से अधिक नहीं है	कुल आय का 25 प्रतिशत;
(ii) मद (i) में निर्दिष्ट से भिन्न	कुल आय का 30 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त रायल्टियों ; या

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है	50 प्रतिशत ;
(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो	40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

भाग 4

[धारा 2(13)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परंतु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतरण के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश सम्मिलित नहीं हैं।

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से प्राप्त होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "कारोबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) से भिन्न] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे।

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से प्राप्त होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में--

(क) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्माक्ड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा।

नियम 5—जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है, वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा।

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परंतु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी।

नियम 7—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्‌गृहीत किसी कर मद्धे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

नियम 8—(1) जहां निर्धारिती की, 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,--

(i) 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी।

(2) जहां निर्धारिती की, 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2011 (2011 का 8) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का 23) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2013 (2013 का 17) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 (2014 का 25) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2015 (2015 का 20) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी।

नियम 9—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा।

नियम 10—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं।

नियम 11—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं।

दूसरी अनुसूची

[धारा 101(क) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 20 में, शीर्ष 2009 की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 2009 11 00, 2009 12 00 और 2009 19 00 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''50%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) अध्याय 33 में, शीर्ष 3303, 3304, 3305, 3306 और 3307 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''20%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 34 में, शीर्ष 3406 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''25%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 39 में, टैरिफ मद 3919 90 90, 3920 99 99, 3926 90 91 और 3926 90 99 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''15%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(5) अध्याय 40 में, टैरिफ मद 4011 20 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''15%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(6) अध्याय 48 में, टैरिफ मद 4823 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''20%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(7) अध्याय 56 में, शीर्ष 5608 और 5609 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''25%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(8) अध्याय 64 में,—

(i) शीर्ष 6401, 6402, 6403, 6404 और 6405 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''20%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 6406 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''15%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(9) अध्याय 71 में, शीर्ष 7117 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''20%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(10) अध्याय 84 में,—

(i) शीर्ष 8407, 8408 और 8409 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''15%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 8483 10 91 और 8483 10 92 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''15%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(11) अध्याय 85 में,—

(i) उपशीर्ष 8504 40 की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 8504 40 21 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''15%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 8506 की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 8506 90 00 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''15%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 8507 10 00, 8507 20 00, 8507 30 00, 8507 40 00 और 8507 50 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''15%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 8507 60 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''20%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 8507 80 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''15%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) शीर्ष 8511 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''15%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) टैरिफ मद 8517 12 10, 8517 12 90 और 8517 62 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''20%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) टैरिफ मद 8517 70 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4)में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''15%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) टैरिफ मद 8518 10 00, 8518 29 00, 8518 30 00 और 8518 40 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''15%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) टैरिफ मद 8529 10 99 और 8529 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''15%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) टैरिफ मद 8538 90 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''15%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष 8544 19, 8544 42 और 8544 49 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''15%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(12) अध्याय 87 में,—

(i) शीर्ष 8708 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''15%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 8714 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''15%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(13) अध्याय 90 में,—

(i) टैरिफ मद 9004 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''20%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 9018 और 9019 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''10%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 9020 00 00 में की प्रविष्टि के सामने आने वाले स्तंभ (4) के स्थान पर, ''10%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) शीर्ष 9021 और 9022 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''20%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(14) अध्याय 91 में, शीर्ष 9101, 9102, 9103 और 9105 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, ''20%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(15) अध्याय 94 में, शीर्ष 9401, 9403 और 9404 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''20%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(16) अध्याय 95 में,—

(i) शीर्ष 9503 की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 9503 00 90 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''20%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 9504 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''20%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 9505 90 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''20%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) शीर्ष 9506, 9507 और 9508 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''20%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(17) अध्याय 96 में,—

(i) टैरिफ मद 9611 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''20%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 9613 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''20%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 9616 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''20%'' प्रविष्टि रखी जाएगी ।

तीसरी अनुसूची

[धारा 101(ख) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 7 में, टैरिफ मद 0713 31 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
''0713 31	--	वाइग्रा मुंगो वंश के सेम (लै.) हैप्पर या वाइग्ना रेडियट (लै.) विल्कजेक			
0713 31 10	---	वाइग्रा मुंगो वंश के सेम (लै.) हैप्पर	कि.ग्रा.	30%	20%
0713 31 90	---	वाइग्रा वंश के सेम रेडियटा (लै.) विल्कजेक	कि.ग्रा.	30%	20%''

(2) अध्याय 9 में, टैरिफ मद 0904 22 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(3) अध्याय 12 में, टैरिफ मद 1209 91 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
''1209 91 70	---	कैपसिकम जाति की मिर्च	कि.ग्रा.	10%	-'';

(4) अध्याय 29 में, टैरिफ मद 2917 39 20 के सामने, स्तंभ (2) में ''डायोसटिल थैलेट'' शब्दों के स्थान पर, ''डायोसटिल इसोफोथेलेट'' शब्द रखे जाएंगे।

चौथी अनुसूची

[धारा 102(ख) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 49 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
‘‘50	8545 11 00	इस प्रकार के इलैक्ट्रोड, जिनका उपयोग भट्ठियों के लिए किया जाता है	20%’’ ।

पांचवीं अनुसूची

[धारा 106 और धारा 107 देखिए]

वर्ष	संख्यांक	अधिनियमितियों का संक्षिप्त नाम	निरसन का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)
1998	21	वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998	धारा 103 और धारा 111
1999	27	वित्त अधिनियम, 1999	धारा 116 और धारा 133
2004	23	वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004	अध्याय 6
2007	22	वित्त अधिनियम, 2007	अध्याय 6

छठी अनुसूची

[धारा 109 और धारा 110 देखिए]

मद सं.	माल का वर्णन	दर
(1)	(2)	(3)
1.	मोटर स्प्रिट, सामान्य रूप से पेट्रोल के नाम से ज्ञात	8 रुपए प्रति लीटर
2.	उच्च गति डीजल तेल	8 रुपए प्रति लीटर

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करना है। खंडों पर टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करते हैं।

नई दिल्ली; **अरुण जेटली**

29 जनवरी, 2018

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश

[वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली, के लोक सभा के महासचिव को भेजे गए, तारीख 29 जनवरी, 2018 के पत्र सं० एफ 2(9)-बी०(डी०)/2018 का हिंदी अनुवाद]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत होने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) और खंड (3) के अधीन, वित्त विधेयक, 2018 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने की सिफारिश करते हैं और साथ ही लोक सभा से विधेयक पर विचार करने की भी सिफारिश करते हैं ।

2. यह विधेयक लोक सभा में 01 फरवरी, 2018 को बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद पुरःस्थापित किया जाएगा ।

आय-कर

विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित **खंड 2** वे दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए है, जिन पर आय-कर निर्धारण वर्ष 2018-2019 के लिए कर से प्रभार्य आय पर उद्‌गृहीत किया जाना है । इसके अतिरिक्त, यह खंड उन दरों को, जिन पर "अग्रिम कर" से भिन्न आय से वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती की जानी है, जो आय-कर अधिनियम के अधीन ऐसी कटौतियों के अधीन रहते हुए है ; और उन दरों को भी, जिन पर वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए "अग्रिम कर" का संदाय किया जाना है, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में कर का परिकलन और प्रभारण किया जाना है, अधिकथित करने के लिए है ।

निर्धारण वर्ष 2018-2019 के लिए आय-कर की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 में आय-कर की उन दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिन पर आय निर्धारण वर्ष 2018-2019 के लिए कर के दायित्वाधीन है । ये वे दरें हैं, जो वित्त अधिनियम, 2017 की पहली अनुसूची के भाग 3 में, वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर" की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की गई थी ।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान "वेतन" से भिन्न आय से स्रोत पर कर की कटौती की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 2 में उन दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिन पर, "वेतन" से भिन्न आय से वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती की जानी है । ये दरें वही हैं, जो वित्त अधिनियम, 2017 की पहली अनुसूची के भाग 2 में, वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती करने के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट की गई थी। आय-कर अधिनियम की धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की दशा के सिवाय, अब स्रोत पर कर की कटौती दस प्रतिशत की जाएगी । इस प्रकार कटौती किए गए कर की रकम में—

(i) प्रत्येक अनिवासी, जो कोई प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, —

(क) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(ii) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(iii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(iv) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर" की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 3, वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए उन दरों को, जिन पर "वेतन" शीर्ष के अधीन आय से स्रोत पर आय-कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और उन दरों को भी, जिन पर "अग्रिम कर" का संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में आय-कर परिकलित या प्रभारित किया जाना है, विनिर्दिष्ट करने के लिए है।

इस भाग के पैरा क में आय-कर की निम्नलिखित दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है :—

(i) प्रत्येक व्यष्टि [उप पैरा (ii) और उप पैरा (iii) में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित से भिन्न] या हिंदू अविभक्त कुटुंब या प्रत्येक व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है :—

2,50,000 रुपए तक	**कुछ नहीं**;
2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत;
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत;
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत;

(ii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक की आयु का, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है,—

3,00,000 रुपए तक	**कुछ नहीं**;
3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत;
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत;
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत;

(iii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष

के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक की आयु का है,—

5,00,000 रुपए तक	**कुछ नहीं**;
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत;
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत;

इस पैरा में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, दस प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । इस पैरा में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, पन्द्रह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

इस भाग का पैरा ख प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए है । ऐसी दशाओं में, आय-कर की दरें वही बनी रहेंगी, जो निर्धारण वर्ष 2018-2019 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं । ऐसी सहकारी सोसाइटियों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

इस भाग का पैरा ग प्रत्येक फर्म की दशा में आय-कर की दर विनिर्दिष्ट करने के लिए है । ऐसी दशाओं में, आय-कर की दर वही बनी रहेगी, जो निर्धारण वर्ष 2018-2019 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है । ऐसी फर्मों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

इस भाग का पैरा घ प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में आय-कर की दर विनिर्दिष्ट करने के लिए है । ऐसी दशाओं में, कर की दर वही बनी रहेगी, जो निर्धारण वर्ष 2018-2019 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है । ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

इस भाग का पैरा ङ कंपनियों की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए है । देशी कंपनियों की दशा में, आय-कर की दर कुल आय की पच्चीस प्रतिशत होगी, जहां पूर्ववर्ष 2016-2017 की कुल आवर्त या कुल प्राप्तियां दो सौ पचास करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और अन्य सभी मामलों में आय-कर की दर कुल आय की तीस प्रतिशत होगी । देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों, की दशा में, कर की दर वही बनी रहेगी, जो निर्धारण वर्ष 2018-2019 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है ।

ऐसी देशी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, सात प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । ऐसी देशी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । देशी कंपनियों से भिन्न ऐसी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, दो प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । देशी कंपनियों से भिन्न ऐसी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, पांच प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

सभी अन्य मामलों (जिनमें धारा 115ण, धारा 115थक, धारा 115द, धारा 115नक, धारा 115नघ आदि भी हैं) में, अधिभार बारह प्रतिशत की दर से लागू होगा ।

पहली अनुसूची के भाग 1 के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों में दो प्रतिशत की दर से "शिक्षा उपकर" और एक प्रतिशत की दर से "माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" उद्गृहीत किया जाता रहेगा । तथापि, वित्तीय वर्ष 2018-2019 में पहली अनुसूची के भाग 2 और भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मामलों में, "शिक्षा उपकर" तथा '"माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" बंद कर दिया जाएगा । पहली अनुसूची के भाग 2 और भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मामलों में, "स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" के नाम से ज्ञात एक नया उपकर चार प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जाएगा । पहली अनुसूची के भाग 2 के अंतर्गत आने वाले मामलों में, देशी कंपनी और ऐसे अन्य व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है, स्रोत से कटौती किए गए या संगृहीत कर पर कोई "स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" का उद्ग्रहण नहीं किया जाएगा । उपकर, वेतन भुगतानों की दशा में स्रोत पर कटौती किए गए कर के संबंध में लागू रहेंगे । ये भारत में अनिवासी व्यक्तियों और देशी कंपनी से भिन्न कंपनियों के मामले में भी उद्गृहीत किए जाएंगे ।

विधेयक का **खंड 3** आय-कर अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है, जो परिभाषाओं से संबंधित है ।

उक्त धारा का खंड (22) "लाभांश" पद की परिभाषा का उपबंध करता है । उक्त खंड का स्पष्टीकरण 2 उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए "संचित लाभ" पद को स्पष्ट करता है ।

उक्त खंड में एक नया स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि किसी समामेलित कंपनी की दशा में संचित लाभों या हानि को समामेलित कंपनी के संचित लाभों, चाहे समामेलन की तारीख को उनका पूंजीकरण किया गया हो या नहीं, बढ़ा दिया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त धारा का खंड 24 "आय" पद को परिभाषित करता है ।

उक्त खंड (24) में एक नया उप-खंड (xiiक) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 28 के खंड (viक) में निर्दिष्ट सूची के उचित बाजार मूल्य को सम्मिलित किया जा सके और साथ ही आय की परिभाषा में भी सम्मिलित किया जा सके ।

उक्त खंड (24) में एक नया उप-खंड (xviiख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है ; जिससे धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (xi) में निर्दिष्ट किसी प्रतिकर या अन्य संदाय, को भी आय की परिभाषा में सम्मिलित किया जा सके ।

उक्त धारा के खंड (42क) में, अन्य बातों के साथ, उस अवधि के अवधारण के लिए उपबंध है, जिसके लिए निर्धारिती द्वारा पूंजी आस्ति धारित की जाती है ।

उक्त खंड (42क) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (i) में एक नया उप-खंड (खक) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 28 के प्रस्तावित नए खंड (viक) के अधीन किसी पूंजी आस्ति के रूप परिवर्तित या समझी गई किसी सूची की दशा में अवधि की संगणना

उसके परिवर्तन या उसके संबंध में व्यवहार किए जाने की तारीख से की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-2020 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 4** आय-कर अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है, जो भारत में प्रोद्‌भूत या उद्‌भूत हुई समझी गई आय से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) का स्पष्टीकरण 2 उपबंध करता है कि "कारबारी सम्पर्क" में कोई कारबार क्रियाकलाप सम्मिलित होंगे जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं जिसे अनिवासी की ओर से संविदाओं को अंतिम रूप देने का प्राधिकार है और वह अभ्यासतः भारत में अनिवासी की ओर से उसका प्रयोग करता है परंतु यह तब जबकि उसके क्रियाकलाप अनिवासी के लिए माल या वाणिज्या के क्रय तक सीमित नहीं हैं; या ऐसा कोई प्राधिकार नहीं है, किन्तु भारत में अनिवासी की ओर से माल या वाणिज्या का अभ्यासतः स्टाक रखता है जिससे वह अनिवासी की ओर से माल या वाणिज्या का नियमित रूप से परिदान करता है; या अभ्यासतः भारत में अनिवासी के लिए या उस अनिवासी और अन्य अनिवासियों की ओर से, जो नियंत्रण करते हैं या उनके द्वारा नियंत्रित हैं या उसी सम्मिलित नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जो अनिवासी का है, मुख्य रूप से या पूर्ण रूप से आर्डर प्राप्त करता है ।

उक्त स्पष्टीकरण के उपबंध यह उपबंध करते हैं कि ऐसे कारबारी संपर्क में कोई कारबार कार्यकलाप सम्मिलित नहीं होंगे, जो उसमें विनिर्दिष्ट हैं ।

उक्त स्पष्टीकरण 2 के खंड (क) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "कारबारी संपर्क" में किसी व्यक्ति के माध्यम से चलाए जाने वाले कारबार कार्यकलाप सम्मिलित होंगे, जिसे अनिवासी की ओर से भारत में संविदाओं को अंतिम रूप देने का प्राधिकार है और अभ्यासतः उसका प्रयोग करता है या अभ्यासतः संविदाओं को अंतिम रूप देता है या अनिवासी द्वारा संविदाओं को अंतिम रूप देने में अभ्यासतः मुख्य भूमिका का निर्वाह करता है और ये संविदाएं—

(i) अनिवासी के नाम से हैं ; या

(ii) उस अनिवासी के स्वामित्वाधीन संपत्ति के या उपयोग के अधिकार के अंतरण के लिए या उसके उपयोग के अधिकार को अनुदत्त करने के लिए हैं ; या

(iii) उस अनिवासी द्वारा सेवाओं का उपबंध करने के लिए हैं ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) में एक नया स्पष्टीकरण 2क और और अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी अनिवासी की भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति, भारत में अनिवासी के "कारबारी संपर्क" सम्मिलित करेगी और इस प्रयोजन के लिए "महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति" से अभिप्रेत है—

(i) किसी माल, सेवाओं या संपत्ति के संबंध में किया गया कोई संव्यवहार, जिसके अंतर्गत भारत में आंकड़ों या साफ्टवेयर का डाउनलोड करना है यदि ऐसे संव्यवहार या पूर्ववर्ष के दौरान संव्यवहारों से उत्पन्न कुल संदाय ऐसी रकम से अधिक हो, जो विहित की जाए ; या

(ii) अपने कारबार क्रियाकलाप का क्रमिक और निरंतर निवेदन करना या भारत में उपयोक्ताओं की ऐसी संख्या के साथ डिजिटल साधनों से संपर्क बनाना, जो विहित की जाए ;

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि संव्यवहार या क्रियाकलाप भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति सम्मिलित करेंगे, चाहे अनिवासी का भारत में निवास-स्थान या कारबार का स्थान हो या न हो या भारत में सेवाएं प्रदान करता हो या न करता हो ।

यह भी उपबंध करना प्रस्तावित है कि केवल ऐसी आय, जो खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट संव्यवहारों या क्रियाकलाप से हुई मानी जा सकती हो, भारत में प्रोद्‌भूत या उद्‌भूत हुई समझी जाएगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-2020 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 5** आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है, जो आय, जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है, से संबंधित है ।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति की पूर्व वर्ष की कुल आय की संगणना करने में कतिपय प्रवर्गों की आय को कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

उक्त धारा में नया खंड (6घ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे किसी अनिवासी को, जो कोई कंपनी या कोई विदेशी कंपनी नहीं है, भारत में या भारत से बाहर राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन को प्रदान की जाने वाली तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टी या फीस के माध्यम से उद्‌भूत होने वाली किसी आय को छूट दी जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त धारा के खंड (12क) में यह उपबंध है कि धारा 80गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम से किसी कर्मचारी को अपना खाता बंद करने या उससे बाहर निकलने का विकल्प देने पर, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से कोई भी संदाय, उस परिमाण तक, जहां तक यह उसके खाता बंद करने या स्कीम छोड़ने के विकल्प के समय उसे संदेय कुल रकम के चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं है, उसकी कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे पूर्वोक्त छूट को ऐसे सभी निर्धारितियों को विस्तारित किया जा सके, जिन्होंने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास में अभिदाय किया है ।

उसके खंड (23ग) का तीसरा परंतुक उक्त खंड के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) और उपखंड (viक) में निर्दिष्ट अस्तित्वों की आय के संबंध में उन मामलों में छूट का उपबंध करता है, जहां ऐसी आय सुसंगत उपबंधों के अनुसार कतिपय प्रयोजनों के लिए पूर्ववर्ष के दौरान व्यय की जाती है या संचित की जाती है ।

उक्त खंड के 12वें परंतुक के पश्चात् एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त तीसरे परंतुक की मद के अधीन आवेदन की रकम का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (iक) और धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (3क) के उपबंध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, ऐसे लागू होंगे जैसे वे "कारबार और वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में लागू होते हैं ।

धारा 10 के खंड (38) में, अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त खंड में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के, जो किसी कंपनी या किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि की किसी यूनिट या किसी व्यावसायिक न्यास की किसी यूनिट में कोई साधारण अंश है, अंतरण से होने वाली आय पर कर से छूट का उपबंध है ।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंड ऐसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के, जो किसी कंपनी या किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि की किसी यूनिट या किसी व्यावसायिक न्यास की किसी यूनिट में कोई साधारण अंश है, 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् किए गए अंतरण से होने वाली किसी आय को लागू नहीं होगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-2020 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त धारा का खंड (46) अन्य बातों के साथ जनसाधारण के फायदे के लिए किसी क्रियाकलाप का विनियमन या प्रशासन करने के उद्देश्य से किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम के अधीन स्थापित या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित किसी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो), जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि में नहीं लगा हुआ है, को होने वाली विनिर्दिष्ट आय की बाबत छूट के लिए अधिसूचना का उपबंध करता है ।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग के वर्ग के लिए उद्भूत विनिर्दिष्ट आय के लिए भी ऐसी छूट का उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा ।

उक्त धारा के खंड (48ख) में यह उपबंध है कि किसी विदेशी कंपनी को उपखंड (48क) में निर्दिष्ट करार या ठहराव के अवसान के पश्चात् भारत में सुविधा से ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाएं, अपरिष्कृत तेल के बचे हुए स्टाक, यदि कोई हो, के विक्रय के मद्दे प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली कोई आय को छूट प्राप्त होगी ।

उक्त धारा के पूर्वोक्त खंड (48ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी विदेशी कंपनी को उपखंड (48क) में उल्लिखित निबंधनों के अनुसार उक्त करार या ठहराव के पर्यवसान पर भारत में सुविधा से ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाएं, अपरिष्कृत तेल के बचे हुए स्टाक, यदि कोई हों, के विक्रय के मद्दे प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली कोई आय को भी छूट प्राप्त होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-2020 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 6** आय-कर अधिनियम की धारा 11 का संशोधन कने के लिए है, जो पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए धारित संपत्ति से आय से संबंधित है ।

उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार ऐसी संपत्ति से प्राप्त आय, जो पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास के अधीन धारित है, उस परिमाण तक जहां तक ऐसी आय पूर्ववर्ष के दौरान सुसंगत उपबंधों के अनुसार कतिपय प्रयोजनों में प्रयोग के लिए संचित की जाती है या अलग रखी जाती है, के लिए छूट का उपबंध करता है ।

एक नया स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे उसकी उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन आवेदन की रकम का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (iक) और धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (3क) के उपबंध, आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे लागू होंगे जैसे वे "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में लागू होते हैं ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-2020 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 7** आय-कर अधिनियम की धारा 16 का संशोधन करने के लिए है, जो वेतन से कटौतियों से संबंधित है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध अन्य बातों के साथ यह उपबंध करते हैं कि "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय कटौतियां करने के पश्चात् की जाएगी ।

उक्त धारा में एक नया खंड (iक) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने के प्रयोजन के लिए चालीस हजार रुपए या वेतन की रकम, इनमें से जो भी कम हो, की कटौती का उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-2020 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 8** आय-कर अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है, जो "वेतन", "परिलब्धि" और "वेतन" के बदले में "लाभ" की परिभाषा से संबंधित है ।

उक्त धारा के खंड (2) के उपखंड (viii) के पश्चात् आने वाले परंतुक के खंड (v) में यह उपबंध है कि कर्मचारी द्वारा अपने चिकित्सीय उपचार पर या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के उपचार पर वस्तुतः उपगत किसी व्यय की बाबत नियोजक द्वारा संदत्त ऐसी राशि को, जो पचास हजार रुपए से अधिक नहीं हो, कर्मचारी के पास परिलब्धि के रूप में नहीं समझा जाएगा

उक्त खंड (v) का लोप करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-20 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 9** आय-कर अधिनियम की धारा 28 का संशोधन करने के लिए है,जो कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से संबंधित है ।

उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि उक्त धारा के खंड (ii) के उपखंड (क) से उपखंड (घ) में यथा अधिकथित कतिपय किस्मों की प्रतिकर प्राप्तियां "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कराधेय होंगी ।

उक्त खंड (ii) में एक नया उपखंड (ङ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी व्यक्ति द्वारा, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, उसके कारबार या वृत्ति से संबंधित किसी संविदा के, यथास्थिति, पर्यवसान या निबंधनों और शर्तों में उपांतरण पर या उसके संबंध में शोध्य या प्राप्त कोई प्रतिकर "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य होगा ।

उक्त धारा का और संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पूंजी आस्ति के रूप में परिवर्तन या उसके साथ उस रूप में व्यवहार किए जाने की तारीख को सूची के विहित रीति में अवधारित उचित बाजार मूल्य "कारबार और वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" के अधीन कर से प्रभार्य होगा ।

यह और स्पष्ट करने का और प्रस्ताव है कि उसे पूंजी आस्ति के रूप में, परिवर्तित करने या उसके संबंध में उस रूप में व्यवहार की तारीख को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अवधारित किया जा सकेगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-2020 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 10** आय-कर अधिनियम की धारा 36 का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य कटौतियों से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के उपबंध कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन आय की संगणना करने के लिए कतिपय कटौतियों को अनुज्ञात करते हैं ।

उक्त उपधारा में एक नया खंड (xviii) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी चिह्नित बाजार हानि या अन्य संभावित हानि को अनुज्ञात किया जाएगा, यदि उनकी संगणना धारा 145 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना और प्रकटन मानकों के अनुसार की गई है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 11** आय-कर अधिनियम की धारा 40क का संशोधन करने के लिए है, जो व्यय या संदाय, जो कतिपय दशाओं में कटौती योग्य नहीं है, से संबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा के विद्यमान उपबंध कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय व्यय का संदाय, जो कतिपय दशाओं में कटौती योग्य नहीं है, को अननुज्ञात करने का उपबंध करते हैं ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (13) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी चिह्नित बाजार हानि या अन्य संभावित हानि के संबंध में, सिवाय धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (xviii) के अधीन अनुज्ञेय के, कोई कटौती या मोक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 12** आय-कर अधिनियम की धारा 43 का संशोधन करने के लिए है जो कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से होने वाली आय से सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषा से संबंधित है ।

उक्त धारा का खंड (5) सट्टे वाला संव्यवहार की परिभाषा के लिए उपबंध करता है । उक्त खंड (5) के परंतुक का खंड (ङ) यह उपबंध करता है कि किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में किए गए वस्तु व्युत्पन्नों में व्यापार, जो वस्तु संव्यवहार कर से प्रभार्य है, गैर-सट्टे वाला संव्यवहार है ।

पहले परंतुक के खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिए एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कृषि वस्तु व्युत्पन्नों में व्यापार के संबंध में किसी संव्यवहार के लिए वित्त अधिनियम, 2013 के अध्याय 7 के अधीन वस्तु संव्यवहार कर की प्रभार्यता संबंधी अपेक्षा लागू नहीं होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-2020 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 13** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 43कक अंतःस्थापित करने के लिए है, जो विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कराधान से संबंधित है ।

नई धारा यह उपबंध करने का प्रस्ताव करती है कि धारा 43क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उद्भूत किसी लाभ या हानि को, यथास्थिति, आय या हानि माना जाएगा और ऐसे लाभ या हानि की संगणना धारा 145 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना और प्रकटन मानकों के अनुसार की जाएगी ।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उद्भूत लाभ या हानि सभी विदेशी मुद्रा संव्यवहारों के संबंध में होगी, जिसके अंतर्गत धनीय से संबंधित और गैर धनीय मदें या विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों का परिवर्तन या अग्रिम विनिमय संविदाएं या विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षितियां भी हैं ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 14** आय-कर अधिनियम की धारा 43गक का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में पूंजी आस्तियों से भिन्न आस्तियों के अंतरण के लिए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है ।

उक्त धारा में अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि किसी ऐसी आस्ति के (किसी पूंजी आस्ति से भिन्न), जो भूमि या भवन या दोनों हैं, अंतरण की दशा में, ऐसे अंतरण के संबंध में स्टाम्प शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य यदि वह प्रतिफल से अधिक है, प्रतिफल के पूर्ण मूल्य को हिसाब में लिया जाएगा और ऐसी आस्ति के अंतरण से लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, यदि वह प्रतिफल से अधिक है । उक्त धारा यह भी उपबंध करती है कि जहां आस्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल का मूल्य नियत करने वाले करार की तारीख तथा आस्ति के ऐसे अंतरण के रजिस्ट्रीकरण की तारीख एक ही नहीं है, वहां करार की तारीख को ऐसे अंतरण के संबंध में स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा निर्धारणीय मूल्य के रूप में लिया जाएगा, यदि प्रतिफल की रकम या उसका भाग आस्ति के अंतरण के लिए करार की तारीख को या उसके पूर्व नकद से भिन्न किसी ढंग के रूप में प्राप्त किया गया है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां स्टांप मूल्यांकक प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य, अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भवमान प्रतिफल के एक सौ पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है,

वहां ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्‌भूत प्रतिफल, ऐसी आस्ति के अंतरण से लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा ।

उक्त धारा की उपधारा (4) का और संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां आस्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल का मूल्य नियत करने वाले करार की तारीख तथा आस्ति के ऐसे अंतरण के रजिस्ट्रीकरण की तारीख एक ही नहीं है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट मूल्य को, वहां करार की तारीख को ऐसे अंतरण के संबंध में स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा निर्धार्य मूल्य, यदि प्रतिफल की रकम या उसका भाग आस्ति के अंतरण के लिए करार की तारीख को या उसके पूर्व पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से या बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके प्राप्त की गई है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-2020 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 15** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 43गख अंतःस्थापित करने के लिए है, जो संनिर्माण और सेवा संविदाओं की आय की संगणना से संबंधित है ।

प्रस्तावित नई धारा में यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी संनिर्माण संविदा या सेवाएं प्रदान करने की संविदा के लाभों और अभिलाभों का अवधारण, पूर्ण करने की प्रतिशतता पद्धति के आधार या रीति पर, धारा 145 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना और प्रकटन मानकों के अनुसार किया जाएगा। यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि नब्बे दिन से अनधिक की अवधि के लिए सेवाएं उपलब्ध कराने की संविदा की दशा में लाभों और अभिलाभों का अवधारण परियोजना समापन पद्धति के आधार पर किया जाएगा ।

यह उपबंध करना भी प्रस्तावित है कि समय की विशिष्ट अवधि में कार्यों की अनवधारित संख्या वाली सेवाओं के प्रावधान के लिए किसी संविदा की दशा में, ऐसी संविदा से प्राप्त लाभों और अभिलाभों का अवधारण सीधी रेखा पद्धति के आधार पर किया जाएगा।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि इस प्रयोजन के लिए संविदा राजस्व में प्रतिधारण राशि है और संविदा लागतों को, ब्याज, लाभाशों या पूंजी अभिलाभों की प्रकृति में किसी आनुषंगिक आय द्वारा नहीं घटाया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 16** आय-कर अधिनियम की धारा 44कङ का संशोधन करने के लिए है, जो माल वाहन चलाने, किराए या पट्टे पर देने के कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंधित है कि सभी माल वाहनों को चलाने, किराए या पट्टे पर देने के कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना के प्रयोजन के लिए प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए सात हजार पांच सौ रुपए की रकम के बराबर या निर्धारिती द्वारा वस्तुतः अर्जित की जाने वाली दावाकृत रकम, इनमें से जो भी अधिक हो, को संकलित आय समझा जाएगा ।

उक्त उपधारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी भारी माल यान के लिए, लाभ और अभिलाभ उस रकम के बराबर होंगे, जो, यथास्थिति, ऐसे प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए, जिसके दौरान भारी माल यान पूर्ववर्ष में निर्धारिती के स्वामित्व में रहता है, सकल यान भार या लदान रहित भार के प्रति टन के एक हजार रुपए के बराबर है या उस रकम के बराबर होगी, जिसके बारे में ऐसे यान से वस्तुतः अर्जित किए जाने का दावा किया गया है, इनमें जो भी अधिक हो ।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि भारी यान से भिन्न किसी माल वाहन की दशा में, लाभ और अभिलाभ उस रकम के बराबर होंगे, जो ऐसे प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए, जिसके दौरान माल वाहन पूर्ववर्ष में निर्धारिती के स्वामित्व में रहता है, सात हजार पांच सौ रुपए के बराबर है या उस रकम के बराबर होंगे, जिसके बारे में यह दावा किया गया है कि वह ऐसे माल वाहन से वस्तुतः अर्जित की गई है, इनमें से जो भी अधिक हो ।

इसमें उक्त धारा में "माल वाहन", "सकल यान भार", "भारी माल वाहन" और "लदान रहित भार" पदों को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-2020 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 17** आय-कर अधिनियम की धारा 47 का संशोधन करने के लिए है, जो अंतरण न समझे जाने वाले संव्यवहार से संबंधित है ।

उक्त धारा में यह उपबंधित है कि पूंजी आस्तियों के कतिपय अंतरण आय-कर अधिनियम की धारा 45 के प्रयोजनों के लिए अंतरण नहीं समझे जाएंगे ।

उक्त धारा में एक नया खंड (viiकख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूंजी आस्ति का कोई अंतरण, जो धारा 115कग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट बांड या वैश्विक निक्षेपागार रसीद है या किसी भारतीय कंपनी के रुपए में अंकित मूल्य में बांड है या व्युत्पन्न है, जिसे किसी अनिवासी द्वारा किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में किया गया है और जहां ऐसे संव्यवहार के लिए प्रतिफल विदेशी मुद्रा में संदत्त किया गया है या संदेय है, को अंतरण नहीं समझा जाएगा ।

उसमें प्रयुक्त कतिपय पदों को परिभाषित करने का और प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-2020 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 18** आय-कर अधिनियम की धारा 49 का संशोधन करने के लिए है, जो अर्जन के कतिपय ढंगों के प्रतिनिर्देश से लागत से संबंधित है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां पूंजी अभिलाभ, किसी ऐसी पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्‌भूत होता है, वहां धारा 28 के खंड (viक) में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अर्जन की

लागत को ऐसा उचित बाजार मूल्य समझा जाएगा, जिसे उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए हिसाब में लिया गया है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-2020 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 19** आय-कर अधिनियम की धारा 50ग का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय दशाओं में प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है ।

उक्त धारा में यह उपबंध है कि किसी पूंजी आस्ति के अंतरण की दशा में, जो भूमि या भवन या दोनों हैं, ऐसे अंतरण के संबंध में स्टाम्प शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्यों को पूंजी अभिलाभों के प्रतिफल की संगणना के प्रयोजनों के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के रूप में लिया जाएगा ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य किसी अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल के एक सौ पांच प्रतिशत से अनधिक है या प्रोद्भूत प्रतिफल धारा 48 के प्रयोजनों के लिए ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-2020 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 20** आय-कर अधिनियम की धारा 54ङग का संशोधन करने के लिए है, जो पूंजी अभिलाभ का कतिपय बांडों में विनिधान पर प्रभारित न किया जाना, से संबंधित है ।

उक्त धारा में अन्य बातों के साथ यह उपबंधित है कि किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ, जिनका ऐसे अंतरण की तारीख के छह मास के पश्चात् किसी कालावधि में किसी समय विनिर्दिष्ट दीर्घकालिक आस्ति में विनिधान कर दिया गया है, उक्त धारा में विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए कर से प्रभारित नहीं किया जाएगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति, जो भूमि या भवन या दोनों है, के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ, जिसका ऐसे अंतरण की तारीख के पश्चात् छह मास की कालावधि के भीतर किसी समय दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में विनिधान किया गया है, पूंजी अभिलाभ को उक्त धारा में विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए कर से प्रभारित नहीं किया जाएगा ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण का खंड (खक) 1 अप्रैल, 2007 को या [illegible] "दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति" पद को स्पष्ट करता है जिससे कोई बांड, जो तीन वर्ष के पश्चात् मोचनीय है और जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा या रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् जारी किया गया है या कोई अन्य बंधपत्र, जिसे इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, अभिप्रेत है ।

इसमें उक्त खंड को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् , किंतु 1 अप्रैल, 2018 से पूर्व उक्त धारा के अधीन कोई विनिधान करने के लिए "दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति" से कोई बांड अभिप्रेत है, जो तीन वर्ष के पश्चात् मोचनीय है और जिसे 1 अप्रैल, 2007 को किन्तु 1 अप्रैल, 2018 से पूर्व जारी किया गया है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है या कोई अन्य बांड, जिसे इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है और 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् धारा के अधीन कोई विनिधान करने से कोई बांड अभिप्रेत है, जो पांच वर्ष के पश्चात् मोचनीय है और जिसे 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् जारी किया गया है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-20 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 21** आय-कर अधिनियम की धारा 56 का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य स्रोतों से आय से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (x) में अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि जहां कोई व्यक्ति किसी पूर्ववर्ष में, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् किसी प्रतिफल के लिए कोई स्थावर संपत्ति प्राप्त करता है, जो संपत्ति के स्टाम्प शुल्क मूल्य से किसी ऐसी रकम से, जो पचास हजार रुपए से अधिक है, कम है, ऐसी संपत्ति का स्टाम्प शुल्क मूल्य, जो ऐसे प्रतिफल से अधिक है, "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई व्यक्ति किसी प्रतिफल के लिए कोई स्थावर संपत्ति प्राप्त करता है, औरं संपत्ति का स्टाम्प शुल्क मूल्य जो ऐसे प्रतिफल से अधिक है, यदि ऐसे आधिक्य की रकम पचास हजार रुपए या प्रतिफल की रकम के पांच प्रतिशत के समतुल्य है, इनमें से जो भी उच्चतर हो, वहां ऐसी संपत्ति का स्टाम्प शुल्क मूल्य, "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-2020 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त उपधारा के खंड (x) के चौथे परन्तुक का संशोधन करने का और प्रस्ताव है, जिससे नियंत्री कंपनी और उसके संपूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय समनुषंगी कंपनी तथा समनुषंगी कंपनी और उसकी भारतीय नियंत्री कंपनी के बीच पूंजी आस्ति के ऐसे अंतरण को, अधिनियम की उक्त उपधारा के खंड (x) के विस्तारक्षेत्र से अपवर्जित किया जा सके, जिन्हें धारा 47 के खंड (iv) या खंड (v) के अधीन अंतरण के रूप में नहीं माना जाता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (2) में एक नया खंड (xi) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी व्यक्ति को उसके नियोजन की समाप्ति या उसके नियोजन के निबंधनों और शर्तों के उपांतरण से संबंधित कोई शोध्य या उसके द्वारा प्राप्त कोई प्रतिकर, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो अधिनियम के अधीन आय के किसी अन्य शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य प्रतिकर नहीं है या अन्य संदाय " अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-2020 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 22** आय-कर अधिनियम की धारा 79 (वित्त अधिनियम की धारा 32 द्वारा यथा प्रतिस्थापित, का संशोधन करने के लिए है,जो कतिपय कंपनियों की दशा में हानि को अग्रनीत किए जाने और उसका मुजरा किए जाने से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि जहां किसी कंपनी की दशा में, जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, पूर्ववर्ष में शेयर धारण में तब्दीली हुई है, वहां किसी भी ऐसी हानि को, जो उस पूर्ववर्ष के किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उठाई गई हो, तब तक अग्रनीत नहीं किया जाएगा या पूर्ववर्ष की आय के प्रति उसका मुजरा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को कंपनी के वे शेयर, जो इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति वाले थे, ऐसे व्यक्तियों द्वारा फायदाप्रद रूप से धारित है, न हो, जो उस वर्ष या उन वर्षों में, जिसमें या जिनमें हानि उठाई गई थी, अंतिम दिन कंपनी के ऐसे शेयरों को फायदाप्रद रूप में धारण करने थे, जो इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति वाले थे ।

पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की कोई बात ऐसी कंपनी को लागू होगी जहां शेयर धारण में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों के अधीन अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में किसी पूर्ववर्ष में शेयरधृति में कोई परिवर्तन अधिकारिता वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् हुआ है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 23** आय-कर अधिनियम की धारा 80कग का संशोधन करने के लिए है,जो विवरणी दिए जाने तक कटौती का अनुज्ञात न किया जाना से संबंधित है ।

उक्त धारा में यह उपबंध है कि जहां किसी निर्धारिती की, 1 अप्रैल, 2006 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष की कुल आय की संगणना करने में, धारा 80झक या धारा 80झकख या धारा 80झख या धारा 80झग या धारा 80झघ या धारा 80झङ के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय है, वहां उसे ऐसी कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक वह धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए अपनी आय की विवरणी नहीं देता है ।

उक्त धारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी निर्धारिती की, 1 अप्रैल, 2018 या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की कुल आय की संगणना में "ग- केवल कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" शीर्ष के अधीन अध्याय 6क के किसी भी अन्य उपबंध के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाएगी यदि विवरणी धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख के पूर्ण या बाद में फाइल की जाती है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 24** आय-कर अधिनियम की धारा 80घ का संशोधन करने के लिए है,जो स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की बाबत कटौती से संबंधित है ।

उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ यह उपबंध है कि किसी वरिष्ठ नागरिक के चिकित्सा बीमा या निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए तीस हजार रुपए की कटौती अनुज्ञात की जाएगी । इसके अतिरिक्त उक्त धारा में तीस हजार रुपए की सकल सीमा के भीतर चिकित्सा संबंधी व्यय के लिए कटौती का भी उपबंध है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि चिकित्सीय बीमा या निवारक स्वास्थ्य जांच या चिकित्सा संबंधी व्यय के संबंध में किसी वरिष्ठ नागरिक को कुल पचास हजार रुपए की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां कोई रकम पूर्ववर्ष में, उसमें विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के संबंध में एक वर्ष से अधिक समय के लिए बीमा को प्रभावी करने या उसे प्रवृत्त बनाए रखने के लिए एकमुश्त रूप में संदत्त की जाती है, वहां इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए उस रकम के युक्तियुक्त भाग के बराबर कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

"युक्तियुक्त भाग और सुसंगत पूर्ववर्षों" पदों को परिभाषित किए जाने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-2020 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 25** आय-कर अधिनियम की धारा 80घघख का संशोधन करने के लिए है, जो चिकित्सीय उपचार आदि की बाबत कटौती से संबंधित है ।

उक्त धारा के अधीन उपबंधों के अनुसार कि किसी व्यष्टि और हिन्दू अविभक्त कुटुंब को विनिर्दिष्ट व्याधि के चिकित्सा उपचार के लिए अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए किसी अति वरिष्ठ नागरिक की बाबत संदत्त रकम के संबंध में अस्सी हजार रुपए तक की और वरिष्ठ नागरिकों की दशा में साठ हजार रुपए की कटौती उपलब्ध है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे वरिष्ठ नागरिक को विनिर्दिष्ट व्याधियों के चिकित्सा उपचार के लिए संदत्त रकम के संबंध में किसी व्यष्टि और हिन्दू अविभक्त कुटुंब को उपलब्ध कटौती की विद्यमान सीमा को बढ़ाकर एक लाख रुपए किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-2020 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 26** आय-कर अधिनियम की धारा 80झकग का संशोधन करने के लिए है, जो विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है ।

उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध है कि उक्त धारा के अधीन कटौती किसी पात्र स्टार्ट-अप को तब उपलब्ध होगी, यदि वह 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 2019 से पूर्व निगमित होता है ; उसके कारबार की कुल आवर्त 1 अप्रैल, 2016 को या उसके

पश्चात् प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष में पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ; और वह पात्र कारबार में लगा हुआ है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अधीन कटौती किसी पात्र स्टार्ट-अप को उस समय उपलब्ध होगी, यदि उसका निगमन 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 2021 से पूर्व होता है ; उसके कारबार की कुल आवर्त उस वर्ष से, जिसमें वह निगमित होता है, आरंभ होने वाले किसी भी पूर्ववर्ती सात वर्षों में पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ।

"पात्र कारबार" की परिभाषा का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिससे ऐसा कोई कारबार अभिप्रेत है, जिसे किसी पात्र स्टार्ट-अप द्वारा किया जा रहा है, जो नव प्रवर्तन में लगा हुआ है, विकास या सुधार या रोजगार के सृजन या धन के सृजन की उच्च संभावना वाला कोई मापनीय कारबार मॉडल अंतर्वलित है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 27** आय-कर अधिनियम की धारा 80जजकक का संशोधन करने के लिए है,जो नए कर्मचारियों के नियोजन के संबंध में कटौती से संबंधित है ।

उक्त धारा में, तीन वर्ष के लिए किसी नए कर्मचारी को संदत्त परिलब्धियों के तीस प्रतिशत की कटौती के लिए उपबंध है । कटौती का दावा करने के लिए, नए कर्मचारी को नियोजन के वर्ष में, कतिपय शर्तों के अधीन दो सौ चालीस दिन से अधिक की अवधि के लिए या परिधान विनिर्माण के कारबार की दशा में एक सौ पचास दिन से अधिक की अवधि के लिए नियोजित किया जाना चाहिए ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि फुटवियर या चमड़ा उत्पादों के विनिर्माण के कारबार की दशा में, नियोजन वर्ष में नियोजन दिनों की न्यूनतम संख्या दो सौ चालीस दिनों के स्थान पर एक सौ पचास दिन होगी ।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां किसी नए कर्मचारी को पूर्ववर्ष के दौरान, यथास्थिति, दो सौ चालीस दिन से कम या एक सौ पचास दिन से कम की अवधि के लिए नियोजित किया जाता है, किंतु उसके तुरंत पश्चात्‌वर्ती वर्ष में, यथास्थिति, दो सौ चालीस दिन या एक सौ पचास दिन की अवधि के लिए नियोजित किया जाता है, वहां उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे पश्चात्‌वर्ती वर्ष में नियोजित किया गया है और इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-2020 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 28** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 80तक अंतःस्थापित करने के लिए है, जो उत्पादक कंपनियों की कतिपय आय की बाबत कटौती से संबंधित है ।

उक्त नई धारा को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी निर्धारिती के मामले में, जो उत्पादक कंपनी है, जिसका किसी पूर्ववर्ष में कुल आवर्त एक सौ करोड़ रुपए या उससे कम है, कुल सकल आय में, पात्र कारबार से, सदस्यों द्वारा उपजाए गए कृषि उत्पाद का विपणन या कृषि औजार, बीज, पशुधन या अन्य वस्तुएं, जो सदस्यों को पूर्ति किए जाने के प्रयोजन के लिए कृषि के लिए आशयित हैं या सदस्यों को कृषि उत्पाद के लिए प्रसंस्करण है, आय की संपूर्ण रकम या ऐसे किसी एक या अधिक क्रियाकलापों के कारबार से उद्‌भूत लाभों और अभिलाभों के 1 अप्रैल, 2019 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 अप्रैल, 2025 से पहले प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय की संगणना में कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां निर्धारिती अध्याय 6क के किसी अन्य उपबंध या उपबंधों के अधीन भी कटौती का हकदार है, उसे उक्त अध्याय के ऐसे अन्य उपबंध या उपबंधों के अधीन कटौतियों से घटाई गई कुल सकल आय से इस धारा के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

उक्त नई धारा के प्रयोजनों के लिए " पात्र कारबार", " सदस्य " और "उत्पादक कंपनी" पदों को भी परिभाषित करने का प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-2020 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 29** आय-कर अधिनियम की धारा 80ननक का संशोधन करने के लिए है, जो बचत खाते में निक्षेपों पर ब्याज की बाबत कटौती से संबंधित है ।

उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध है कि जहां किसी निर्धारिती की, जो कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, सकल कुल आय के अंतर्गत कतिपय अस्तित्वों में किसी बचत बैंक खाते में जमा पर ब्याज के माध्यम से कोई आय सम्मिलित है ।

उक्त धारा के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 80ननख में निर्दिष्ट निर्धारिती इस धारा के अधीन कटौती के फायदे के लिए पात्र नहीं होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-2020 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 30** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 80ननख, जो वरिष्ठ नागरिकों द्वारा किए गए निक्षेपों पर ब्याज की बाबत कटौती से संबंधित है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध है कि जहां किसी निर्धारिती की, जो वरिष्ठ नागरिक है, सकल कुल आय में ऐसी किसी बैंककारी कंपनी में, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है, (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है); या बैंककारी कारबार करने में लगी किसी सहकारी सोसाइटी में (जिसके अंतर्गत कोई सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक भी है) ; या भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 2 के खंड (ट) में यथापरिभाषित किसी डाकघर में निक्षेप पर ब्याज के रूप में कोई आय सम्मिलित है, वहां पचास हजार रुपए तक की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि जहां इस धारा में निर्दिष्ट आय किसी फर्म, व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय द्वारा या उसकी ओर से धारित किसी बचत खाते में किसी निक्षेप से व्युत्पन्न होती है, वहां इस धारा के

अधीन फर्म के किसी भागीदार या संगम के किसी सदस्य या निकाय के किसी व्यष्टि की कुल आय की संगणना में ऐसी आय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

"वरिष्ठ नागरिक" पद को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-2020 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 31** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 112क अंतःस्थापित करने के लिए है, कतिपय मामलों में दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर से संबंधित है ।

प्रस्तावित नई धारा 112क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में कोई आय सम्मिलित है, जो किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति, जो किसी कंपनी का इक्विटी शेयर या किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि की यूनिट या किसी कारबार न्यास की यूनिट है, के अंतरण से उद्भूत "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन उस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कुल आय पर निर्धारिती द्वारा संदेय कर की संगणना एक लाख रुपए से अधिक के पूंजी अभिलाभों पर दस प्रतिशत की दर से की जाएगी ।

यह और प्रस्ताव है कि यह उपबंध किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जो निवासी है, जहां ऐसे दीर्घकालिक पूंजी लाभ से घटाई गई कुल अधिकतम रकम से कम है, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, तब दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों को उस रकम से कम कर दिया जाएगा, जिसके द्वारा इस प्रकार घटाई गई कुल रकम उस अधिकतम रकम से कम होती है, जो आय से प्रभार्य नहीं है ।

यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में किए गए संव्यवहार से उद्भूत पूंजी अभिलाभ और जहां ऐसे संव्यवहार के लिए प्रतिफल को किसी विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया है या प्राप्य है, प्रतिभूति संविदा कर का संदाय किए बिना इस धारा के अधीन पात्र होगा ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि इस धारा के उपबंध दीर्घकालिक पूंजी आस्ति, जो किसी कंपनी का इक्विटी शेयर है, के अंतरण से उद्भूत आय को लागू नहीं होगी, यदि इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे अधिसूचित अर्जन से भिन्न ऐसे इक्विटी शेयर के अर्जन का संव्यवहार 1 अक्तूबर, 2004 को या उसके पश्चात् किया जाता है और ऐसा संव्यवहार वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 के अधीन प्रतिभूति संव्यवहार कर से प्रभार्य नहीं है।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा के अधीन पूंजी अभिलाभों की संगणना धारा 48 के पहले और दूसरे परंतुक को प्रभावी किए बिना की जाएगी ।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि किसी निर्धारिती द्वारा 1 फरवरी, 2018 से पूर्व अर्जित पूंजी आस्ति की बाबत उक्त धारा के अधीन पूंजी अभिलाभों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए अर्जन की लागत वह होगी, जो धारा में उपबंधित है ।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में अध्याय 6क के अधीन कटौती कोई दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ सम्मिलित है, उस सकल कुल आय से, जिसमें से ऐसे पूंजी अभिलाभों को घटा दिया गया हो, कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि जहां निर्धारिती की कुल आय में उस धारा में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ सम्मिलित है, वहां धारा 87क के अधीन उस कुल आय पर, जिसमें से ऐसे पूंजी अभिलाभों पर संदेय कर को घटा दिया गया हो, आय-कर से रिबेट अनुज्ञात की जाएगी ।

" साधारण शेयरोन्मुख निधि", " उचित बाजार मूल्य", " अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र" और " मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज" पदों को भी परिभाषित करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-2020 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 32** आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है, जो विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं की प्रतिभूतियों से अथवा उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर से संबंधित है जो पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-2020 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 33** आय-कर अधिनियम की धारा 115खक का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय देशी कंपनियों की आय पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा में यह उपबंध है कि उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किए जाने और अध्याय 12 की धारा 111क और धारा 112 के अधीन रहते हुए, निर्धारण वर्ष 2017-2018 से, कतिपय नई गठित ऐसी देशी कंपनियों की कुल आय को उसके विकल्प पर पच्चीस प्रतिशत की दर से कर के अधीन किया जाएगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के उपबंध केवल धारा 111क और धारा 112 की बजाय, उक्त अध्याय के अन्य उपबंधों के भी अधीन होंगे ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 34** आय-कर अधिनियम की धारा 115खखङ का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 68 या धारा 69 या धारा 69क या धारा 69ख या धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट आय पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि किसी निर्धारिती को किसी व्यय या मोक या मुजरे की किसी हानि के संबंध में उक्त अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट उसकी आय की संगणना में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

उक्त उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आय को सम्मिलित किया जा सके ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 35** आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115ञख का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय कंपनियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है ।

उक्त धारा बही-लाभ के आधार पर कतिपय कंपनियों पर कर के उद्ग्रहण का उपबंध करती है, जिसका अवधारण कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार तैयार किए गए लाभ और हानि लेखे में प्रकटित शुद्ध लाभ के लिए कतिपय समायोजन करने के पश्चात् किया जाता है ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण 1 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी कंपनी की दशा में, जिसके विरुद्ध निगमित दिवाला समाधान की प्रक्रिया के लिए कोई आवेदन न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा दिवाला और धन-शोधन संहिता, 2016 की धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए कोई आवेदन स्वीकार किया गया है, शेष मूल्यह्रास और अग्रनीत हानि की समग्र रकम को बही-लाभ से घटाना अनुज्ञात किया जाएगा और हानि में मूल्यह्रास सम्मिलित नहीं होगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त धारा में एक नया स्पष्टीकरण 4क भी अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त धारा के उपबंध किसी निर्धारिती को, जो विदेशी कंपनी है, लागू नहीं होंगे और कभी भी लागू हुए नहीं समझे जाएंगे, यदि उसकी कुल आय केवल धारा 44ख या धारा 44खख या धारा 44खखक या धारा 44खखख में निर्दिष्ट कारबार के लाभों और अभिलाभों से है और ऐसी आय का उक्त धाराओं में विनिर्दिष्ट कर की दरों के लिए प्रस्ताव किया गया है ।

यह संशोधन स्पष्टीकारक प्रकृति का होने के कारण भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2001-2002 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 36** आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग का संशोधन करने के लिए है, जो कंपनी से भिन्न कतिपय व्यक्तियों द्वारा कर का संदाय करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है।

उक्त धारा में यह उपबंध है कि जहां कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में किसी पूर्ववर्ष के लिए संदेय नियमित आय कर, उस पूर्ववर्ष के लिए संदेय अनुकल्पी न्यूनतम कर से कम है, वहां समायोजित कुल आय को उस पूर्ववर्ष के लिए उस व्यक्ति की कुल आय समझा जाएगा और निर्धारिती ऐसी कुल आय पर साढ़े अट्ठारह प्रतिशत की दर से कर का संदाय करने का दायी होगा।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां निर्धारिती, किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित कोई यूनिट है और अपनी आय एकमात्र रूप से संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त करता है,वहां कर की दर नौ प्रतिशत होगी ।

उसमें प्रयुक्त कतिपय पदों को और परिभाषित करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-2020 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 37** आय-कर अधिनियम की धारा 15ञच का संशोधन करने के लिए है जो इस अध्याय के निर्वचन से संबंधित है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारिती के लिए, जो कंपनी से भिन्न कोई व्यक्ति है, ऐसी कोई यूनिट है जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित है और वह अपनी आय केवल संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्रोद्भूत करता है, न्यूनतम अनुकल्पी कर की दर नौ प्रतिशत होगी ।

उसमें प्रयुक्त कतिपय पदों को परिभाषित करने का और प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-2020 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 38** आय-कर अधिनियम की धारा 115ण का संशोधन करने के लिए है, जो देशी कंपनियों के वितरित लाभों पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (22) के उपखंड (ङ) के अधीन लाभांश की प्रकृति की वितरित लाभों पर तीस प्रतिशत की दर से कर के उद्ग्रहण का उपबंध किया जा सके।

उक्त धारा की उपधारा (1ख) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 2 के खंड (22) के उपखंड (ङ) के अधीन लाभांश की रकम को, उक्त उपधारा के संकलनकारी उपबंधों के लागू होने से अपवर्जित किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 39** आय-कर अधिनियम की धारा 115थ के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण का लोप करने के लिए है ।

उक्त स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करता है कि "लाभांश" पद का वही अर्थ होगा जो धारा 2 के खंड (22) में दिया गया है किन्तु उसमें, उसका उपखंड (ङ) सम्मिलित नहीं होगा ।

धारा 115ण में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप उक्त स्पष्टीकरण का लोप करने का भी प्रस्ताव है । यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 40** आय-कर अधिनियम की धारा 115द का संशोधन करने के लिए है, जो यूनिट धारकों को वितरित आय पर कर से संबंधित है

उक्त धारा में अन्य बातों के साथ यह उपबंध है कि विनिर्दिष्ट कंपनी या किसी पारस्परिक निधि द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित आय की कोई रकम कर से प्रभार्य होगी और ऐसी विनिर्दिष्ट कंपनी या पारस्परिक निधि ऐसी वितरित आय पर उक्त धारा में विनिर्दिष्ट दर पर अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने के लिए दायी होगी । तथापि, ऐसी निधियों द्वारा किए गए किसी वितरण के संबंध में इक्विटी उन्मुख निधियों के यूनिट धारकों को वितरित कोई आय उस धारा के अधीन कर से प्रभार्य नहीं होगी ।

उस धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई आय किसी व्यक्ति को जो साधारण शेयरोन्मुख निधि द्वारा वितरित की जाती है, वहां निधि, इस प्रकार वितरित आय पर दस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने के लिए दायी होगी ।

इसमें उसकी उपधारा (2) के दूसरे परन्तुक के खंड (ख) का लोप करने का और प्रस्ताव है जो पारिणामिक प्रकृति का है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 41** आय-कर अधिनियम की धारा 115न का संशोधन करने के लिए है, जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि का व्यतिक्रमी निर्धारिती होने से संबंधित है ।

उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ, "साधारण शेयरोन्मुखी निधि" की परिभाषा का उपबंध है, जिससे भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा बनाई गई यूनिट स्कीम, 1964 ; और ऐसी निधि अभिप्रेत है, जहां विनिधान योग्य निधियों का, ऐसी निधि के कुल आगमों के पैंसठ प्रतिशत से अधिक की सीमा तक साधारण शेयरों के रूप में देशी कंपनियों में विनिधान किया जाता है।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे "साधारण शेयरोन्मुख निधि" को धारा 112क के स्पष्टीकरण के खंड (क) और भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा बनाई गई यूनिट स्कीम 1964 में निर्दिष्ट निधि के रूप में परिभाषित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 42** आय-कर अधिनियम की धारा 139क का संशोधन करने के लिए है, जो स्थायी लेखा संख्यांक से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि उसमें विनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति और जिसे स्थायी लेखा संख्यांक आबंटित नहीं किया गया है, स्थायी लेखा संख्यांक के आबंटन के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन करेगा ।

उक्त उपधारा में एक नया खंड (v) अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्ति जो व्यष्टि नहीं है, जो किसी वित्त वर्ष में दो लाख पचास हजार रुपए या उससे अधिक की कुल रकम का कोई वित्तीय संव्यवहार करता है, स्थायी लेखा संख्यांक के आबंटन के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन करेगा ।

एक नया खंड (vi) अन्तःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रबंध निदेशक, निदेशक, भागीदार, न्यासी, लेखक, संस्थापक, कर्ता, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रधान अधिकारी या खंड (v) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का पदधारी या खंड (iv) में निर्दिष्ट उस व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम व्यक्ति भी, स्थायी लेखा संख्यांक के आबंटन के लिए भी निर्धारण अधिकारी को आवेदन करेगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 43** आय-कर अधिनियम की धारा 140 का संशोधन करने के लिए है, जो विवरणी किसके द्वारा सत्यापित हो, से संबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि जहां किसी कंपनी के संबंध में किसी आवेदन का दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा ग्रहण कर लिया गया है, वहां विवरणी का सत्यापन ऐसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त दिवाला वृत्तिक द्वारा सत्यापित किया जाएगा ।

उक्त धारा में "दिवाला वृत्तिक" और "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" पद को परिभाषित करने का और प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 44** आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 143 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है, जो निर्धारण से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (क) यह उपबंध करता है कि धारा 139 के अधीन आय की विवरणी पर कार्यवाही करते समय या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन किसी नोटिस के प्रत्युत्तर में कुल आय या हानि की संगणना, उसमें खंड (i) से खंड (vi) में विनिर्दिष्ट समायोजन करने के पश्चात् की जाएगी ।

उक्त खंड का उपखंड (vi) प्ररूप 26कध या प्ररूप 16क या प्ररूप 16 में प्रकट उस अतिरिक्त आय के संबंध में समायोजन का उपबंध करता है, जिसे विवरणी में कुल आय की संगणना में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

उक्त खंड में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि उक्त खंड के उपखंड (vi) के अधीन कोई समायोजन 1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष को या उसके पश्चात् दी गई किसी विवरणी के संबंध में नहीं किया जाएगा ।

उक्त धारा में नई उपधारा (3क), उपधारा (3ख) और उपधारा (3ग) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे अन्य बातों के साथ-साथ, उपधारा (3) के अधीन निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्कीम का उपबंध किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 45** आय-कर अधिनियम की धारा 145क के स्थान पर नई धारा, धारा 145क और धारा 145ख को प्रतिस्थापित करने के लिए है,जो कतिपय मामलों में लेखांकन पद्धति और कतिपय आय की कराधेयता से संबंधित है ।

प्रस्तावित नई धारा 145क यह उपबंध करती है कि "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए,—

(i) सूची का मूल्यांकन, धारा 145 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना और प्रकटन मानकों के अनुसार संगणित वास्तविक लागत या शुद्ध वसूलनीय मूल्य के निम्नतर पर किया जाएगा;

(ii) माल या सेवाओं के क्रय और विक्रय तथा सूची के मूल्यांकन का, मूल्यांकन की तारीख को, निर्धारिती द्वारा माल या सेवा को उसके अवस्थान से उस स्थान और स्थिति में लाने के लिए वास्तविक रूप से संदत्त या उपगत किसी कर, शुल्क उपकर या फीस (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) की रकम को सम्मिलित करने के लिए समायोजन किया जाएगा ;

(iii) सूची का मूल्यांकन, जो ऐसी प्रतिभूति हो, जो किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है ; या सूचीबद्ध है किंतु उसे समय-समय पर नियमित रूप से मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में कोट नहीं किया गया है, वास्तविक लागत पर धारा 145 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना और प्रकटन मानकों के अनुसार प्रारंभिक रूप से मान्यता प्रदान की गई वास्तविक लागत पर किया जाएगा ;

(iv) सूची, जो खंड (iii) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से भिन्न प्रतिभूतियां हैं, का मूल्यांकन धारा 145 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित आय

संगणना और प्रकटन मानकों के अनुसार वास्तविक लागत या शुद्ध वसूलनीय मूल्य के निम्नतर पर मूल्यांकन किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए वास्तविक लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य की तुलना प्रवर्गवार की जाएगी।

उक्त धारा में एक स्पष्टीकरण का उपबंध करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी कर, शुल्क, उपकर या फीस में, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, ऐसे संदाय को, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे संदायों के परिणामस्वरूप उत्पन्न किसी अधिकार के होते हुए भी सम्मिलित किया जाएगा ।

प्रस्तावित नई धारा 145ख यह उपबंध करती है कि धारा 145 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी निर्धारिती द्वारा, यथास्थिति, किसी प्रतिकर या वर्धित प्रतिकर पर प्राप्त ब्याज, उस वर्ष की आय समझी जाएगी, जिसमें वह प्राप्त किया गया है । यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी संविदा या निर्यात प्रोत्साहन में कीमत की वृद्धि के लिए कोई दावा उस पूर्व-वर्ष की आय समझी जाएगी, जिसमें इसकी वसूली की युक्तियुक्त निश्चितता प्राप्त की गई हो । यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (xviii) में निर्दिष्ट आय उस पूर्ववर्ष की आय समझी जाएगी, जिसमें वह प्राप्त की गई है, यदि उसे किसी पूर्वतर पूर्ववर्ष के लिए आय-कर से प्रभारित न किया गया हो ।

ये संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 46** प्रतिभूतियों पर ब्याज से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 193 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के खंड (iv) के परंतुक का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि किसी निवासी को, 7.75% वाले बचत (कराधेय) बांड, 2018 पर किसी ब्याज का संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति आय-कर की कटौती करेगा, यदि ऐसे बांड पर संदेय ब्याज वित्तीय वर्ष के दौरान दस हजार रुपए से अधिक है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 47** आय-कर अधिनियम की धारा 194क का संशोधन करने के लिए है, जो प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न ब्याज से संबंधित है।

उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंधित है कि जहां, यथास्थिति, व्यक्ति द्वारा वित्त वर्ष के दौरान प्रत्यय की गई या संदत्त या प्रत्यय की जाने वाली या संदत्त की जाने वाली आय की रकम या आय की रकमों का योग दस हजार रुपए से अनधिक है, जहां संदायकर्ता, ऐसी कोई बैंककारी कंपनी है, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है,(जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है); या बैंककारी कारबार करने में लगी किसी सहकारी सोसाइटी है ; या भारतीय डाकघर में केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित और इस निमित्त अधिसूचित किसी स्कीम के अधीन किसी जमा पर है या किसी अन्य दशा में पांच हजार रुपए है,स्रोत पर किसी कर की कटौती अपेक्षित नहीं है।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि वरिष्ठ नागरिक की दशा में, ब्याज की उक्त रकम पचास हजार रुपए तक हो जाएगी । "वरिष्ठ नागरिक" पद को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 48** आय-कर अधिनियम की धारा 245ण का संशोधन करने के लिए है, जो अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ,अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के गठन का उपबंध करती है।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्राधिकरण सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय 5 के प्रयोजन के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28ङ क के अधीन सीमाशुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी की नियुक्ति की तारीख से अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना बंद कर देगा और धारा 245ण के अधीन ऐसा अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय 5 के प्रयोजन के लिए उक्त तारीख से ही अपील प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा ।

यह और प्रस्ताव है कि धारा 245ण के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, उसके द्वारा प्राधिकरण की हैसियत से पूर्व में दिए गए विनिर्णय या पारित आदेश के विरुद्ध सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय 5 के प्रयोजनों के लिए सीमाशुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी की नियुक्ति की तारीख के पश्चात् कोई अपील स्वीकार नहीं करेगा ।

यह भी प्रस्ताव है कि जहां प्राधिकरण आय-कर के मामलों में अग्रिम विनिर्णय की वांछा करने वाले किसी आवेदन का निपटान कर रहा है, वहां उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (ग) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट न्यायपीठ का राजस्व सदस्य ऐसा सदस्य होगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 49** आय-कर अधिनियम की धारा 245थ का संशोधन करने के लिए है,जो अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन से संबंधित है ।

उक्त धारा में अधिनियम के अधीन या सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय 5 के अधीन या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अध्याय 3क के अधीन या वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5क के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन फाइल करने हेतु उपबंध है ।

उक्त धारा 245थ का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय 5 के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदनों को स्वीकार करने से संबंधित उपबंध का लोप किया जा सके । यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 50** आय-कर अधिनियम की धारा 253 का संशोधन करने के लिए है, जो अपील अधिकरण को अपीलों से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि उसमें उल्लिखित किसी भी आदेश द्वारा व्यथित कोई भी निर्धारिती अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

उक्त उपधारा के खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे आयुक्त (अपील) द्वारा धारा 271ञ के अधीन पारित किसी आदेश को भी अपील अधिकरण के समक्ष अपीलीय बनाया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 51** आय-कर अधिनियम की धारा 271चक का संशोधन करने के लिए है, जो वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण देने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है ।

उक्त धारा में यह उपबंध है कि यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 285खक की उपधारा (1) के अधीन वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण देने की अपेक्षा की गई है, विहित समय के भीतर ऐसा विवरण देने में असफल रहता है, तो वह प्रत्येक दिन के व्यतिक्रम के लिए एक सौ रुपए की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा । उक्त धारा के परंतुक में यह और उपबंध है कि उस दशा में जहां ऐसा व्यक्ति, धारा 285खक की उपधारा (5) के अधीन जारी किए गए नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण देने में असफल रहता है तो वह प्रत्येक दिन के व्यतिक्रम के लिए पांच सौ रुपए की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे शास्ति को व्यतिक्रम जारी रहने के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपए से बढ़ाकर पांच सौ रुपए और पांच सौ रुपए से बढ़ाकर एक हजार रुपए किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 52** आय-कर अधिनियम की धारा 276गग का संशोधन करने के लिए है, जो आय की विवरणी देने में असफलता से संबंधित है ।

उक्त धारा के परंतुक का खंड (ii) का उपखंड (ख) यह उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध उक्त धारा के अधीन 1 अप्रैल, 1975 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए उक्त धारा के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, यदि नियमित निर्धारण पर अवधारित कुल आय पर उसके द्वारा संदेय कर, जो वह संदत्त अग्रिम कर को, यदि कोई हो और स्रोत पर कटौती किए गए कर को घटाकर आए, तीन हजार रुपए से अधिक नहीं है ।

उक्त उपखंड (ख) के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उसमें विनिर्दिष्ट शर्तें किसी कंपनी के संबंध में लागू नहीं होंगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल,2018 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 53** आय-कर अधिनियम की धारा 286 का संशोधन करने के लिए है, जो अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ-साथ, विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग शासन का उपबंध करती है जिसमें अंतरण कीमत निर्धारण दस्तावेजीकरण के लिए पुनरीक्षित मानक और देश दर देश रिपोर्टिंग के लिए ढांचा अंतर्विष्ट है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि किसी अंतरराष्ट्रीय समूह का मूल अस्तित्व या अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व, जो भारत में निवासी है, लेखांकन वर्ष की आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उसके पूर्व अंतरराष्ट्रीय समूह की बाबत, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

उक्त उपधारा को यह उपबंध करने के लिए संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक रिपोर्ट करने वाले लेखांकन वर्ष के लिए उक्त रिपोर्ट, उक्त लेखांकन वर्ष के अंत से बारह मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी ।

उपधारा (4) का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे किसी ऐसे घटक अस्तित्व, जो भारत में निवासी है, जिसका मूल अस्तित्व भारत से बाहर है, के मामले में यह उपबंध किया जा सके कि—

(क) उक्त उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति की रिपोर्ट उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि में प्रस्तुत की जाएगी; और

(ख) ऐसे मामले में उक्त अस्तित्व द्वारा रिपोर्ट फाइल करने के लिए कोई अतिरिक्त शर्त, जहां कोई देश या राज्यक्षेत्र, जिसका मूल अस्तित्व निवासी है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति की रिपोर्ट फाइल करने के लिए बाध्य नहीं है ।

उपधारा (5) को भी संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त अस्तित्व द्वारा उस देश या राज्यक्षेत्र, जिसको वह अस्तित्व निवासी है, के कर प्राधिकारी के पास उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख, वह नियत तारीख होगी, जो उस देश या राज्यक्षेत्र द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ;

परिणामतः उपधारा (9) के खंड (ख) को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "करार" पद से (i) धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार का संयोजक अभिप्रेत है; और (ii) कोई ऐसा करार अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा उपधारा (2) और उपधारा (4) में निर्दिष्ट रिपोर्ट के आदान-प्रदान के लिए अधिसूचित किया जाए।

परिणामतः उपधारा (9) के खंड **(ञ)** को भी संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे उपधारा (4) में निर्दिष्ट रिपोर्ट के प्रति निर्देश भी किया जाए ।

ये संशोधन स्पष्टीकारक प्रकृति के हैं ।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

सीमाशुल्क

विधेयक का **खंड 54** संपूर्ण अधिनियम में "आयात सूची" पद "आयात-निर्यात सूची या आयात सूची" पद और निर्यात सूची पद को "प्रस्थान सूची या निर्यात सूची" के प्रति निर्देश से प्रतिस्थापित करने की दृष्टि से सीमाशुल्क अधिनियम का संशोधन करने के लिए है, जिससे जलयान या प्रवहण द्वारा वहन किए गए ऐसे सभी माल को, जो उसके पहुंचने और प्रस्थान से पूर्व परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित है, सम्मिलित करने के लिए सूची की परिधि का विस्तार किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 55** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 1 का संशोधन करने के लिए है जिससे उक्त अधिनियम की परिधि का विस्तार किया जा सके और इसे ऐसे व्यक्ति को लागू किया जा सके जो भारत से बाहर उसके अधीन कोई अपराध करता है या कोई उल्लंघन करता है ।

विधेयक का **खंड 56** परिभाषाओं से संबंधित सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है जिससे कतिपय पद को परिभाषित किया जा सके और परिधि का विस्तार किया जा सके और कतिपय पदों में स्पष्टतया तथा निश्चितता लाई जा सके ।

विधेयक का **खंड 57** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 11 का संशोधन करने के लिए है जिससे उसमें एक नई उपधारा (3), उस तारीख से अंतःस्थापित की जा सके, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा यह उपबंध करने के लिए नियत करे कि बनाई गई किसी अन्य विधि नियमों या विनियमों या तद्धीन जारी किए गए किसी आदेश या अधिसूचना, में माल या माल के वर्ग का आयात या निर्यात या उसकी निकासी से संबंधित विनियामक अपेक्षाएं इस अधिनियम के अधीन ऐसे अपवाद या उपांतरण या अनुकूलन के साथ, जो केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों द्वारा उनके विनियमन के लिए अधिसूचित करना ठीक समझे ।

विधेयक का **खंड 58** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है जिससे स्वःनिर्धारण के अतिरिक्त प्रवेश पत्र या पोत परिवहन पत्र में की गई घोषणाओं के सभी पहलुओं को सम्मिलित करने के लिए समुचित प्राधिकारी द्वारा सत्यापन की परिधि को व्यापक बनाया जा सके। स्वनिर्धारण के जोखिम आधारित चयन का उपबंध करने का और प्रस्ताव है । पुनः निर्धारण की परिधि को इस अधिनियम के अधीन इसके लिए जारी की गई किसी अधिसूचना के परिणामस्वरूप उपभुक्त शुल्क के मूल्यांकन, वर्गीकरण और छूट या रियायत से परे, व्यापक बनाए जाने का प्रस्ताव है।

विधेयक का **खंड 59** शुल्क का अंतिम निर्धारण से संबंधित सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 18 का संशोधन करने के लिए है । अनंतिम निर्धारण की परिधि को व्यापक बनाने का प्रस्ताव है जिससे निर्यात परेषणों को इसके अंतर्गत लाया जा सके । अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने का समय और रीति विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करने का और प्रस्ताव है । धारा ''28कख'' को धारा ''28कक'' के प्रति निर्देश को 8 अप्रैल, 2011 से भूतलक्षी रूप से संशोधन करने का भी प्रस्ताव है और यह तदनुसार पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 60** सीमाशुल्क अधिनियम में नई धारा 25क और 25ख अंतःस्थापित करने के लिए है । प्रस्तावित धारा 25क कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार को मरम्मत के लिए अतिरिक्त प्रसंस्करण या विनिर्माण के लिए आयातित माल पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क या उसके किसी भाग के संदाय से छूट प्रदान करने को सशक्त करती है ।

प्रस्तावित नई धारा 25ख पुनः आयातित माल, जो मरम्मत, अतिरिक्त प्रसंस्करण या विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए निर्यात किए गए थे, पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क या उसके किसी भाग को छूट देने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 61** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 का संशोधन करने के लिए है जिससे मांग सूचना जारी करने से पूर्व दुरभि संधि, छिपाना आदि को अंतर्वलित नहीं करने वाले मामलों में सूचना पूर्व परामर्श का उपबंध करने के लिए और सूचना पूर्व परामर्श किए जाने की रीति का विनियमों द्वारा उपबंध करने के लिए उपधारा (1) के खंड (क) में परंतुक अंतःस्थापित किया जा सके ।

इस धारा में एक नई उपधारा (7क) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने वाली परिस्थितियों और रीति में अनुपूरक कारण बताओ सूचना जारी करने का उपबंध किया जा सके ।

यह खंड इसकी उपधारा (9) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव करता है जिससे इस पर निर्भर करते हुए कि क्या दुरभि संधि छिपाव आदि का अवलंब लिया गया है, छह मास और एक वर्ष मांग सूचनाओं के न्यायनिर्णयन के लिए निश्चित समयसीमा का उपबंध किया जा सके । ये समय अवधियां क्रमशः छह मास और एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से ज्येष्ठ अधिकारी द्वारा विस्तारणीय होंगी । यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि यदि मांग सूचना ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर न्यायनिर्णीत नहीं की जाती है तो यह समझा जाएगा मानो मांग सूचना जारी नहीं की गई थी ।

इस धारा में एक नई उपधारा (9क) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे कतिपय आधारों के लिए उपबंध किया जा सके, जिन पर छह मास या एक वर्ष की समय सीमा निलंबित रहेगी ।

इस धारा में एक नई उपधारा (10क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि विभाग सफलतापूर्वक गलती से हुए प्रतिदाय के विरुद्ध अपील करता है तो कोई मांग सूचना ब्याज सहित ऐसे अधिक प्रतिदाय को वसूल करने के लिए जारी की जानी अपेक्षित नहीं होगी किन्तु यह रकम सरकार को शोध्य रकम के रूप में वसूल की जाएगी ।

इस धारा में एक नई उपधारा (10ख) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे सुरक्षोपाय का उपबंध किया जा सके कि जहां दुरभि संधि आदि के आधारों का अवलंब लेकर जारी की गई सूचना पोषणीय नहीं मानी जाती है और परिणामस्वरूप पांच वर्ष के लिए शुल्क की मांग अंतिम अवधारण पर अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा अभिखंडित कर दी जाती है, वहां ऐसे मामले में कम से कम ऐसी मांग, जो दो वर्ष की सामान्य अवधि से संबंधित है, पोषणीय समझी जाएगी और उस आधार पर कार्यवाही की जाएगी ।

इसमें इस प्रभाव का एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है कि 14 मई, 2015 के पश्चात् किन्तु उस तारीख से पूर्व जिसको वित्त विधेयक, 2018 राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है अननुद्ग्रहण, असंदत्त, कम उद्ग्रहण या कम संदत्त या भूल से प्रतिदाय के लिए जारी की गई कोई सूचना धारा 28 के उपबंधों द्वारा वैसे ही शासित होती रहेगी जैसे वह ऐसी अनुमति की तारीख के ठीक पूर्व विद्यमान थी ।

विधेयक का **खंड 62** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ङ का संशोधन करने के लिए है जिससे व्यापार सुविधा करार के साथ अग्रिम विनिर्णय उपबंधों में आवेदक पद की परिभाषा को संरेखित किया जा सके। 'आवेदक' की परिभाषा को व्यापक आधार का बनाया जाना प्रस्तावित है जिससे प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में न्यायोचित कारण सहित आयातकताओं, निर्यातकर्ताओं तथा अन्य लोगों की भारी संख्या को सम्मिलित किया जा सके । खंड अग्रिम विनिर्णय की परिभाषा का भी संशोधन करने के लिए है जिससे शुल्क के मात्र अवधारण से परे पहलुओं को सम्मिलित करते हुए इसके आधार को व्यापक बनाया जा सके, विद्यमान प्राधिकारी 'अपील प्राधिकारी' के रूप में पदाभिहित किया जा रहा है और सीमाशुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी के और नाम से ज्ञात नियुक्त किया जा रहा है ।

विधेयक का **खंड 63** सीमाशुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी की नियुक्ति के लिए सीमाशुल्क अधिनियम में एक नई धारा 28ङ.क अंतःस्थापित करने के लिए यह प्रस्ताव है कि सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त की पंक्ति के एक या अधिक अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी की नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जाए ।

विधेयक का **खंड 64** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28च की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे प्राधिकारी' पद के स्थान पर 'अपील प्राधिकारी' शब्द रखे जा सकें ।आवेदनों के अंतरण तथा विद्यमान प्राधिकारी के समक्ष लंबित कार्यवाहयों से संबंधित संक्रमणकालीन उपबंधों का भी प्रस्ताव किया जा रहा है ।

विधेयक का **खंड 65** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ज की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है, जिससे केंद्रीय सरकार को अग्रिम विनिर्णय के लिए अन्य किसी विषय को अधिसूचना द्वारा जोड़ने के लिए सशक्त किया जा सके ।खंड यह उपबंध करने के लिए है कि आवेदक का प्राधिकृत किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाए, जो भारत का निवासी हो ।

विधेयक का **खंड 66** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28झ की उपधारा (6) का संशोधन करने के लिए है, जिससे समयसीमा छह मास से घटाकर तीन मास किया जा सके, जिसके भीतर सीमाशुल्क प्राधिकारी अपना अग्रिम विनिर्णय की घोषणा करेगा ।

विधेयक का **खंड 67** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ट की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे '(ऐसी अग्रिम विनिर्णय की तारीख से आरंभ होने वाली और इस उपधारा के अधीन आदेश की तारीख के साथ समाप्त होने वाली अवधि को निकालने के पश्चात्)' कोष्ठकों और शब्दों का लोप किया जा सके और उसके बदले में इस आशय का एक परंतुक अंतःस्थापित किया जा सके कि ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तारीख से आरंभ होने वाली तथा इस उपधारा के अधीन आदेश की तारीख के साथ समाप्त होने वाली अवधि, धारा 28 की उपधारा (7) में क्रमशः विनिर्दिष्ट दो वर्ष और पांच वर्ष की समयावधि से अपवर्जित की जाएगी ।

विधेयक का **खंड 68** सीमाशुल्क अधिनियम में एक नई धारा 28टक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे सीमाशुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी द्वारा पारित विनिर्णय या आदेश के विरुद्ध किसी आवेदक द्वारा या बोर्ड द्वारा अधिसूचना प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अपील प्राधिकारी को अपील करने का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 69** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ठ इसमें अपील "प्राधिकारी" शब्द अंतःस्थापित करने के संबंध में संशोधन करने के लिए है जिससे प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी दोनों को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदत्त की जा सके ।

विधेयक का **खंड 70** सीमाशुल्क अधिनियम विद्यमान धारा 28ड को एक नई धारा से प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सीमाशुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी के लिए प्रक्रिया का बोर्ड द्वारा विनियमों द्वारा उपबंध किया जा सके ।खंड यह उपबंध करने के लिए भी है कि अपील प्राधिकारी अपनी कार्यवाहियों को संचालित करने के प्रयोजन के लिए अपनी प्रक्रिया को विनियमित करेगा ।

विधेयक का **खंड 71** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 30 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि आयातित माल के अतिरिक्त निर्यातित माल को सूची में उपबंधित सूचना के भाग के रूप में सम्मिलित किया जा सके। खंड सूची के परिदान की रीति का विनियम द्वारा उपबंध करने के लिए भी है।

विधेयक का **खंड 72** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 41 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि निर्यातित माल के अतिरिक्त आयातित माल को सूची में उपबंधित सूचना के भाग के रूप में सम्मिलित किया जा सके और विनियमों द्वारा सूची के विलंब से फाइल किए जाने के लिए शास्ति उपबंधों का उपबंध तथा सूची के परिदान की रीति के लिए उपबंध किया जा सके।

विधेयक का **खंड 73** धारा 47, धारा 51 और धारा 60 में संशोधनों को ध्यान में रखते हुए धारा 45 में पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे स्वचालित सीमाशुल्क प्रणाली द्वारा निकासी को समर्थ बनाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 74** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 का संशोधन करने के लिए है जिससे आयात पर माल के प्रवेश के संबंध में इलैक्ट्रानिक रूप से प्रवेश पत्र के प्रस्तुतिकरण की रीति का विस्तार करने की दृष्टि से उपधारा (1) में सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली के प्रतिनिर्देश अंतःस्थापित किया जा सके । उपधारा (3) के परंतुक में यथा उल्लिखित प्रवेश पत्र के पूर्व प्रस्तुतिकरण के लिए समय को स्पष्ट करने का तथा स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बीजक के अतिरिक्त ऐसे अन्य दस्तावेजों , जिसका विनियमों द्वारा उपबंध किया जाए, के प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा को सम्मिलित करने के लिए उपधारा (4) का संशोधन करने का और प्रस्ताव करता है । खंड एक नई उपधारा (4क) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव करता है जिससे इस धारा के अधीन आयातकर्ता द्वारा की गई घोषणाओं की यथार्थता, अधिप्रमाणिकता, वैधता और इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिषेधों या निर्बंधनों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

विधेयक का **खंड 75** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 47 का संशोधन करने के लिए है जिससे उचित अधिकारी द्वारा निकासी के अतिरिक्त सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली आधारित निकासी का उपबंध करने के लिए उसमें एक परंतुक अंतःस्थापित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 76** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 50 का संशोधन करने के लिए है जिससे माल के प्रवेश या निर्यात की बाबत पोत परिवहन बिल या इलैक्ट्रानिक रूप से निर्यात के बिल के प्रस्तुतिकरण की रीति का विस्तार करने की दृष्टि से उपधारा (1) में सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली के प्रतिनिर्देश से अंतःस्थापित किया जा सके । खंड एक नई उपधारा (3) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव करता है जिससे इस धारा के अधीन निर्यातकर्ता द्वारा की गई घोषणाओं की यथार्थता, अधिप्रमाणिकता, वैधता और इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिषेधों या निबंधनों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 77** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 51 का संशोधन करने के लिए है जिससे उचित अधिकारी द्वारा निकासी के अतिरिक्त सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली आधारित निकासी का उपबंध करने के लिए उसमें एक परंतुक अंतःस्थापित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 78** इलैक्ट्रानिक नकद बही-खाता के माध्यम से संदाय से संबंधित सीमाशुल्क अधिनियम में एक नया अध्याय 7क पुरःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आयातकर्ता या निर्यातकर्ता, जैसा वर्तमान में किया जा रहा है, संव्यवहार वार संदाय की बजाय सरकार के पास एक अग्रिम जमा करेगा जिसका इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रयोग किया जा सकता है । इससे आयातकर्ता पर ब्याज के बोझ के आपतन में कमी की जाएगी ।

विधेयक का **खंड 79** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 54 का संशोधन करने के लिए है जिससे पोतांतरण के बिल को प्रस्तुत करने की तथा पोतांतरण के लिए घोषणा, प्रस्तुत करने की रीति का विनियमों द्वारा उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 80** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 60 का संशोधन करने के लिए है जिससे उचित अधिकारी द्वारा निकासी के अतिरिक्त सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली आधारित निकासी का उपबंध करने के लिए उसमें एक परंतुक अंतःस्थापित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 81** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 68 का संशोधन करने के लिए है जिससे उचित अधिकारी द्वारा निकासी के अतिरिक्त सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली आधारित निकासी का उपबंध करने के लिए उसमें एक परंतुक अंतःस्थापित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 82** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 69 का संशोधन करने के लिए है जिससे उचित अधिकारी द्वारा निकासी के अतिरिक्त सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली आधारित निकासी का उपबंध करने के लिए उसमें एक परंतुक अंतःस्थापित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 83** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 74 का संशोधन करने के लिए है जिससे उसमें 'धारा 82' के प्रतिनिर्देश का लोप किया जा सके जिसका वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 104 द्वारा लोप किया गया था। तथापि, धारा 82 के प्रतिनिर्देश उस धारा की उपधारा (1) के खंड (iii) अभी भी विद्यमान है । उक्त प्रतिनिर्देश को धारा 84 के खंड (क) से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का **खंड 84** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 75 का संशोधन करने के लिए है जिससे उसमें धारा 82 के प्रतिनिर्देश का लोप किया जा सके जिसका वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 104 द्वारा लोप किया गया है । तथापि, धारा 82 के प्रतिनिर्देश उस धारा 75 की उपधारा (1) में अभी भी विद्यमान है, धारा 82 के प्रतिनिर्देश को धारा 84 के खंड (क) से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का **खंड 85** अध्याय 11 के अध्याय शीर्ष का संशोधन करने के लिए है, जिससे ''कुरियर'' के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 86** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 83 का संशोधन करने के लिए है जिससे प्राधिकृत कुरियर के माध्यम से कुरियर द्वारा आयातित या निर्यातित माल के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 87** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 84 का संशोधन करने के लिए है जिससे कुरियर द्वारा आयातित या निर्यातित माल के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 88** संपरीक्षा से संबंधित सीमाशुल्क अधिनियम में एक नया अध्याय 12क अंतःस्थापित करने के लिए है । प्रस्तावित नई धारा 99क विनियमों द्वारा उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन आयात किए गए माल या निर्यात माल की संपरीक्षा का और संपरीक्षा करने वाले व्यक्ति का उपबंध करने के लिए है । खंड स्पष्टीकरण के माध्यम से 'व्यक्ति जिसकी संपरीक्षा की गई है' पद को परिभाषित करने के लिए भी है।

विधेयक का **खंड 89** नियंत्रित परिदान से संबंधित सीमाशुल्क अधिनियम में एक नई धारा 109क अंतःस्थापित करने के लिए है । खंड समुचित अधिकारी या उसके प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को भारत में या बाहर के किसी देश में किसी किसी गंतव्य तक माल के किसी परेषण का नियंत्रित परिदान करने के संबंध में प्राधिकृत करने के लिए है । खंड स्पष्टीकरण द्वारा, नियंत्रित परिदान को परिभाषित करने के लिए है । खंड यह और उपबंध करने के लिए है कि नियंत्रित परिदान माल के ऐसे परेषण पर और ऐसी रीति में जिसका विनियम द्वारा उपबंध किया जाए, लागू होगा।

विधेयक का **खंड 90** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 110 का संशोधन करने के लिए है जिससे अभिगृहीत माल के मामले में कारण बताओ सूचना जारी करने हेतु छह मास की अतिरिक्त अवधि का विस्तार करने के लिए तथा उन मामलों को, जिनमें अभिगृहीत माल के अनंतिम निर्मुक्ति का आदेश पारित किया है, छह मास की समयसीमा के लागू होने से छूट का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 91** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 122 के खंड (ख) और खंड (ग) को एक नए खंड (ख) से प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए सीमाएं और अधिकारियों को विनिर्दिष्ट करने के लिए बोर्ड को सशक्त किया जा सके।

विधेयक का **खंड 92** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 124 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि उन विनियमों द्वारा यथा उपबंधित परिस्थितियों तथा रीति में अनुपूरक कारण बताओ सूचना जारी करने का उपबंध करने के लिए उसमें एक परंतुक अंतःस्थापित किया जा सके । यह उपबंध धारा 28 में अनुपूरक सूचना जारी करने की शक्ति के परिणामस्वरूप पुरःस्थापित किया जा रहा है ।

विधेयक का **खंड 93** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 125 का इसकी उपधारा (1) में एक परंतुक अंतःस्थापित करके संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी नोटिस या सूचना पाने वाले सह-व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाहियां धारा 28 में उल्लिखित शोध्यों का संदाय कर दिए जाने वाले आधारों पर समाप्त हुई समझी जाती है, वहां इस धारा के उपबंध अधिहरण किए माल को लागू नहीं होंगे, यदि माल प्रतिषिद्ध या प्रतिबंधित माल नहीं है ।

इसमें एक नई उपधारा (3) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 125 के अधीन मोचन जुर्माने का उपधारा (1) के अधीन विकल्प की तारीख से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर संदाय नहीं किया गया है, वहां ऐसा विकल्प उन मामलों के सिवाय जहां ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील लंबित है, शून्य हो जाएगा ।

इसमें एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस तारीख से पूर्व, जिसको वित्त विधेयक, 2018 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, उपधारा (1) के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध और यदि कोई अपील लंबित नहीं है, ऐसे विकल्प का प्रयोग उस तारीख से, जिसको ऐसी अनुमति प्राप्त होती है, एक सौ बीस दिन के भीतर किया जा सकेगा ।

विधेयक का **खंड 94** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 128क की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे कतिपय परिस्थितियों में मामलों को मूल प्राधिकारी को भेजने के लिए आयुक्त (अपील) को सशक्त किया जा सके।

विधेयक का **खंड 95** सीमाशुल्क अधिनियम में एक नई धारा 143कक

अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि बोर्ड को उपाय करने के लिए और आयातकर्ताओं या निर्यातकर्ताओं के वर्ग या माल के प्रवर्गों के लिए या व्यापार को सुकर बनाने के लिए परिवहन के ढंगों के आधार पर पृथक् प्रक्रिया या प्रलेखीकरण को विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 96** सूचना के आदान-प्रदान के लिए पारस्परिक ठहराव से संबंधित सीमाशुल्क अधिनियम में एक नई धारा 151ख पुरःस्थापित करने के लिए है जिससे,—

(क) केंद्रीय सरकार को भारत के बाहर किसी देश की सरकार के साथ या उस देश के सक्षम प्राधिकारियों के साथ इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या उस देश में तत्समय प्रवृत्त तत्स्थानी विधियों के अधीन व्यापार को सुकर बनाने, प्रभावी जोखिम विश्लेषण, अपराधों का निवारण, रोकथाम और अन्वेषण के लिए कोई करार या कोई अन्य ठहराव करने के लिए प्राधिकृत किया जा सके ;

(ख) केंद्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा यह उपबंध करने के लिए प्राधिकृत किया जा सके कि किसी संविदाकारी राज्य, जिसके साथ पारस्परिक करार या ठहराव किए गए हैं, के संबंध में इस धारा का लागू होना ऐसी शर्तों, अपवादों या अर्हताओं, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं, के अध्यधीन होगा ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन ऐसे अन्वेषणों और कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में उपधारा (1) के अधीन प्राप्त जानकारी, यदि ऐसी अपेक्षा की जाए, जो उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन होगी, का उपयोग किया जा सके ;

(घ) बोर्ड को सूचना या दस्तावेजों के आदान-प्रदान के लिए प्रक्रिया को, जिसमें ऐसी शर्तें भी हैं जिसके अध्यधीन वह होगी, और ऐसे व्यक्ति को, जिसके माध्यम से ऐसी सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा, विनिर्दिष्ट करने के लिए प्राधिकृत किया जा सके ;

(ङ) कोई ऐसा धारणा खंड अंतःस्थापित किया जा सके कि उस तारीख से पूर्व, जिसको वित्त विधेयक, 2018 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया कोई करार या कोई अन्य ठहराव इस धारा के उपबंधों के अधीन किया गया गया समझा जाएगा ; और

(च) "संविदाकारी राज्य" और "तत्स्थानी विधि" की परिभाषाएं अंतःस्थापित की जा सकें ।

विधेयक का **खंड 97** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 153 के स्थान पर एक नई धारा अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे स्पीड पोस्ट, कुरियर और रजिस्ट्रीकृत ई-मेल को भी सूचना के परिदान आदि के लिए विधिमान्य ढंगों के रूप में सम्मिलित किया जा सके और उसे सीमाशुल्क सदन के सूचना पट्ट पर इसे चिपकाने के अतिरिक्त कारबार या निवास के अंतिम ज्ञात पते पर किसी सहजदृश्य जगह पर चिपकाने का भी उपबंध करने के लिए है जिससे इसे केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अनुरूप बनाया जा सके क्योंकि यह आदेशों, विनिश्चयों आदि की बेहतर तामील को समर्थ बनाएगा ।

विधेयक का **खंड 98** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 157 के संशोधन का प्रस्ताव करता है जिससे बोर्ड को अन्य बातों के साथ-साथ अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने की रीति, सूचना पूर्व परामर्श करने की रीति, परिस्थितियां, जिनके अंतर्गत और अनुपूरक सूचना जारी की जा सके; और रीति, प्ररूप और रीति, जिसमें अग्रिम विनिर्णय या अपील के लिए आवेदन पत्र दिया जाएगा और अध्याय 5ख के अधीन प्राधिकार के लिए प्रक्रिया , आयातित या निर्यात माल की निकासी या हटाए जाने की रीति, आयातित माल के संबंध में दिए जाने वाले दस्तावेज, इलैक्ट्रानिक नकद खातों में निक्षेप के लिए शर्तें, निर्बंधन और रीति, उसका उपयोग और उससे प्रतिदाय और ऐसी बही को बनाए रखने के लिए रीति, संपरीक्षा की रीति, नियंत्रित परिदान के लिए माल और उसकी रीति; और आयातकर्ताओं या निर्यातकर्ताओं के किसी वर्ग के लिए या माल के प्रवर्गों या माल के परिवहन के ढंगों के आधार पर उपाय और पृथक् प्रक्रियाएं या प्रलेखीकरण के लिए विनियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 99** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना सं0 सा0का0नि0/785(अ), तारीख 30 जून, 2017 का संशोधन करने वाली अधिसूचना सं0 सा0का0नि0/850(अ), तारीख 8 जुलाई, 2017 को भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए है जिससे 1 जुलाई, 2017 से 7 जुलाई, 2017 तक की अवधि के दौरान सीमा पार पट्टे के अधीन आयातित वायुयानों, वायुयान इंजनों और अन्य वायुयान पुर्जो पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उद्ग्रहणीय एकीकृत कर से भूतलक्षी छूट दी जा सके ।

सीमाशुल्क टैरिफ

विधेयक का **खंड 100** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त खंड का उपखंड (i) उक्त उपधारा (7) का उपबंध करने के लिए है जिससे सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन भांडारित माल की दशा में एकीकृत कर की संगणना के प्रयोजनों के लिए उपधारा (8) के अतिरिक्त प्रस्तावित नई उपधारा (8क) के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके ।

उक्त खंड का उपखंड (ii) नई उपधारा (8क) अंतःस्थापित करने के लिए भी है, जिससे सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन भांडागारित माल के संबंध में एकीकृत कर की संगणना पद्धति का उपबंध किया जा सके ।

उक्त खंड का उपखंड (iii) उक्त धारा की उपधारा (9) का संशोधन करने के लिए भी है, जिससे सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन भांडागारित माल की दशा में माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर की संगणना के प्रयोजनों के लिए उपधारा (10) के अतिरिक्त प्रस्तावित नई उपधारा (10क) के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके ।

उक्त खंड का उपखंड (iv) नई उपधारा (10क) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन भांडागारित माल के संबंध में माल और सेवा-कर प्रतिकर उपकर की संगणना की पद्धति का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 101** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का,—

(क) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन करने के लिए है जिससे कतिपय टैरिफ मदों की बाबत टैरिफ दरों को पुनरीक्षित किया जा सके ;

(ख) तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन करने के लिए है जिससे उसमें कतिपय प्रविष्टियों का संशोधन किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 102** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची का संशोधन करने के लिए है, जिससे,—

(क) उसमें नया टिप्पण 4 ऐसे अन्य माल, जो अनुसूची के स्तंभ (2) के अधीन नहीं आते हैं, के संबंध में " शून्य" शुल्क दर को विनिर्दिष्ट किया जा सके ;

(ख) चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन करने के लिए है जिससे कि भट्टियों के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रोड की किस्म पर निर्यात शुल्क अधिरोपित किया जा सके ।

सेवा कर

विधेयक का **खंड 103,** 10 सितंबर, 2004 से 30 जून, 2017 तक की अवधि के दौरान तटरक्षक कार्मिकों को नौसेना समूह बीमा निधि द्वारा प्रदान की गई जीवन बीमा सेवाओं के लिए सेवा कर से भूतलक्षी रूप से छूट का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 104,** 28 मार्च, 2013 से 30 जून, 2017 तक की अवधि के दौरान माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए सेवा कर से छूट का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 105,** 1 अप्रैल, 2016 से 30 जून, 2017 तक की अवधि के दौरान अपरिष्कृत पेट्रोल या प्राकृतिक गैस या दोनों की खोज करने या उसका खनन करने के लिए अनुज्ञप्ति या पट्टे के अनुदान के रूप में सेवाओं के उपबंध पर सेवा कर के उतने भाग को, जितना इस संबंध में सरकार द्वारा की गई संविदा में यथा परिभाषित सरकार के पेट्रोलियम के लाभ के शेयर के रूप में सरकार को संदत्त प्रतिफल पर उद्ग्रहणीय है, भूतलक्षी छूट का उपबंध करने के लिए है ।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और व्यावृत्ति

विधेयक का **खंड 106** पांचवीं अनुसूची में कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और व्यावृत्ति में उसके चौथे स्तंभ में उल्लिखित विस्तार तक विनिर्दिष्ट कतिपय अधिनियमितियों को निरसित करने के लिए है।

विधेयक का **खंड 107** उस तारीख, जिसको वित्त विधेयक, 2018 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, से ठीक पूर्व की तारीख से पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के निरसन के होते हुए भी, शुल्कों के बकाया के संग्रहण और संदाय का उपबंध करने के लिए है ।

समाज कल्याण अधिभार

विधेयक का **खंड 108** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का उपबंध करने और उसका वित्त पोषण करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए संघ के प्रयोजनों के लिए कुल सीमाशुल्क पर संगणित दस प्रतिशत की दर पर भारत में आयात किया गया माल है, सामाजिक कल्याण अधिभार के लिए अतिरिक्त सीमाशुल्क के रूप में उपबंध करने के लिए है ।

सड़क और अवसंरचना उपकर

विधेयक का **खंड 109** वित्त अवसंरचना परियोजनाओं के लिए संघ के प्रयोजनार्थ उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क के अतिरिक्त शुल्क के रूप में सड़क और अवसंरचना उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 110** छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट वित्त अवसंरचना परियोजनाओं के लिए संघ के प्रयोजनार्थ उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उसमें विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क्य माल पर उत्पाद-शुल्क के रूप में सड़क और अवसंरचना उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करने के लिए है ।

प्रकीर्ण

विधेयक का **खंड 111** अध्याय 8 के भाग का ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, प्रारंभ का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का **खंड 112** सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 के वृहत्त शीर्ष का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 113** अधिनियम के संक्षिप्त शीर्ष का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 114** संपूर्ण अधिनियम में,"सचिव" के स्थान पर,"प्राधिकृत अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 115** अधिनियम की धारा 2 का लोप करने के लिए है।

विधेयक का **खंड 116** विद्यमान धारा 3 के स्थान पर नई धारा 3, धारा 3क और धारा 3ख प्रतिस्थापित करने के लिए है । धारा 3, उन परिभाषाओं से संबंधित है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, " खाते" , " प्रशासक , "प्राधिकृत अधिकारी", " बैंककारी कंपनी", "जमाकर्ता" , "निष्पादक", " सरकारी बचत बैंक", " संरक्षक " , "अवयस्क" ,"विहित", "बचत स्कीम" और "अनुसूची" पदों को परिभाषित करती है ।

प्रस्तावित धारा 3क केंद्रीय सरकार द्वारा बचत स्कीमें बनाने का या देश में घरेलू बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए वर्तमान बचत स्कीमों का संशोधन करने या उन्हें बंद करने का उपबंध करती है । यह अधिसूचना द्वारा अनुसूची में किसी नई बचत स्कीम आदि के समावेशन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अनुसूची का संशोधन करने का भी उपबंध करती है ।

प्रस्तावित नई धारा 3ख ऐसे किसी अवयस्क द्वारा, जिसने दस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, जमा राशि के लिए उपबंध करती है । धारा यह और उपबंध करती है कि दस वर्ष की आयु से कम के किसी अवयस्क का संरक्षक भी ऐसे अवयस्क की और से खाता खोल सकेगा और उसे प्रचालित कर सकेगा ।

विधेयक का **खंड 117** अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे जमाकर्ता को यह विनिर्दिष्ट करने का अधिकार दिया जा सके कि क्या नामनिर्देशिती स्वामी के रूप में या न्यासी के रूप में मृतक के खाते के संबंध में विनिर्दिष्ट रकम प्राप्त करेगा । यह जमाराशियों के अंतरण की दशा में, नामनिर्देशन के रद्दकरण का उपबंध करने के लिए एक नई उपधारा (4) अंतःस्थापित करने का और उपबंध करता है ।

विधेयक का **खंड 118** अधिनियम की धारा 4क का संशोधन करने के लिए है, जिससे जमाकर्ता, जो अवयस्क है या विकृतचित्त है, की मृत्यु की

दशा में और उस दशा में जब इस संबंध में वित्त अधिनियम, 2018 के अध्याय 8 के भाग 1 के प्रारंभ से पूर्व कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया है, संरक्षक को देय रकम के संदाय का उपबंध करने के लिए एक नई उपधारा (3क) अंतःस्थापित की जा सके ।

विधेयक का **खंड 119** कतिपय शब्दों को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिनियम की धारा 5 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 120** कतिपय शब्दों को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिनियम की धारा 6 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 121** कतिपय शब्दों को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिनियम की धारा 7 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 122** एक नई धारा 7क अंतःस्थापित करने के लिए है। प्रस्तावित नई धारा 7क, केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों के संबंध में अपेक्षित खाते से संबंधित किसी सूचना या दस्तावेजों और साक्ष्यों को मंगाने के लिए सशक्त करती है ।

विधेयक का **खंड 123** अधिनियम की धारा 8 का संशोधन करने के लिए है, जो प्रोबेट या प्रशासन पत्र पर न्यायालय फीस के संदाय से छूट देने से संबंधित है । उक्त धारा में "तीन हजार रुपए" की सीमा को हटाने का और केंद्रीय सरकार को न्यायालय फीस के संदाय से छूट की सीमा विहित करने के लिए सशक्त करने का प्रस्ताव किया गया है ।

विधेयक का **खंड 124** कतिपय शब्दों का प्रतिस्थापन करने के लिए अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है।

विधेयक का **खंड 125** कतिपय शब्दों को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिनियम की धारा 12 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 126** एक नई धारा 12क अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे किसी प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दृष्टिहीन व्यक्ति सहित दिव्यांगों द्वारा खाते के प्रचालन का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 127** और **खंड 128** क्रमशः अधिनियम के शीर्ष तथा धारा 13 का लोप करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 129** "सरकार" शब्द के स्थान पर, "केंद्रीय सरकार" शब्द प्रतिस्थापित करने के लिए अधिनियम की धारा 14 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 130** अधिनियम की धारा 15 का संशोधन करने के लिए है,जो केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है । अधिनियम में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए पारिणामिक संशोधन के रूप में उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का **खंड 131** एक नई धारा 16 अंतःस्थापित करने के लिए है,जिससे सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 तथा लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 का निरसन किया जा सके और सरकार बचत बैंक अधिनियम, 1873 के अधीन इन अधिनियमों के अधीन बनाई गई विद्यमान स्कीमें लाई जा सकें ।

इसमें सरकारी बचत स्कीमों की सूची का उपबंध करने के लिए अनुसूची के अंतःस्थापन का भी उपबंध किया गया है ।

विधेयक का **खंड 132** भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है, जो ऐसे कारबार से संबंधित है, जिसका बैंक संव्यवहार कर सकता है ।

धारा 17 बैंकों को उक्त धारा में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न किस्म के कारबारों को करने और उनका संव्यवहार करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

उक्त धारा में एक नया खंड (1क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे परिनिर्धारण प्रबंध के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर केंद्रीय बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित स्थायी जमा सुविधा स्कीम के अधीन बैंकों या किसी अन्य व्यक्ति से ब्याज सहित प्रतिसंदेय जमाओं पर धन स्वीकार करने को अनुज्ञात किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 133** से **खंड 136** राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन अधिनियम, 1951 की धारा 1क, धारा 2 की उपधारा (2) के खंड (क) और धारा 3क के खंड (ख) के उपखंड (ii) का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त अधिनियम की धारा 1क राष्ट्रपति की उपलब्धियों से संबंधित है । एक लाख पचास हजार रुपए की वर्तमान उपलब्धियों को 1 जनवरी, 2016 से भूतलक्षी प्रभाव से बढ़ाकर पांच लाख रुपए प्रतिमास किए जाने का प्रस्ताव है।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 सेवानिवृत्त राष्ट्रपतियों की पेंशन से संबंधित है । धारा 2 की उपधारा (2) के खंड (ख) कार्यालय व्ययों के संबंध में साठ हजार रुपए प्रतिवर्ष की दर से संदाय किए जाने से संबंधित है । उक्त राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपए किए जाने का प्रस्ताव है ।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3क राष्ट्रपति के पति या पत्नी को निःशुल्क आवास से संबंधित है । धारा 3क के खंड (ख) के उपखंड (ii) में कार्यालय व्ययों के संबंध में बारह हजार रुपए प्रतिवर्ष की दर से संदाय किए जाने का उपबंध है । उक्त राशि को बढ़ाकर बीस हजार रुपए प्रतिवर्ष किए जाने का प्रस्ताव है।

विधेयक का **खंड 137** संसद् अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 संसद् अधिकारियों के वेतन आदि से संबंधित है । राज्य सभा के सभापति के एक लाख पच्चीस हजार रुपए प्रतिमास के विद्यमान वेतन को बढ़ाकर 1 जनवरी, 2016 से चार लाख रुपए प्रतिमास करने का प्रस्ताव है ।

खंड 138 से **खंड 142** संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 का संशोधन करने के लिए हैं ।

उक्त अधिनियम की धारा 3 संसद् सदस्यों के वेतन, भत्तों से संबंधित है। उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे सदस्यों के विद्यमान पचास हजार रुपए प्रतिमास के वेतन को बढ़ाकर एक लाख रुपए किया जा सके । उक्त धारा में एक नई उपधारा (2) भी अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सदस्यों के वेतन और दैनिक भत्ते में 1 अप्रैल, 2023 से आरंभ होने वाले प्रत्येक पांच वर्षों के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अधीन उपबंधित मुद्रास्फीति की सूचकांकित लागत के आधार पर वृद्धि की जाएगी

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 यात्रा भत्तों से संबंधित है । उक्त धारा के खंड (क) का लोप करने का प्रस्ताव है, जो सदस्य द्वारा किसी भी श्रेणी में की गई यात्रा के संबंध में एक प्रथम श्रेणी के रेल किराए और एक द्वितीय

श्रेणी के किराए की प्रतिपूर्ति से संबंधित है । पूर्वोक्त धारा के खंड (ख) का और संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि वायुयान यात्रा के लिए एकल वायुयान किराए की प्रतिपूर्ति की जा सके । पूर्वोक्त धारा के खंड (ग) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिससे कि स्टीमर से यात्रा के लिए एकल किराए की प्रतिपूर्ति की जा सके ।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8क पेंशन से संबंधित है । उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे विद्यमान बीस हजार रुपए प्रतिमास की पेंशन को बढ़ाकर पच्चीस हजार रुपए प्रतिमास किया जा सके । पांच वर्ष के आधिक्य में प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए पन्द्रह सौ रुपए प्रतिमास की अतिरिक्त पेंशन को बढ़ाकर दो हजार रुपए प्रतिमास करने का भी प्रस्ताव है । उक्त धारा में एक नई उपधारा (1क) भी अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्ति की पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में 1 अप्रैल, 2023 से आरंभ होने वाले प्रत्येक पांच वर्षों के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अधीन उपबंधित मुद्रास्फीति की सूचकांकित लागत के आधार पर वृद्धि की जाएगी ।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8कग कुटुंब पेंशन से संबंधित है । उक्त धारा को संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा 15 सितंबर, 2006 से अंतःस्थापित किया गया है । पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे पूर्वोक्त धारा के 15 सितंबर, 2006 से संबंधित किसी निर्वचन के संबंध में किसी भ्रम को दूर करने के लिए 2006 के संशोधन अधिनियम के प्रतिनिर्देश को भूतलक्षी रूप से 15 सितम्बर, 2006 से हटाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 143** अध्याय 8 के भाग 6 का, उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, प्रारंभ करने का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का **खंड 144** प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 12क का संशोधन करने के लिए है, जिससे बोर्ड को उक्त अधिनियम के अधीन विहित रीति में जांच करने के पश्चात् धनीय शास्ति उद्गृहीत करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 145** प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 23 का पारिणामिक संशोधन के रूप में संशोधन करने के लिए है, जिससे बोर्ड को स्वयं या प्रभागीय प्रधान के रैंक से अन्यून अपने किसी अधिकारी द्वारा धनीय शास्ति अधिरोपित करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 146** अधिनियम की धारा 23क का संशोधन करने के लिए है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि कोई व्यक्ति जो मिथ्या, गलत या अपूर्ण सूचना, विवरणी, रिपोर्ट बहियां या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करता है या फाइल करता है, उसी रीति में शास्ति का दायी होगा, जैसे कोई व्यक्ति जो अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने में असफल होता है, दायी होता है ।

विधेयक का **खंड 147** अधिनियम की धारा 23ङ का संशोधन करने के लिए है जिससे अनुकल्पी विनिधान निधि, भूसंपदा विनिधान न्यास और अवसंरचना विनिधान न्यास की दशा में सूचीकरण शर्तों का अनुपालन करने में असफलता के लिए धनीय शास्ति का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 148** अधिनियम की धारा 23छ का संशोधन करने के लिए है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि कोई स्टाक एक्सचेंज, जो उक्त अधिनियम के अधीन मिथ्या, गलत या अपूर्ण सूचना प्रस्तुत करता है या फाइल करता है, उसी रीति में शास्ति का दायी होगा जैसे कोई स्टाक एक्सचेंज आवधिक विवरणियां प्रस्तुत करने में असफल होता है या प्रस्तुत करने की अनदेखी करता है।

विधेयक का **खंड 149** अधिनियम में एक नई धारा 23छक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे उसके अधीन किसी स्टाक एक्सचेंज या समाशोधन निगम की, उसका कारबार, ऐसी रीति में, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार नहीं है, संचालित करने में असफलता के लिए शास्ति का उपबंध करने के लिए है

विधेयक का **खंड 150** अधिनियम की धारा 23झ की उपधारा (1) में कतिपय शब्दों को प्रतिस्थापित करने के लिए है।

विधेयक का **खंड 151** अधिनियम की धारा 23ञ का पारिणामिक परिवर्तन के रूप में संशोधन करने के लिए है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त धारा में वर्णित कारक बोर्ड द्वारा धारा 12क के साथ किसी न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 23झ के अधीन धनीय शास्ति उद्गृहीत करने के लिए सुसंगत हैं ।

विधेयक का **खंड 152** अधिनियम की धारा 23ञक का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अधिनियम के अधीन वसूली गई परिनिर्धारित रकम (विधिक लागत और वापस की गई रकम को छोड़कर) का भारत की समेकित निधि में प्रत्यय किया जाए ।

विधेयक का **खंड 153** पारिणामिक संशोधन के रूप में अधिनियम की धारा 23 ञख का परिवर्तन के रूप में संशोधन करने के लिए है जिससे बोर्ड द्वारा उद्गृहीत धनीय शास्ति के संदाय में व्यतिक्रम की बाबत वसूली का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 154** शास्ति उद्गृहीत करने की कार्यवाहियों के सिवाय जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उससे शोध्य राशियों की वसूली के लिए विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध कार्यवाहियों को जारी रखने के लिए, अधिनियम की नई धारा 23ञग अंतःस्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 155** पारिणामिक संशोधन के रूप में अधिनियम की धारा 23ड का संशोधन करने के लिए है जिससे बोर्ड द्वारा उद्गृहीत धनीय शास्ति के संदाय में व्यतिक्रम के मामले और बोर्ड के निदेशों की अनुपालना के लिए भी अभियोजन का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 156** अधिनियम की धारा 24 का संशोधन करने के लिए है जिससे उसमें उपबंधित प्रवर्तन कार्यवाहियों को शामिल करने के लिए धारा की परिधि को बढ़ाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 157** केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त खंड का उपखंड (क) केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड" को "केन्द्रीय अप्रत्यक्ष-कर और सीमाशुल्क बोर्ड" के रूप में पुनःनामित करने के लिए है।

उक्त खंड का उपखंड (ख) संपूर्ण अधिनियम में संशोधन करने के लिए है जिससे "उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क" शब्दों के स्थान पर जहां कहीं भी आते हैं "अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क" शब्द रखे जाएंगे ।

उक्त संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वित्त विधेयक, 2018 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 158** राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 3 का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 राज्यपालों की उपलब्धियों से संबंधित है। एक लाख दस हजार रुपए प्रतिमास की वर्तमान उपलब्धियों को 1 जनवरी, 2016 से भूतलक्षी प्रभाव से बढ़ाकर तीन लाख पचास हजार रुपए प्रतिमास किए जाने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का **खंड 159** से **खंड 174** राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के कतिपय उपबंधों का संशोधन करने के लिए है ।

राष्ट्रीय आवास बैंक के स्वामित्व को भारतीय रिजर्व बैंक से केन्द्रीय सरकार को अन्तरित करने का प्रस्ताव है ।

तद्नुसार, संपूर्ण अधिनियम में केन्द्रीय सरकार के साथ रिजर्व बैंक के प्रतिनिर्देश का लोप करने या प्रतिस्थापित करने के लिए पारिणामिक संशोधन किए जाएंगे ।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) का और संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि प्रधान कार्यालय के स्थान को नई दिल्ली या ऐसे अन्य स्थान पर परिवर्तित किया जा सके जैसा कि केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के परंतुक को भी प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे प्राधिकृत पूंजी में दो हजार करोड़ रुपए या ऐसी अन्य रकम तक वृद्धि करने, जैसा कि अधिसूचना द्वारा अवधारित किया जा सके, के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त बनाया जाए । उक्त धारा में अभिदाय की गई पूंजी को रिजर्व बैंक से केंद्रीय सरकार को अंतरित करने से संबंधित एक नई उपधारा (3) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है ।

उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (छ) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे निदेशक मंडल का भाग बनने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशकों की संख्या "दो से कम करके" "एक" की जा सके।

कंपनी अधिनियम, 1956 और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के स्थान पर क्रमशः कंपनी अधिनियम, 2013 और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 का निर्देश देने के लिए कतिपय और भी पारिणामिक संशोधन किए गए हैं।

विधेयक का **खंड 175** अध्याय 8 के भाग 10 का उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, प्रारंभ करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 176** और **खंड 177** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 और धारा 11ख का संशोधन करने के लिए है, जिससे बोर्ड को उक्त अधिनियम के अधीन विहित रूप में जांच करने के पश्चात् धनीय शास्ति उद्‌गृहीत करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 178** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15क का संशोधन करने के लिए है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि कोई व्यक्ति जो मिथ्या, गलत या अपूर्ण सूचना, विवरणी, रिपोर्ट बहियां या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करता है या फाइल करता है, उसी रीति में शास्ति का दायी होगा, जैसे कोई व्यक्ति, जो अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने में असफल होता है, दायी होता है ।

विधेयक का **खंड 179** नई धारा 115ङक और धारा 115ङख अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे अनुकल्पी विनिधान निधि, अवसंरचनात्मक विनिधान न्यास, भूसंपदा विनिधान न्यास, विनिधान सलाहकारों और अनुसंधान विश्लेषकों के मामले में बोर्ड द्वारा जारी विनियमों या निदेशों का अनुपालन करने में असफलता के लिए धनीय शास्ति का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 180** अधिनियम की धारा 15च का संशोधन करने के लिए है जिससे स्टाक ब्रोकर के प्रति कतिपय निदेशों, जो सुसंगत नहीं हैं, का लोप किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 181** पारिणामिक संशोधन के रूप में अधिनियम की धारा 15झ का संशोधन करने के लिए है जिससे बोर्ड द्वारा स्वयं या प्रभागीय प्रधान के रैंक से अन्यून उसके अधिकारी को धनीय शास्ति उद्‌गृहीत करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 182** पारिणामिक संशोधन के रूप में अधिनियम की धारा 15ञ का संशोधन करने के लिए है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त अधिनियम की धारा 15ञ में वर्णित कारक, बोर्ड द्वारा धारा 11 और धारा 11ख के साथ किसी न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15झ के अधीन धनीय शास्ति उद्‌गृहीत करने के लिए सुसंगत हैं ।

विधेयक का **खंड 183** अधिनियम की धारा 15ञख का संशोधन करने के लिए है जिससे वापसी की रकम और विधिक लागत को छोड़कर परिनिर्धारित रकम को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाए ।

विधेयक का **खंड 184** पारिणामिक संशोधन के रूप में अधिनियम की धारा 24 का संशोधन करने के लिए है जिससे बोर्ड द्वारा उद्‌गृहीत धनीय शास्ति के संदाय में व्यतिक्रम और बोर्ड के निदेशों की अनुपालना के लिए भी अभियोजन का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 185** अधिनियम की धारा 27 का संशोधन करने के लिए है जिससे उसमें यथा उपबंधित प्रवर्तन कार्यवाहियों को शामिल करने के लिए धारा की परिधि को बढ़ाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 186** पारिणामिक संशोधन के रूप में अधिनियम की धारा 28क का संशोधन करने के लिए है जिससे बोर्ड द्वारा उद्‌गृहीत धनीय शास्ति के संदाय में व्यतिक्रम की बाबत वसूली का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का **खंड 187** शास्ति उद्‌गृहीत करने की कार्यवाहियों के सिवाय विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उससे शोध्य राशियों की वसूली के लिए कार्यवाहियों को जारी रखने के लिए अधिनियम में एक नई धारा 28ख अंतःस्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 188** अध्याय 8 के भाग 11 का, उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, प्रारंभ का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 189** निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19 का

संशोधन करने के लिए है, जिससे बोर्ड को उक्त अधिनियम के अधीन विहित रूप में जांच करने के पश्चात् धनीय शास्ति उद्गृहीत करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 190** अधिनियम की धारा 19क के खंड (क) और खंड (ख) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि कोई व्यक्ति जो मिथ्या, गलत या अपूर्ण सूचना, विवरणी, रिपोर्ट,बहियां या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करता है या फाइल करता है, उसी रीति में शास्ति का दायी होगा, जैसे कोई व्यक्ति जो अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने में असफल होता है, दायी होता है।

विधेयक का **खंड 191** किसी निक्षेपागार पर नियमों और विनियमों के अनुसार उचित रीति में अपना कारबार करने में असफलता के लिए धनीय शास्ति अधिरोपित करने के लिए अधिनियम की धारा 19चक का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 192** अधिनियम की धारा 19ज का संशोधन करने के लिए है, जो इस अधिनियम के अधीन स्वयं या बोर्ड के प्रभाग प्रमुख की श्रेणी से अन्यून अपने अधिकारी द्वारा धनीय शास्ति उद्गृहीत करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 193** अधिनियम की धारा 19झ का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा में उल्लिखित कारक धारा 19 के अधीन बोर्ड द्वारा और साथ ही उक्त अधिनियम की धारा 19ज के अधीन किसी न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा धनीय शास्ति उद्गृहीत करने के लिए सुसंगत हैं ।

विधेयक का **खंड 194** अधिनियम की धारा 19झक का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस अधिनियम के अधीन वसूल की गई परिनिर्धारण रकम (विधिक खर्चों और वापसी की रकम को छोड़कर) भारत की संचित निधि में जमा की जाए ।

विधेयक का **खंड 195** अधिनियम की धारा 19झख का संशोधन करने के लिए है जिससे बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन उद्गृहीत किसी शास्ति के संदाय में व्यतिक्रम की बाबत वसूली का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 196** अधिनियम का उसमें एक नई धारा 19झग अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे किसी विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध, शास्ति के उद्ग्रहण की कार्यवाहियों के सिवाय और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उससे शोध्य राशि की वसूली के लिए कार्यवाहियां जारी रखे जाने का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 197** अधिनियम के अध्याय शीर्ष में पारिणामिक संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 198** अधिनियम की धारा 20 का संशोधन करने के लिए है, जिससे बोर्ड द्वारा उद्गृहीत धनीय शास्ति के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में और बोर्ड के निदेशों की अननुपालना के लिए भी अभियोजन का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 199** अधिनियम की धारा 21 का संशोधन उसमें यथा उपबंधित प्रवर्तन कार्यवाहियों को समाविष्ट करने के लिए धारा की परिधि का विस्तार करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 200** अधिनियम की धारा 22 के पूर्व आने वाले शीर्ष का लोप करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 201** उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1997 की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त अधिनियम की धारा 2 सेवानिवृत्त उपराष्ट्रपतियों की पेंशन से संबंधित है । पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (ग) में अनुसचिवीय कर्मचारिवृंद और कार्यालय व्ययों के बदले साठ हजार रुपए प्रतिवर्ष की दर से संदाय किए जाने के लिए उपबंध है । उक्त राशि को बढ़ाकर नब्बे हजार रुपए प्रतिमास किए जाने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का **खंड 202** अध्याय 8 के भाग 13 का, उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, प्रारंभ करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 203** केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के विभिन्न उपबंधों का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त अधिनियम में पारिणामिक संशोधनों का भी प्रस्ताव है जिससे उन्हें प्रस्तावित संशोधनों के अनुरूप बनाया जा सके । उक्त अधिनियम के दीर्घ शीर्ष और लघु शीर्ष का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे अवसंरचना को उसमें सम्मिलित किया जा सके ।

अधिनियम में एक नई अनुसूची 2 को अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे परियोजनाओं और अवसंरचना उप सेक्टरों को वर्णित किया जा सके ।

विधेयक के **खंड 204** और **205** धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के कतिपय उपबंधों का संशोधन करने के लिए है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात्—

(i) 'अपराध से आगम पद को परिभाषित करना, जिससे देश से बाहर धारित, अपराध के आगमों के समतुल्य संपत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने को अग्रसर करना अनुज्ञात किया जा सके ।

(ii) एक सौ अस्सी दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, जिसके दौरान पूर्वोक्त धारा के अधीन कार्यवाहियों को न्यायालय द्वारा रोक दिया गया था, गणना में नहीं लिया जाएगा और ऐसे रोकादेश को रद्द किए जाने की संसूचना की तारीख से तीस दिन से अनधिक और अवधि की संगणना की जाएगी, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करना ।

(iii) यह खंड अधिनियम की धारा 8 का संशोधन करने के लिए है, जो न्यायनिर्णयन से संबंधित है । जिससे प्रवर्तन निदेशालय को अभियोजन फाइल करने के लिए युक्तियुक्त समय अनुज्ञात किया जा सके । यह और कि विशेष न्यायालय यदि वह ठीक समझता है, तो ऐसी रीति में जो विहित की जाए, विचारण के दौरान भी ऐसी संपत्तियों को वापस देने के प्रयोजन के लिए दावेदार के दावे पर भी विचार कर सकेगा ।

(iv) यह खंड अधिनियम की धारा 19 का संशोधन करने के लिए है, जो गिरफ्तार करने की शक्ति से संबंधित है । यह, "किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट" शब्दों से पहले, "विशेष न्यायालय " शब्द अंतःस्थापित करने के लिए और "मजिस्ट्रेट के न्यायालय" शब्दों से पहले, "विशेष न्यायालय या " शब्द अंतःस्थापित करने के लिए है, क्योंकि जमानत के लिए आवेदन की सुनवाई विशेष न्यायालय द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

(v) यह खंड अधिनियम की धारा 45 का संशोधन करने के लिए है,

जो अपराधों के संज्ञेय और अजमानतीय होने से संबंधित है । और धारा 45 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है, जिससे ''अनुसूची के भाग (क) के अधीन तीन वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय'' शब्दों के स्थान पर, '' इस अधिनियम के अधीन'' शब्द रखे जा सकें जिससे अनुसूची के अपराध और धन शोधन अपराध के असंबद्ध होने के मद्दे और उपाय किया जा सके । उपखंड (ii),''रुग्ण है या अशक्त है'' शब्दों के पश्चात् ''या एक करोड़ रुपए से कम की राशि के धन शोधन का स्वयं या किसी अन्य सह-अभियुक्त के साथ अभियुक्त है'' शब्द अंतःस्थापित करके उपधारा (1) में परंतुक खंड का संशोधन करने के लिए है, जिससे धन शोधन का अपराध गंभीर प्रकृति का नहीं होने की दशा में जमानत के उपबंधों में नरम रुख अपनाने के लिए न्यायालय को अनुज्ञात किया जा सके ।

(vi) यह खंड अधिनियम की धारा 50 का संशोधन करने के लिए है, जो समन करने, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और साक्ष्य देने आदि के बारे में प्राधिकारियों की शक्ति से संबंधित है । यह ''निदेशक'' शब्द से पहले ''संयुक्त'' शब्द अंतःस्थापित करके धारा 50 की उपधारा (5) के नीचे परंतुक (ख) का संशोधन करने के लिए है ।

(vii) यह खंड अधिनियम की धारा 66 का संशोधन करने के लिए है, जो सूचना का प्रकटीकरण से संबंधित है । उपखंड (i), धारा 66 के अधीन उपबंधों को धारा 66 की उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित करने के लिए है । उपखंड (ii), धारा 66 में ऐसी उपधारा (2) अंतःस्थापित करने के लिए है कि यदि प्राधिकारी को, उसके कब्जे में की सामग्री के आधार पर किसी अन्य विधि के उल्लंघन का संदेह है तो प्राधिकारी संबंधित अधिकरण से ऐसी जानकारी को साझा करेगा और उक्त अभिकरण उस जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करेगा, जिससे पदधारियों का स्पष्ट मार्गदर्शन किया जा सके ।

(viii) यह खंड अनुसूची का संशोधन करने के लिए है । यह, भाग (क) के पैरा 29 के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 में धारा 447 अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे निगम कपटों की बाबत अधिनियम को सुदृढ़ किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 206** अध्याय 8 के भाग 15 का उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, प्रारंभ का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 207** राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 के बृहत शीर्षक का संशोधन करने के लिए है । इसमें बृहत शीर्षक से '' और पर्याप्त राजस्व अधिशेष'' शब्दों का लोप करने का उपबंध है ।

विधेयक का **खंड 208** अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है, जो परिभाषाओं से संबंधित है । इसमें ''वास्तविक राजस्व घाटे'', ''पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान'' ,''राजस्व घाटे'' और '' कुल दायित्व'' की परिभाषा के स्थान पर ''केंद्रीय सरकार का ऋण'' , सरकार का ''साधारण ऋण '', ''सकल घरेलू उत्पाद'' और ''माल और सेवा कर'' की परिभाषा रखने का उपबंध है ।

विधेयक का **खंड 209** अधिनियम की धारा 3 का संशोधन करने के लिए है, जो राजवित्तीय नीति संबंधी विवरण को संसद् के समक्ष रखे जाने से संबंधित है । इसमें उपधारा (3) की मद (i) का लोप और उपधारा (6) के खंड (ख) में ''राजस्व अतिशेष और '' शब्दों का लोप तथा उपधारा (6क) की मद (iii) का लोप करने का उपबंध है ।

विधेयक का **खंड 210** अधिनियम की धारा 4 का संशोधन करने के लिए है, जो राजवित्तीय प्रबंध सिद्धांत से संबंधित है । इसमें धारा 4 को प्रतिस्थापित करने का उपबंध है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार, राजवित्तीय घाटे को 31 मार्च, 2021 तक सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक सीमित करने के लिए समुचित उपाय करेगी ; यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि सरकार का साधारण ऋण और केंद्रीय सरकार का ऋण वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद के क्रमशः साठ प्रतिशत और चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं हो ; भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर किसी ऋण की बाबत सकल घरेलू उत्पाद के आधे प्रतिशत से अधिक की अतिरिक्त गारंटी नहीं देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे राजवित्तीय लक्ष्य नियत लक्षित तारीख से आगे नहीं जाएं ।

इसमें यह और उपबंध है कि केंद्रीय सरकार राजवित्तीय घाटे को उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कम करने हेतु वार्षिक लक्ष्य विहित करेगी । इसमें यह भी उपबंध है कि वार्षिक राजवित्तीय घाटे का लक्ष्य उसमें उल्लिखित कतिपय आधारों के कारण समय से आगे जा सकेगा । इसमें यह उपबंध भी है कि केंद्रीय सरकार, किसी एक तिमाही में माल और सेवा कर या राजस्व के संग्रहण में पूर्ववर्ती चार तिमाहियों की औसत से न्यूनतम 3 प्रतिशत अधिक होने की दशा में, किसी एक वर्ष में राजवित्तीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम एक चौथाई प्रतिशत कमी लाने के लिए राजवित्तीय घाटे के लक्ष्य से विचलन की पहल करेगी । इसमें यह भी उपबंध है कि जहां राजवित्तीय घाटे की रकम में लक्ष्यों में परिवर्तन होता है वहां उसके कारणों तथा इस धारा के अधीन वार्षिक लक्ष्यों को पुनः प्राप्त करने की योजना को स्पष्ट करते हुए एक विवरण संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा ।

विधेयक का **खंड 211** अधिनियम की धारा 5 का संशोधन करने के लिए है, जो रिजर्व बैंक से उधार लेने से संबंधित है । इसमें उपधारा (3) को प्रतिस्थापित करने का उपबंध है, जिससे रिजर्व बैंक को धारा 4 की उपधारा (2) के परंतुक में विनिर्दिष्ट आधार या आधारों के कारण केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम का अभिदाय करने के लिए समर्थ बनाया जा सके । यह खंड इस बात को और समर्थ बनाता है कि रिजर्व बैंक, उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों का, केंद्रीय सरकार की अन्य प्रतिभूतियों के साथ परिवर्तन कर सकेगा ।

विधेयक का **खंड 212** अधिनियम की धारा 7 का संशोधन करने के लिए है, जो अनुपालन करवाने के लिए उपाय से संबंधित है । इसमें उपधारा (1) का संशोधन करने का उपबंध है, जिससे वित्त मंत्रालय के भारसाधक मंत्री को तिमाही के स्थान पर अर्धवार्षिक आधार पर बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय के रूझान का पुनर्विलोकन करने के लिए समर्थ बनाया जा सके । इसमें यह भी उपबंध है कि केंद्रीय सरकार अपने लेखाओं का मासिक विवरण तैयार करेगी, इसमें उपधारा (2) का संशोधन करने का उपबंध भी है, जिससे ''इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में वर्णित पूर्व विनिर्दिष्ट स्तरों'' के स्थान पर ''विहित स्तरों'' शब्दों को रखा जा सके, जिससे केंद्रीय सरकार को विहित स्तरों से परे राजस्व में कमी या व्यय के आधिक्य की दशा में उपाय करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 213** अधिनियम की धारा 8 का संशोधन करने के लिए है, जो नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है, जो इस भाग में प्रस्तावित संशोधनों की पारिणामिक प्रकृति के हैं ।

विधेयक का **खंड 214** वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2004 की धारा 97 का संशोधन करने के लिए है, जो परिभाषाओं से संबंधित है ।

धारा 97 के विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ, साधारण शेयरोन्मुखी निधि की परिभाषा का उपबंध है ।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे साधारण शेयरोन्मुख निधि को आय-कर अधिनियम की धारा 112क के स्पष्टीकरण के खंड क में निर्दिष्ट निधि के रूप में परिभाषित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 215** वित्त अधिनियम, 2013 की धारा 116, धारा 117 धारा 118 और धारा 128 का संशोधन करने के लिए है,जो वस्तु संव्यवहार कर के प्रभार और कराधेय से संबंधित हैं ।

धारा 116 का खंड 7 "कराधेय वस्तु संव्यवहार" को परिभाषित करता है। उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "वस्तु व्युत्पन्नी पर विकल्प" को भी सम्मिलित किया जा सके ।

उक्त अधिनियम की धारा 117 में, उस दर का उपबंध है, जिस पर ऐसे प्रत्येक कराधेय वस्तु संव्यवहार के संबंध में, जो वस्तु व्युत्पन्नी का विक्रय है, वस्तु संव्यवहार कर प्रभार्य होगा और ऐसा कर विक्रेता द्वारा संदेय होगा

उक्त धारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे कराधेय वस्तु संव्यवहार की ऐसी दरों का उपबंध किया जा सके, जो, यथास्थिति, विक्रेता या क्रेता द्वारा संदेय होगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 118 में, ऐसे कराधेय वस्तु संव्यवहारों के, जो वस्तु व्युत्पन्नी के विक्रय पर धारा 117 के अधीन कर से प्रभार्य है, मूल्य का उपबंध है ।

धारा 118 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे ऐसे कराधेय वस्तु संव्यवहारों के, जो वस्तु व्युत्पन्नियों पर विकल्प हैं, और जो धारा 117 के अधीन कर से प्रभार्य है, मूल्य का उपबंध किया जा सके ।

उक्त धारा 128 में यह उपबंध है कि आय-कर अधिनियम की कतिपय धाराओं के उपबंध, जो उसमें विनिर्दिष्ट हैं, जहां तक हो सके, वस्तु संव्यवहार कर के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे आय-कर के संबंध में लागू होते हैं ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उक्त धारा में आय-कर अधिनियम की धारा 119 के प्रतिनिर्देश का भी उपबंध किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 216** काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 का संशोधन करने के लिए है उक्त अधिनियम की धारा 46 शास्ति के अधिरोपण से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (4) में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि शास्ति अधिरोपित करने का कोई आदेश, उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय परिस्थितियों में संयुक्त आयुक्त के अनुमोदन से किया जाएगा ।

उक्त उपधारा के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश के अनुमोदन की समान शक्ति को संयुक्त निदेशक में भी निहित किया जा सके ।

खंड (ख) के उपबंधों का आगे और संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उक्त खंड में सहायक निदेशक और उपनिदेशक के प्रतिनिर्देश को अंतःस्थापित किया जा सके ।

उक्त अधिनियम की धारा 55 अभियोजन कार्यवाहियों के किए जाने से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 49 से धारा 53 के अधीन किसी अपराध के लिए कार्यवाही, यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त (अपील) की मंजूरी से ही की जाएगी अन्यथा नहीं।

उक्त धारा के पार्श्व शीर्ष का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक के निर्देश को सम्मिलित किया जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर प्राधिकारियों को ऐसे अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा, जो वह इस धारा के अधीन कार्यवाहियों को आरम्भ करने के लिए उचित समझे ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उक्त उपधारा के अधीन ऐसे अनुदेशों या निदेशों को जारी करने के लिए प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक को भी सशक्त बनाया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 217** वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 236 का संशोधन करने के लिए है,जो विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ञ) के उपखंड (vi) के संशोधन से संबंधित है । वित्त अधिनियम, 2016 के द्वारा अंतःस्थापित उक्त उपखंड के परंतुक में यह उपबंध है कि किसी कंपनी की शेयर पूंजी का नाममात्र मूल्य अभिदाय करते समय आधे प्रतिशत से अधिक हो जाने पर ध्यान न देते हुए, ऐसी कंपनी को उस समय विदेशी स्रोत नहीं माना जाएगा, यदि विदेशी निवेश, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर है ।

उक्त संशोधन को, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976, जिसे निरसित तथा विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के रूप में पुनः अधिनियमित किया गया था, के प्रारंभ की तारीख अर्थात् 5 अगस्त, 1976 से प्रभावी करने का प्रस्ताव किया जाता है ।

विधेयक का **खंड 218** केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (16) का संशोधन करने के लिए है, जिससे, "केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड" शब्द रखे जा सकें।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के **खंड 4** का उपखंड (II) भारत में प्रोदभूत या उद्‌भूत होने के लिए समझी गई आय से संबंधित धारा 9 की उपधारा (1) का स्पष्टीकरण 2क अंतःस्थापित करने के लिए है। स्पष्टीकरण 2क का खंड (क) यह उपबंध करता है कि भारत में किसी अनिवासी की महत्वपूर्ण आर्थिक विद्यमानता से वहन किए गए किसी माल, सेवाएं या संपत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार अभिप्रेत है यदि पूर्ववर्ष के दौरान ऐसे संव्यवहार या संव्यवहारों से होने वाले संदायों का योग ऐसी रकम से अधिक है जो विहित की जाए। इसके अतिरिक्त, उक्त स्पष्टीकरण का खंड (ख) यह उपबंध करता है कि महत्वपूर्ण आर्थिक विद्यमानता से उपयोक्ताओं की ऐसी संख्या जो विहित की जाए के साथ कारबार क्रियाकलापों के क्रमबद्ध और निरंतर याचना करना या अन्योन्यक्रिया में विनियोजन भी अभिप्रेत होगा।

विधेयक के **खंड 9** का उपखंड (II) कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 28 में एक नया खंड (viक) अंतःस्थापित करने के लिए है। उक्त खंड (viक) में यह उपबंधित है कि उस तारीख को सूची का उचित बाजार मूल्य, जिनको इसे पूंजी आस्ति में परिवर्तित किया जाता है या इसे व्यवहृत किया जाता है, विहित रीति में अवधारित किया जाएगा।

विधेयक का **खंड 98** सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 157 का संशोधन करने के लिए है जिससे बोर्ड को, (i) अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने की रीति; (ii) पूर्व सूचना परामर्श करने की रीति; (iii) वे परिस्थितियां जिनके अधीन और वह रीति जिसमें अनुपूरक सूचना जारी की जाती है; (iv) प्ररूप और रीति जिसमें अध्याय 5ख के अधीन अग्रिम विनिर्णय या अपील के लिए आवेदन किया जाएगा और प्राधिकारी के लिए प्रक्रिया; (v) आयातित या निर्यातित माल की निकासी या उसे हटाने की रीति; (vi) आयातित माल के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज; (vii) इलेक्ट्रानिक नकद खाते में निक्षेपों उनसे उपयोग और प्रतिदाय के लिए शर्तें, निर्बन्धन और रीति, तथा ऐसा खाता बनाए रखने की रीति; (viii) संपरीक्षा कराने की रीति; (ix) नियंत्रित परिदान के लिए माल और उसकी रीति; और (x) आयातकर्ताओं या निर्यातकर्ताओं के वर्ग या माल के प्रवर्गों के लिए या माल के परिवहन के ढंग के आधार पर उपाय और उसके लिए सरलीकृत या भिन्न पद्धतियां या प्रलेखीकरण।

विधेयक का **खंड 116** सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 3 के स्थान पर नई धारा 3 धारा 3क और धारा 3ख रखने के लिए है। प्रस्तावित धारा, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि सरकारी बचत बैंकों से भारतीय स्टेट बैंक या कोई बैंककारी कंपनी या कोई अन्य कंपनी या संस्था जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अभिप्रेत है। प्रस्तावित धारा 3क, केंद्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा नई बचत स्कीमें बनाने, उनमें संशोधन करने या विद्यमान स्कीमों को बंद करने के लिए सशक्त करती है जिससे देश में घरेलू बचतों को प्रोत्साहन दिया जा सके। प्रस्तावित धारा 3ख केंद्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट बचत स्कीमों को सम्मिलित करने या उनका लोप करने या संशोधन करने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 118,** अन्य बातों के साथ, उक्त अधिनियम की धारा 4क की उपधारा (4) के खंड (क) का संशोधन करने के लिए है जिससे केंद्रीय सरकार को मृतक की जमा राशि को, किसी ऐसे व्यक्ति को संदाय करने के लिए सशक्त किया जा सके, जो उसे ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, मृतक की संपदा को प्राप्त करने या उसके प्रशासन के लिए हकदार प्रतीत हो।

विधेयक का **खंड 123,** उक्त अधिनियम की धारा 8 का संशोधन करने के लिए है जिससे केंद्रीय सरकार को उस जमा राशि की सीमा को विहित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके जो न्यायालय फीस की संगणना करने में अपवर्जित की जाए।

विधेयक का **खंड 144,** प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 12क में एक नई उपधारा (2) अंतःस्थापित करने के लिए है। उक्त उपधारा केंद्रीय सरकार को विहित रीति में जांच करने के पश्चात् शास्ति के उद्ग्रहण के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 161,** राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 4 का संशोधन करने के लिए है। उक्त धारा की उपधारा (1) का प्रस्तावित परंतुक केंद्रीय सरकार को दो हजार करोड़ रुपए तक या ऐसी अन्य रकम जो अधिसूचना द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए, प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि करने के लिए सशक्त करती है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित उपधारा (3) केंद्रीय सरकार को अभिदाय की हुई पूंजी के अंकित मूल्य के संदाय के लिए तारीखों को अधिसूचित करने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 176,** भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 में एक नई उपधारा (4क) अंतःस्थापित करने के लिए है। उक्त उपधारा केंद्रीय सरकार को विहित रीति में जांच करने के पश्चात् शास्ति का उद्ग्रहण करने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 177,** उक्त अधिनियम की धारा 11ख में एक नई उपधारा (2) अंतःस्थापित करने के लिए है। उक्त उपधारा केंद्रीय सरकार को विहित रीति में जांच करने के पश्चात् शास्ति का उद्ग्रहण करने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 189** निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19 में एक नई उपधारा (2) अंतःस्थापित करने के लिए है। उक्त उपधारा केंद्रीय सरकार को विहित रीति में जांच करने के पश्चात् शास्ति का उद्ग्रहण करने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक के **खंड 203** का उपखंड (च) केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 की धारा 7 में एक नई उपधारा (2) अंतःस्थापित करने के लिए है। उपखंड (च) की मद (ख) केंद्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा परियोजनाओं के वर्ग तथा अवसंरचना उप सेक्टरों से संबंधित अधिनियम की अनुसूची 2 का संशोधन करने के लिए सशक्त करती है। इसके अतिरिक्त, उक्त खंड का उपखंड (छ) समिति द्वारा निधि के शेयर के प्रभाजन से संबंधित उक्त अधिनियम में एक नई धारा 7क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है। उक्त धारा केंद्रीय सरकार को प्रत्येक अवसंरचना परियोजना के लिए निधि के शेयर के प्रभाजन को अंतिम रूप देने के लिए अधिसूचना द्वारा समिति का गठन करने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक के **खंड 205** का उपखंड (ग) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 8 की उपधारा (8) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए भी है। प्रस्तावित परंतुक केंद्रीय सरकार को मामले के विचारण के दौरान ऐसी संपत्तियों के प्रत्यावर्तन के प्रयोजनों के लिए दावाकर्ताओं के दावे पर विचार करने के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करता है।

वे विषय जिनके संबंध में नियम या विनियम बनाए जा सकेंगे या विधेयक के उपबंधों के अनुसार अधिसूचनाएं जारी की जा सकेंगी प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं और विधेयक में उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

लोक सभा

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए
विधेयक

[श्री अरुण जेटली,
वित्त मंत्री]